काशी के हस्तशिल्प उद्योग

डॉ. चित्रा सहस्त्रबुद्धे
विकल्प
(पी. पी. एस. टी. फाउण्डेशन की वाराणसी शाखा)
19, संकट मोचन कॉलोनी, लंका, वाराणसी-221005
नारी हस्तकला उद्योग समिति

वित्तीय सहयोगकर्ता
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

HANDICRAFTS OF KASHI

DR. CHITRA SAHASRABUDHEY
VIKALPA
(VARANASI BRANCH OF P.P.S.T. FOUNDATION)
19, SANKAT MOCHAN COLONY, LANKA,
VARANASI-221005

SPONSORS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

ACKNOWLEDGEMENT

This study was funded jointly by Industrial Development Bank of India and Small Industries Development Bank of India. The study was undertaken as a part of the documentation efforts initiated towards the Congress on Traditional Sciences & Technologies of India held at IIT Bombay 28 Nov. - 3 Dec. 1993.

We acknowledge gratefully the financial support towards this study.

Author's Name : Chitra Sahasrabudhey

Address : 19, Sankat Mochan Colony
Lanka, Varanasi-221005

Date : April, 1994

HANDICRAFTS OF KASHI

TABLE OF CONTENTS

Page No.

Preface		...	3
Chapter - 1 :	INTRODUCTION	...	9
Chapter - 2 :	HANDICRAFTS OF KASHI : AN OVERVIEW	...	15
	a) Textiles		
	b) Metal-Crafts		
	c) Wood-Craft		
	d) Pottery		
	e) Ivory-Craft		
	f) Sculpture		
Chapter - 3 :	IMPORTANT ASPECTS OF HANDICRAFTS	...	31
	a) Art		
	b) Science		
	c) Economics		
	d) Society		
Chapter - 4 :	WOOD-CRAFT	...	60
	4.1 History		
	4.2 Resources		
	a) Raw material		
	b) Implements		
	c) Capital		

d) Training Fecilities

4.3 Science

4.3.1 Process

a) Selection of Wood

b) Preparation of Wood

c) Technique

d) Polish

e) colour

4.3.2 Implements

4.3.3 Efficiency

4.4 Art

(a) Products

(b) Speciality of this art

4.5 Market

a) Local and National Market

b) International Market

c) Hurdles

4.6 Social & Economic aspects

Chapter - 5 : POTTERY ... 85

5.1 History

5.2 Resources

a) Raw Meterial

b) Capital

c) Training Facilities

5.3 Science

5.3.1 Process

a) Preparation of earth

b) Shaping the product

c) The Kiln

d) Colour

e) Decorating

5.3.2 Implements

5.4 Art

a) Products

b) Speciality of this Art

5.5 Market

5.6 Social & Economic aspects

Chapter - 6 : WOMEN'S HANDICRAFTS ... 109

6.1 Survey of Women's knowledge

a) Areas of women's work

b) Slection of Areas (territory)

c) Method

d) The nature of women's skills

e) Basis of constructive initiative

6.2 Constructive work

a) Training

	b) Production		
	c) Market Management		
	6.3 Important results		
Chapter - 7 :	POSSIBILITIES FOR CONSTRUCTIVE INITIATIVE	...	135
	7.1 Science & Technology		
	7.2 Market		
	7.3 Society		
LIST OF REFERENCES		...	141
Appendix-1 :	WOOD-CRAFT	...	143
Appendix-2 :	POTTERY	...	148
Appendix-3 :	CONTEMPORARY STONE IMAGE CRAFT OF KASHI	...	152
Appendix-4 :	ENAMELLING	...	157
Appendix-5 :	LIST OF CRAFTSMEN IN HANDICRAFTS OF KASHI	...	160
Appendix-6 :	NARI HASTKALA UDYOG SAMITI	...	162

HANDICRAFTS OF KASHI

(An Executive Summary)

Kashi provides an eminently suitable ground for the study of handicrafts. This is so because the great variety of handicrafts practiced here today are, as if, inseperably intertwined with the presence of an alomost unbroken cultural tradition. It helps us realise that the handicrafts are not just another industry in need of a market and finer technologies. A sweeping look at textiles, metal craft, wood crafts, pottery, ivory work and sculpture of Varanasi leaves a clear impression on the mind that neither these can be seen as completly separate from one another nor can the science of handifrafts be a legitimate theoretical category in the sense in which science is understood today. Although these crafts are in a state of great disarray owing to the long colonial intervention and the strict seperation between use value and aesthetic value in modern life styles, yet it can easily be seen that science, thechology, art, economics and social structure are expressed as a unity in them. It can reasonably be said that art constitutes the body of these crafts, technology gives the structure whereas the woldview of the craftsman constitutes the blood and the controlling system. And those social organisations which make all these a living reality constitute the soul. All these things are discussed in Introduction and chapter - 2 entitled Handicrafts or Kashi : An Overview.

The present work includes investigations into wood craft and pottery of Varanasi and a Constructive effort to organise women on the basis of their crafts. The report has one chapter each on these and a series of appendices containing small write-ups on several crafts written by the craftsmen themselves. Theoretical aspects are discussed in chapter - 3 and the last chapter, namely chapter - 7 contains some recommendations.

Intensive questionnaire based discussions with cakrftsmen in wooden toys industry constitutes the basis of Chapter - 4. This does not seem to be a very old art. The families doing it do not constitute a single caste either. In recent years there has been a growth in the export market and increase in the use of the power

driven lathe. However the economic condition of the craftsmen remains pitiable to say the least. Those working on the lathe earn upto Rs. 40 on a 10 hour working day. Those doing the carving earn even less. And these are not individual ernings, the site of work is in the house where more persons join in at verious stages. The skill and art are both of a fairly high order and the technical improvements they are themselves able to carryout but the resource situation and the market is outside their control. These two depend on the state-policy primarily. The market needs a popular Swadeshi intervention if the art is to survive. The Craftsmen themselves complain mainly about non-availablility of the Korayya wood which was earlier available and is most eminently suitable for their craft.

Chapter - 5 reports on pottery in Kashi. It is based on dialogue with several potters, visits to the work site including potter villages and some literature survey. The potters constitute a well defined caste, the Kumhars. They have an active panchayat whose activity is limited by the continuous disappearence of the opportunities for the potter in the growing modern market. With the capitalisation of the rural areas now very often they have to buy thier chief rew material namely soil. However the high art of this great tradition can still be seen not so much in the decorative articles but in the stock utensils of domestic use and the toys. Almost all of them at work possess high art and a temperament which is in contrast to the modern machanic. Peace seems to emanate from his looks, his work, his world view. And this constitutes the concrete context for understanding this technology. One does find motor driven wheels but they are not many and there is resistance to deploy them not because of any resistance to change but because it breaks the rhythm, disrupts the art and as if changes him into what he is not. It is difficult to see what modern scientist has which he can give to the potter. The outsider is so overwhelmed when he sees the whole operation going through various stages from the preparation of the soil to the finished product that he is in no position to suggest improvements in the technology, the suggestions when they come by are often born in arrogance and ignorance.

The effort with women's handicraft reported in chapter - 6 is a special feature of this project. In spite of emasculation that handicraft industry suffered

for long, aspects of its science, technology and art are still preserved by women. This is all the more striking because the associated social aspects values in particular seem to have survived along with. So the work with women was concieved especially to explore ways in which the handicraft industry can be reintegrated with the main stream society. This involved organising women from the rural areas and from the unorganised urban sectors, for putting their craft into economically feasible exercises. This meant short training and oriantation courses, designing, and the organisation of production and sales. The bulk of the work related to embroidery and some to making of decorative articles using grass and other local materials. It has unfolded the great possibility associated with the development of women's handicraft as a means to bringing into life their knowledge and skills. It was found druing the investigations that women of all castes and both rural and urban possess a store of knowledge and skill that is just untaped. They are quick in learning new methods and designes particularly those that have a non-voilent ring about them. If the importance of such things is not properly understood policy initiatives can be extremely destructive.

Chapter - 7 carries a set of recommendations relating to science and technology, the market and social organisation. They can be briefly stated as follows.

1. The ecologically sound nature of handicraft industry is enough qualification for it to constitute the basis of our industrial policy. How this can be done should be made the subject of a national debate.

2. The science of materials and techniques behind the handicraft industry has a glorious tradition of experimentation of astisan's scientific capacity shoudl have a proper place in the industrial policy of the nation. This may lead to such a transformation of modern industry too that it tends to become invirounment freindly, more efficient and people oriented.

3. Craftsmen must be encouraged for research and development in the area of science of materials and processes.

4. There should be restriction on the movement of raw materials over great distances.

5. Big industry must not be allowed to make things made in the handicraft industry.

6. Export of handicrafts must be restricted. It should be promoted only after their position is strong and stable in the local and national market.

7. Such studies of the market should be promoted which establish impartially the truth about subsidies, credit facilities, protection etc. in relation to handicraft industry vis-a-vis big industry.

8. Campaigns must be organised to spread the idea of Swadeshi and the desirability of the use of things prodeced in the neighbourhood.

9. Social organisations of the craftsmen, often called panchayats, should be accepted, promoted and strengthened. This alone stands unconditionally for the science, art and economies of both the craft and the craftsman.

आभारोक्ति

सर्वप्रथम हम उन सब शिल्पियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, जिनके बहुमूल्य समय का उपयोग हमने यह कार्य पूरा करने में किया है। उन्होंने जिस सहयोग की भावना एवं सहृदयता का परिचय दिया, उसे किसी आभारोक्ति में बाँधना न तो सम्भव है और न ही उचित। अतः इस मौके पर हम भारत की शिल्प परम्परा एवं उसे जीवित रखने वाले शिल्पी समुदायों को प्रणाम करते हैं।

यह कार्य आई. आई. टी. बम्बई में 28 नवम्बर से 3 दिसम्बर 1993 के बीच हुए परम्परागत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाधिवेशन की तैयारी स्वरूप किये गये कार्यों का एक अंग है। इस कार्य के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से आंशिक वित्तीय समर्थन प्राप्त हुआ। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। पी. पी. एस. टी. फाउण्डेशन, मद्रास की वाराणसी शाखा 'विकल्प' द्वारा प्रदत्त वित्तीय तथा ढाँचागत समर्थन के बगैर यह कार्य सम्भव न हो पाता।

इस अध्ययन की व्यवस्थाएँ प्रदान करने के लिए आई. आई. टी., बम्बई के प्रो. एच. एस. शंकर तथा आई. आई. टी., मद्रास के प्रो. अशोक झुनझुनवाला के प्रति हम विशेष रूप से आभारी हैं।

वाराणसी **चित्रा सहस्त्रबुद्धे एवं सहयोगी**

अप्रैल, 1994

सहयोगी

सुश्री शहनाज परवीन	:	काशी के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की महिलाओं के बीच वार्ता द्वारा उनके हस्तशिल्प कौशल के विभिन्न प्रकारों का संकलन कर तद्नुकूल प्रशिक्षण, उत्पादन तथा बिक्री को संगठित किया। काशी के ग्रामीण तथा नगर के मृत्तिका एवं काष्ठ शिल्पियों से वार्ता कर उनके शिल्प की विशेषताओं को एकत्र किया।
डॉ. रेवा रानी डे	:	नगर की मध्यम वर्गीय महिलाओं के बीच हस्तशिल्प के प्रशिक्षण, उत्पादन तथा बिक्री को संगठित किया। काशी के ग्रामीण तथा नगर के मृत्तिका एवं काष्ठ शिल्पियों से वार्ता कर उनके शिल्प की विशेषताओं को एकत्र करने में सहयोग प्रदान किया।
श्रीमती उर्मिला सिंह	:	ग्रामीण महिलाओं के बीच हस्तशिल्प के प्रशिक्षण एवं उत्पादन का संचालन किया।
श्रीमती शकुन्तला शर्मा	:	नगरीय महिलाओं के बीच हस्तशिल्प के प्रशिक्षण एवं उत्पादन का संचालन किया।

प्राक्कथन

हस्तशिल्प में 'विकल्प' की विशेष रूचि है। पी. पी. एस. टी. फाउण्डेशन की इस वाराणसी शाखा की स्थापना ही भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जीवन्त परम्पराओं पर विशेष ध्यान देने के लिए की गयी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी एक विशिष्ट दृष्टि है जो गांधी की निरन्तरता में समकालीन स्वदेशी दृष्टि के रूप में पहचानी जा सकती है। काशी में आज भी परम्परागत सांस्कृतिक सन्दर्भ अपने प्रबल रूपों में विद्यमान है। अतः काशी के हस्तशिल्प उद्योगों का अध्ययन भारत के विज्ञान, कला, अर्थ एवं समाज के परस्पर निर्भर एवं एकीकृत रूप को समझने का एक सुन्दर अवसर देता है। इसीलिए इन हस्तशिल्प उद्योगों के पुनर्निर्माण एवं इनमें कार्यरत लोगों के जीवन में सुधार जैसी बातों पर सामाजिक, आर्थिक पुनर्रचना के ठोस सन्दर्भों में कुछ वास्तविक विचार करने का आधार भी मिलता है। अतः इस अध्ययन में ये प्रयास तो हमने किये ही हैं साथ ही यह भी दिखाने का प्रयत्न किया है कि हस्तशिल्प उद्योग के विज्ञान की न कोई कला निरपेक्ष दृष्टि हो सकती है और न ही ये सामाजिक मूल्यों से स्वतंत्र कोई अस्तित्व ही रखते हैं। समग्रता में ही इन उद्योगों का प्राण और शरीर है और समग्रता में ही ये समाज को कुछ देने की क्षमता रखते हैं।

इस अध्ययन में कार्य पद्धति, निरीक्षण एवं वार्ताओं में आधुनिक विज्ञान के सिद्धान्त, विचार एवं तकनीकी शब्दावली में बँधने से बचने का प्रयास किया गया है। ऐसा करना दो कारणों से आवश्यक समझा गया। पहला तो आधुनिक विज्ञान का प्रशिक्षण हमें कारीगरों के कार्यों को समझने में बराबर बाधा बनता जान पड़ा। इसके चलते इन उद्योगों की विभिन्न प्रक्रियाएँ मात्र एक तकनीक के रूप में ही दिखायी देती थीं। दूसरे, हस्तशिल्प उद्योगों की विभिन्न प्रक्रियाओं के विशेषज्ञों के ज्ञान का विस्तार इतना अधिक बहुआयामी और विविध विषयों से सम्बन्ध रखने वाला है कि तकनीक के सहारे इसके आधारभूत विज्ञान की व्याख्या नहीं की जा सकती और इसलिए हस्तशिल्प उद्योगों का विज्ञान एक अलग वैचारिक श्रेणी के रूप में नहीं उभरता। किन्तु रिपोर्ट सम्प्रेषणीय हो इसके लिए एक सीमा में आधुनिक विद्या की श्रेणियों और तरीकों का इस्तेमाल किया गया है।

काशी के हस्तशिल्प उद्योग
विषय-सूची

			पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	:		... 3
अध्याय - 1	:	विषय-प्रवेश	... 9
अध्याय - 2	:	काशी के हस्तशिल्प उद्योग : सिंहावलोकन	... 15
		(क) वस्त्र उद्योग	
		(ख) धातु शिल्प उद्योग	
		(ग) काष्ठ कला उद्योग	
		(घ) मृत्तिका उद्योग	
		(च) हाथी दाँत उद्योग	
		(छ) पत्थर शिल्प उद्योग	
अध्याय - 3	:	हस्तशिल्प उद्योग के महत्त्वपूर्ण पक्ष	... 31
		(क) कलापक्ष	
		(ख) विज्ञान	
		(ग) अर्थ	
		(घ) समाज	
अध्याय - 4	:	काष्ठ शिल्प उद्योग	... 60
		4.1 प्राचीनता	
		4.2 संसाधन	
		(क) कच्चे माल का विवरण एवं उपलब्धता	
		(ख) औजार	

(ग) लागत पूँजी

(घ) प्रशिक्षण की सुविधाएँ

4.3 विज्ञान

4.3.1 निर्माण विधि के विभिन्न चरण

(क) लकड़ी का चुनाव

(ख) लकड़ी को तैयार करना

(ग) लकड़ी से शिल्प को साकार करना

(घ) मजाई

(च) रंगाई

4.3.2 औजार

4.3.3 कार्य क्षमता एवं उत्पादन क्षमता

4.4 कला

(क) विषय

(ख) कला की विशिष्टता

4.5 बाजार

(क) देशी बाजार

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार

(ग) बाजार के विकास में बाधाएँ

4.6 सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष

अध्याय - 5 : मृत्तिका शिल्प उद्योग

5.1 प्राचीनता

5.2 संसाधन

(क) कच्चे माल का विवरण तथा उपलब्धता

(ख) लागत पूँजी

(ग) प्रशिक्षण की सुविधाएँ

5.3 विज्ञान

5.3.1 निर्माण विधि के विभिन्न चरण

(क) मिट्टी की तैयारी

(ख) मिट्टी से कलाकृति को आकार देना

(ग) पात्रों को पकाना

(घ) रंगाई

(च) नक्काशी

5.3.2 औजार

5.4 कला

(क) विषय-वस्तु

(ख) कला की विशिष्टता

5.5 बाजार

5.6 सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष

अध्याय - 6 : नारी हस्तशिल्प उद्योग ... 109

6.1 स्त्री-ज्ञान का संकलन

(क) स्त्री के कार्य क्षेत्रों का चुनाव

(ख) भौगोलिक क्षेत्रों का चुनाव

(ग) स्त्री-ज्ञान के संकलन की पद्धति

(घ) संकलित स्त्री-कौशल का प्रकार

(च) रचनात्मक पहल के आधार

6.2 रचनात्मक कार्य

		(क) प्रशिक्षण	
		(ख) उत्पादन	
		(ग) बाजार की व्यवस्था	
		6.3 महत्त्वपूर्ण नतीजे	
अध्याय - 7	:	रचनात्मक पहल के सम्भावी मार्ग	... 135
		7.1 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	
		7.2 बाजार	
		7.3 समाज	
		सन्दर्भ सूची	... 141
परिशिष्ट - 1	:	काष्ठ शिल्प उद्योग	... 143
परिशिष्ट - 2	:	मृत्तिका शिल्प उद्योग	... 148
परिशिष्ट - 3	:	काशी की वर्तमान पत्थर मूर्ति कला	... 152
परिशिष्ट - 4	:	काशी की मीनाकारी	... 157
परिशिष्ट - 5	:	काशी के हस्तशिल्प उद्योग के कारीगरों की सूची	... 160
परिशिष्ट - 6	:	नारी हस्तकला उद्योग समिति	... 162

अध्याय - 1

विषय-प्रवेश

हस्तशिल्प उद्योगों की समाज में महत्त्वपूर्ण भूमिका को हर युग में स्वीकार किया गया है। हमारे परम्परागत समाज में तो हस्तशिल्प उद्योग और समाज एक दूसरे पर परस्पर निर्भर थे और समाज के संगठन और गति में इन उद्योगों की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। इस समाज में सभी उद्योग हस्तशिल्प उद्योग की श्रेणी में ही आते थे क्योंकि सुन्दर और उपयोगिता की वस्तुओं में कभी अन्तर ही नहीं किया जाता था। यही कारण है कि दैनिक जीवन के सभी आयामों में शिल्प का स्थान था। जैसे घर के आँगन, दरवाजे, दीवारें, ताखे, झालें, खिड़कियाँ, ओसारे आदि शिल्प से सज्जित होते थे। कुएँ की जगत, तेल निकालने का कोल्हू, रसोई के पत्थर, मिट्टी और धातु से बने पात्र आदि पर नक्काशीदार शिल्प होता था। आभूषण तो कला के उत्कृष्ट एवं सुन्दर नमूने होते थे और वस्त्रों पर की गयी कारीगरी की विविधता का वर्णन कर पाना भी मुश्किल है। पूजा गृह, पूजा के पात्र और देवमूर्तियों की गढ़ाई में तो कला अपने पूरे निखार पर थी। जीवन का कोई भी आयाम शिल्प से अछूता नहीं था। ऐसे समाजों में शिल्प जीवन के विचार, दर्शन तथा ज्ञान दृष्टि के रूप में साकार होता है न कि मात्र इन्द्रिय सुखों के रूप में। जीवन-दर्शन और समाज की गति दोनों की दिशा निर्धारित करने में हस्तशिल्प उद्योगों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती थी।

वर्तमान दृष्टि के तहत हस्तशिल्प उद्योगों की समाज में कोई भूमिका ही नहीं है। समाज की गति से निष्कासित किये गये उद्योग समाज में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभा सकते हैं? आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और पश्चिमीकरण जो एक ही सामाजिक प्रक्रिया के विभिन्न नाम है, ने हस्तशिल्प उद्योगों की आत्मा को ही कुचल दिया है। वस्तुओं की सुन्दरता और उपयोगिता का आधार अलग-अलग हो गया। परिणामतः समाज के कला और विज्ञान के आधार ही बदल गये। कला और विज्ञान एक दूसरे से अलग और निरपेक्ष होकर सामाजिक मूल्यों से भी निरपेक्ष हो गये। कला केवल इन्द्रियों के सुख का साधन रह गई। आज की यथार्थवादी कला भी चाहे उसके विषय समाज के प्रताड़ित तबकों से सम्बन्धित हों समाज के अन्य आयामों से निरपेक्ष हो एक प्रकार के भौतिक सुख की सीमा में बंधी हुई है। विज्ञान प्रकृति के दोहन का साधन बन गया है। मनुष्य को प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ जीव मानकर मनुष्य का हित ही सर्वोपरी हो गया। ऐसी दृष्टि के चलते हस्तशिल्प उद्योग निरन्तर प्राणहीन होते गये हैं।

हस्तशिल्प उद्योगों के पुनर्जीवित करने के प्रयास इस सदी के प्रारम्भ में स्वदेशी आन्दोलन के द्वारा किये गये। श्री आनंद कुमार स्वामी ने स्वदेशी कला एवं स्वदेशी हस्तशिल्प उद्योगों के विभिन्न

आयामों को सामने रखा। यद्यपि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुये कार्यों में ही एक बार फिर इन उद्योगों के बारे में एक समग्र दृष्टि को वास्तविक रूप मिला और हस्तशिल्प उद्योग समाज के पुनर्संगठन के एक सक्रिय अंग के रूप में प्रस्थापित हुआ। स्वतंत्रता के बाद इन प्रयासों की निरन्तरता टूट गई। छोटे उद्योग और बड़े उद्योग का भेद निर्माण कर तथा छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों का मातहत बनाकर समाज को छिन्न-भिन्न कर दिया। समाज के तबके एक दूसरे के पूरक न होकर किसी मशीन के निर्जीव पुर्जे बन गये जिनसे जैसा चाहे वैसा ही काम करवा लिया जा सकता हो और जिनको जब चाहे तब निकाल फेंका जा सकता हो।

इसी आधार पर परम्परागत समाज के हस्तशिल्प से जुड़े तबके जिनमें दस्तकार, स्त्रियाँ एवं किसान आते हैं, समाज से बहिष्कृत हो गये। समाज में उनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं रह गई। इसके चलते किसान को उसकी खेती के बारे में, दस्तकारों को उनके शिल्प के बारे में, स्त्रियों को बच्चों के जन्म और पालन-पोषण करने के बारे में सलाह एवं प्रशिक्षण दिया जाना, ऐसे लोगों द्वारा जिन्होंने कभी इन कामों को नहीं किया है, असंगत, तर्कहीन और अवैज्ञानिक नहीं माना जाता। सदियों से जो तबके या व्यक्ति शिल्प का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ और समाज की मांग के हिसाब से करते आये हैं उनके ज्ञान को सर्वथा नकार दिये जाने को गलत नहीं माना जाता। भारतीय हस्तशिल्प पर गर्व करने वाले और सहानुभूति रखने वाले तबकों की दृष्टि भी इससे भिन्न नहीं है। हस्तशिल्प उद्योगों के कला, विज्ञान और अर्थ के पक्षों पर ऐसे लोगों की समझ और इन उद्योगों को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयास इन शिल्प उद्योगों के रहे-सहे चिन्ह मिटाने में ही सहायक हो रहे हैं। हस्तशिल्प उद्योगों के कलापक्ष, तकनीकी पक्ष और आर्थिक पक्ष में ऐसे ही कुछ प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित करना अप्रासंगिक न होगा।

लोककला और परम्परागत शिल्प के कलापक्ष में सुधार लाने के लिये माध्यमों में परिवर्तन किया जा रहा है। उदाहरण के लिये मधुबनी चित्रों, में, रासायनिक पक्के रंगों का प्रयोग, काशी के काष्ठ शिल्पों में अत्यन्त चटकीले रंगों का प्रयोग, वस्त्रों, में कृत्रिम धागों का प्रयोग आदि शिल्प के कला पक्ष को कमजोर करते हैं। ऐसे प्रयोग रंगों के संतुलन को नष्ट करते हैं। काशी की दुर्गा प्रतिमाओं में भाव एवं भंगिमाओं को मांसपेशियों के खिंचाव द्वारा प्रस्तुत करना कला के संदर्भ, भाव तथा रस को नष्ट करते हैं।

हस्तशिल्प के तकनीकी पक्ष में सुधार के प्रयास सामाजिक मूल्यों से निरपेक्ष मात्र कार्य क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किये जाते रहे हैं। उपयुक्त तकनीकी के नाम से नये ही क्षेत्र ने विस्तार पाया है। जिसके अन्तर्गत परम्परागत हस्तशिल्प के तकनीकी पक्षों की कार्य क्षमता बढ़ाने का कार्य भी किया गया है। ऐसे सभी प्रयास अपने इस उद्देश्य में तो असफल रहे ही हैं हस्तशिल्प उद्योगों के विज्ञान और कला को भी नींव से ही नष्ट कर दे रहे हैं। दस्तकार की अपने शिल्प की विशेषज्ञता को समाप्त करने में भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।

तीसरा पक्ष अर्थ या बाजार की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है जिससे समाज की रुचियों के अनुसार हस्तशिल्प उद्योगों में उतार-चढ़ाव आते हैं। जीवन पद्धति के बदल जाने से लोगों की रुचियों में परिवर्तन आया है। ऐसे परिवर्तन अंग्रेजों के आने से पहले भी आते रहे हैं किन्तु वे सामाजिक मूल्यों का आधार नहीं छोड़ते थे। अंग्रेजों ने डण्डे के जोर पर यहाँ के शिल्प उद्योग को नष्ट कर तथा विदेशी माल की खपत को बढ़ाकर लोगों की रुचि में परिवर्तन लाये। वर्तमान में लोगों की रुचियों में आये परिवर्तन के आयाम कुछ अलग ही है। इन रुचियों में सामाजिक मूल्यों को स्थान ही नहीं है। फैशन के तौर पर हैण्डलूम और क्षेत्रीय शिल्पकलाओं के प्रति रुझान बढ़ा है। किन्तु उन तबकों की उपेक्षित सामाजिक स्थिति के प्रति कोई संवेदना नहीं है जो इन कलाओं से जुड़े थे या हैं। इस रुचि का आधार स्वार्थ में ही है। यही कारण है कि इन शिल्पों की उन्नति के लिये निर्यातोन्मुख बाजार की खोज ही एकमात्र मार्ग के रूप में उभार कर लायी जाती है जो सच में तो शासन और व्यापारी वर्ग के व्यावसायिक स्वार्थ को ही पुष्ट करते हैं। निर्यातोन्मुख नीति कुछ गिने-चुने शिल्पकारों को तात्कालिक राहत तो देती है किन्तु बड़ी संख्या में अन्य शिल्पकारों की कला और तकनीक को नष्ट कर देती है और उन्हें मात्र श्रमिक बना देती है। मधुबनी चित्रों को बनाने वाले दस्तकारों का उदाहरण इस बात को समझने के लिए पर्याप्त है।

वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य हस्तशिल्प उद्योगों को उनकी समग्रता में समझने का है। भारतीय विज्ञान और प्रोद्योगिकी की जीवंत परम्पराओं के रूप में हस्तशिल्प का विशेष महत्व है। हालांकि लम्बे औपनिवेशिक दौर में यहाँ की विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर हर कोण से प्रहार हुआ तथा वे केवल एक सर्वथा छिन्न-भिन्न एवं निजीकृत अवस्था में ही जीवित रह सकीं तथापि समाज, उसके मूल्यों तथा कला परम्परा की वास्तविकताओं के संदर्भ में देखा जाय तो आज भी हस्तशिल्प उद्योग राष्ट्रीय स्तर पर एक वैकल्पिक औद्योगिक व्यवस्था के बारे में सोचने का आधार देते हैं। काष्ठ, मृत्तिका, वस्त्र,पत्थर, लौह व अन्य धातुओं के हस्तशिल्प उद्योग अपने समाज की उस क्षमता से हमारा परिचय कराते हैं जिसका कोई उपयोग अभी तक राष्ट्र के पुनर्निर्माण में नहीं किया गया है। इन सब उद्योगों की एक सामान्य चर्चा काशी के संदर्भ में प्रथम दो अध्यायों में की गई है। काष्ठ एवं मृत्तिका उद्योगों में कार्यरत लोगों के बीच जाकर तथा उनसे विस्तृत वार्ता करके उनके कार्य के विभिन्न अवयवों को समझने की कोशिश की गई। इनकी चर्चा अध्याय 4व 5 में की गई है तथा कारीगरों द्वारा खुद अपने कार्य एवं समस्याओं का आंकलन भी परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित किया गया है।

काशी में इस अध्ययन का विशेष अर्थ है। तकनीकी व्यवस्थाओं में आयी हुई छूट तथा सर्वथा परकीय बाजार व सार्वजनिक व्यवस्था के चलते जो प्रतिकूल प्रभाव हस्तशिल्प उद्योग पर पड़ता है वह शायद अन्य स्थानों की तुलना में काशी में कम हो। भारत की सांस्कृतिक परम्परा और उसकी शिल्पी जातियों का योगदान दोनों ही काशी में अपनी प्रबल उपस्थिति का एहसास देते हैं। शायद यही कारण है कि आर्थिक व्यवस्थाओं की प्रतिकूलता के बावजूद तकनीक और कला में अभी भी

एकता के रूप पहचाने जा सकते हैं। अध्याय-2 में काशी के विशिष्ट संदर्भ से ही पाठक अवगत होता है।

हस्तशिल्प उद्योगों की सामाजिक भूमिका के समाप्त हो जाने के बावजूद इन उद्योगों से जुड़ी कला, विज्ञान और तकनीक के अंश अपने सामाजिक मूल्यों के साथ आज भी समाज के कुछ तबकों में जीवित रूप में बच गये हैं। इन तबकों में सबसे विस्तृत तबका स्त्रियों का है। स्त्रियों के पास विद्यमान हस्तशिल्पों में परम्परागत शिल्पों के बीच के अभिन्न सम्बन्धों की पहचान आज भी शेष है अर्थात् सामाजिक संगठन के उन प्रकारों की सार्वजनिक पहचान स्त्री वर्ग में दिखाई देती है जो हस्तशिल्प उद्योगों के प्राण हो सकते हैं। चूँकि हस्तशिल्प उद्योग के विज्ञान और तकनीक का प्रश्न सामाजिक पुनर्निर्माण के प्रश्न में एकीकृत है और इन सामाजिक मूल्यों तथा परम्परागत ज्ञान और कौशल को संजोकर रखने वाला सबसे व्यापक वर्ग स्त्रियों का ही है। अतः हस्तशिल्प के संदर्भ में हमने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग के तहत स्त्रियों के पास विद्यमान ज्ञान, विद्या और कौशल का संग्रह कर हस्तशिल्प के उत्पादन और बाजार का प्रयास किया। इसके जरिये उपलब्ध ज्ञान परम्परा उसके विकास की संभावनाओं, उत्पादन क्षमता तथा बाजार के प्रकार का आंकलन किया गया है। इसकी चर्चा अध्याय-6 में की गई है।

अध्याय-7 में अध्ययन से निकले निष्कर्षों की चर्चा है। विशेषकर के हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये कैसी नीतियाँ होना आवश्यक है तथा उसके लिये कैसे सरकारी, स्वयंसेवी एवं अन्य सार्वजनिक प्रयास किये जाने चाहिये इसकी चर्चा की गई है।

अध्याय-2

काशी के हस्तकला उद्योग : सिंहावलोकन

प्राचीन काल से ही काशी एक नगर के रूप में स्थापित रही है। नगरीय सभ्यता की निरन्तरता और विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ उद्योग और व्यापार को फलने-फूलने के सभी अनुकूल साधन प्रचुरता में उपलब्ध रहे हैं। नगर की भौतिक सम्पन्नता का आधार यहाँ के उद्योग और व्यापार में भी रहा है। किन्तु काशी की आध्यात्मिक संस्कृति ने इन उद्योगों को एक विशिष्टता प्रदान की है। हजारों वर्षो से यह नगरी श्रेष्ठ तीर्थ, विभिन्न धर्मों की जन्मस्थली, शिक्षा एवं कला का केन्द्र, ज्ञान, विज्ञान,दशर्न,विचार को परिमार्जित एवं विकसित करने की स्थली तथा सृजन,चिंतन,मनन,साधना एवं तपस्या की स्थली रही है। यहाँ के हस्तशिल्प एवं कला-उद्योग मानवीय सक्रियता के अत्यन्त उच्च स्तर के प्रकारों के बीच आध्यात्मिक लोक के जीवंत सान्निध्य में फले-फूले हैं। अतः आश्चर्य नहीं कि अलौकिकता और अद्वितीयता इनकी विशिष्टता हो।

काशी के बने वस्त्र अद्वितीय माने जाते रहे हैं। बारीक ताने-बाने की बुनाई के साथ पवित्रता और निर्मलता से संस्कारित ये वस्त्र स्त्रियों के सौभाग्य का प्रतीक हैं तथा वैरागी और साधु-सन्यासियों के लिये मायामोह के बन्धन से मुक्त होने का पवित्र परिधान भी हैं। हस्त-शिल्प उद्योगों में वस्त्र उद्योग आज भी नगर का सबसे प्रमुख उद्योग है। इनके अलावा काष्ठ-शिल्प,धातु-शिल्प,मृत्तिका-शिल्प एवं पत्थर पर अलंकरण के शिल्प उद्योग भी प्रमुख हैं। इन सभी उद्योगों की यहाँ एक लम्बी परम्परा रही है।

वैदिक साहित्य में काशी को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। अतः वैदिक साहित्य में काशी के कला, उद्योग एवं व्यापार की कोई जानकारी नहीं मिलती है। किन्तु बौद्व और जैन साहित्य में वाराणसी के उद्योग, व्यापार, उपज और कारीगरों की निपुणता के पर्याप्त विवरण मिलते हैं। महाजनपद युग में काशी के वस्त्र, सुगंधित द्रव्य, काष्ठ एवं हाथी दांत के कला-उद्योग समृद्धि पर होने के विवरण मिलते हैं। काष्ठ कारीगरों की एक बड़ी बस्ती नगर में थी। यहाँ के व्यापारी इन कला सामग्रियों को दूर-दूर के देशों तक जाकर बेचते थे। जातक कथाओं में बनारस के व्यापारियों द्वारा समुद्र यात्रा के उल्लेख भी मिलते हैं। (3,पृ049) कुषाण युग से गुप्तकाल और हर्षवर्धन के समय तक की काशी में मिली पत्थर की मूर्तियों से यह स्पष्ट होता है कि बनारस में शिल्पियों की एक बड़ी संख्या थी। गाहड़वाल युग (10 वीं से 12 वीं सदी) की मिली मूर्तियाँ भी कला की दृष्टि से अनुपम हैं। यहाँ के शिल्पी पत्थर पर अलंकरण उकेरने में विशेष रूप से दक्ष थे। 12वीं सदी के पूर्व तक निरन्तर भव्य मन्दिरों के निर्माण यहाँ के कुशल वास्तुविदों का परिचय देते रहे हैं। गुप्तकाल की बड़ी संख्या में मिली मृण्मूर्तियाँ यहाँ के उन्नत एवं कलापूर्ण मृण्मय उद्योग की एक झलक प्रस्तुत

करती हैं। मुगल काल में भी ये हस्तशिल्प उद्योग उन्नत अवस्था में रहे। अंग्रेजों के आने से पूर्व तक इन कला उद्योगों में नये आयाम जुड़ते रहे हैं और अपनी श्रेष्ठता को बनाये रखने में ये समर्थ रहे हैं।

प्रस्तुत अध्याय में इन हस्तशिल्प उद्योगों के उन्नत इतिहास एवं वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने की कोशिश की गई है। काशी के हस्तशिल्प उद्योगों की विशिष्टता के अनेकानेक पहलू हैं, किन्तु इन उद्योगों की लम्बे काल की निरन्तरता एवं निर्विवाद श्रेष्ठता (जैसे वस्त्र उद्योग की) कुछ पहलूओं को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना देती है। कला पक्ष एवं तकनीक के प्रकार किसी भी हस्तशिल्प के महत्वपूर्ण पहलू है। किन्तु कारीगर की विश्वदृष्टि और समाज के संगठन से इन उद्योगों का रिश्ता ये वे महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिनके बगैर इन कला उद्योगों के उन्नत इतिहास एवं वर्तमान ह्रास के कारण और उत्थान के संभावित मार्गो की खोज संभव नहीं है। सच तो यह है कि कलापक्ष इन उद्योगों का शरीर है, तकनीक ढाँचा है, कारीगर की विश्वदृष्टि रक्त और नियंत्रण तंत्र है, और समाज संगठन के वे प्रकार जो इन उद्योगों से सक्रिय रिश्ते में रहे हैं इन उद्योगों के प्राण हैं। काशी का कारीगर इन सभी पक्षों के बारे में मौलिक समझ रखता रहा है। किसी तपस्वी की भाँति ही गहन चिंतन एवं मनन की विभिन्न स्थितियों से वह गुजरता रहा है और अपने उद्योगों के द्वारा ज्ञान, विज्ञान, यांत्रिकी, कला, नीति, धर्म और समाज के बारे में मौलिक समझ का परिचय देता रहा है।

काशी के सभी परम्परागत हस्तशिल्प उद्योग एवं अधिकांश आधुनिक उद्योग कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। इन उद्योगों की सूची लम्बी है। परम्परागत हस्तशिल्प उद्योगों में मुख्य रूप से वस्त्र, धातु, मिट्टी, काष्ठ, हाथीदांत एवं पत्थर के शिल्प उद्योग है। इनके अलावा जरी निर्माण, रंगमंच के लिये परदे एवं मुखौटे बनाना, शृंगार सामग्री में चूड़ी, सिंदूर एवं टिकुली बनाना, राखी बनाना, फूलों द्वारा सजावट की सामग्री बनाना, वस्त्र के कैलेण्डर बनाना आदि भी महत्वपूर्ण शिल्प उद्योग हैं। ऐसे तो खाद्य उद्योग हस्तशिल्प की श्रेणी में नहीं लिये जाते हैं किन्तु काशी के खाद्य उद्योगों में जो कौशल दिखाई देता है वह किसी कला की कारीगरी से कम नहीं है। लम्बी और महीन सेवइयाँ, मिठाईयों के एक से बढ़कर एक असंख्य प्रकार, आलू के पापड़, विभिन्न प्रकार के अचार और मुरब्बे कारीगरों के कौशल का परिचय देते हैं। गली-गली में मिठाई के उत्कृष्ठ श्रेणी के कारीगर मिल जाते हैं। बनारसी पान को बनाने की तकनीक और कारीगरी भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। आधुनिक उद्योगों में मोती बनाने का उद्योग एक प्रमुख उद्योग है। काशी की भूमि कुशल कारीगरों को गढ़ती रही है। अतः परम्परागत उद्योगों से रोटी कमाने की संभावनायें घट जाने पर इन्हीं में से कुछ कारीगर भौतिक तुला बनाने, पम्प और पंखा बनाने के उद्योगों में लग गये। प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त होने वाली वैज्ञानिक भौतिक तुला बनाने का काम कुटीर उद्योग के रूप में इस नगर में होता है। कुटीर उद्योगों में वस्त्र, धातु, काष्ठ मिट्टी और पत्थर के हस्तशिल्प उद्योगों की चर्चा कुछ विस्तार में यहाँ की जायेगी।

(क) वस्त्र उद्योग

हस्तशिल्प उद्योगों में काशी का वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा उद्योग है। भगवान बुद्ध के जन्म के भी पूर्व से काशी के वस्त्रों की ख्याति दूर देशों तक फैली थी। काशी के वस्त्र काशी कुत्तम या काशीय कहे जाते थे। ये वस्त्र अत्यन्त महीन होने के बावजूद इतने गठे बुने हुये होते थे कि तेल भी इनमें सोंखा नहीं जाता था। बौद्ध साहित्य के विवरणों से ज्ञात होता है कि भगवान बुद्ध का मृत शरीर काशी या वाराणसी के बने वस्त्र में लपेटा गया था। काशी के वस्त्र नीली झलक लिये होते थे। कभी पीले, लाल और सफेद रंग के भी होते थे। ये वस्त्र दोनों ओर से बराबर चिकने और मुलायम होते थे। जातक कथाओं में वाराणसी के वस्त्रों का उल्लेख किया गया है जिसे प्रायः रेशमी वस्त्र ही समझा गया है। किन्तु प्राचीन काल और शायद मध्यकाल के बहुत लम्बे समय तक काशी मुख्यतः सूती वस्त्रों के लिये ही प्रसिद्ध था। यहाँ के रेशमी वस्त्रों के उल्लेख धार्मिक या ललित साहित्य में भी स्पष्टता से नहीं आये हैं। काशी के आस-पास कपास की अच्छी पैदावार होती थी। बौद्ध साहित्य में काशी की कपास की खूबियों, कत्तनों और बुनकरों की होशियारी तथा कौशल की प्रशंसा की गई है। महाजनपद काल में यहाँ क्षौम मिश्रित कंबल भी बनाये जाते थे। महावग्ग के अनुसार जीवक कुमारभृत्य को एक ऐसा ही कंबल काशीराज से उपहार में मिला था। इसी ग्रंथ में दूसरी जगह कहा गया है कि एक समय काशी के राजा ने जीवक की सेवाओं से प्रसन्न होकर कंबल उपहार में भेजा (3,पृ0 47)।

इसी काल में वाराणसी में वस्त्रों पर कसीदे का काम भी होता था जिसे कासिक सूची वस्त्र कहते थे। सारनाथ स्थित धम्मेक स्तूप पर बाहर से पत्थर पर की गई नक्कासी उस काल में वस्त्रों पर की जाने वाली सुईकारी कार्य (कसीदा) की नकल मानी गई है (9)।

भारतीय वेश-भूषा में सिले हुए कपड़े पहनने का प्रचलन अपेक्षतया कम रहा है। किन्तु सिलाई एवं कढ़ाई की कारीगरी में लोग दक्ष थे। इसके प्रमाण जातक कथाओं की कुछ कहानियों में मिलते हैं। इस सम्बन्ध में एक कहानी का उल्लेख यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगा। यह कथा सुई बनाने वाले की है। एक बार बोधिसत्व ने एक सूईकार के यहाँ जन्म लिया। उन्होंने लोहार की एक कन्या से विवाह करना चाहा। उन्होंने बहुत अच्छे किस्म के लोहे से एक सुई बनाई जो इतनी महीन और हल्की थी कि पानी पर तैर सकती थी। इस सुई को उन्होंने एक कोश में रखा और उस कोश को एक नाली में और इस नाली को एक पेटी में रखकर वे लोहार गाँव में जाकर फेरी लगाकर आवाज देने लगे—''मेरी सुई सीधी और चिकनी है, इसमें डोरा जल्दी पिरोया जा सकता है। कोरण्ड से इस पर पालिस की गई है, इसकी नोक तेज है, सुई कौन लेगा।'' फिर कहता है ''जल्दी पिरोई जाने वाली सीधी और मजबूत, ठीक तरह से गोल की हुई मेरी सुई कौन लेगा।'' सुई की प्रशंसा सुनकर लड़की बाहर आती है और कहती है ''हमारी सुइयाँ चारों ओर बिकती हैं, और लोग हमारे गाँव में बनी सुइयों

से भली-भाँति अवगत हैं फिर यहाँ सुइयाँ कौन बेचने आया है? लोहे के काम में हमारी ख्याति है, हमारे हथियार सबसे अच्छे बनते हैं फिर यहाँ सुइयाँ कौन बेच सकता है।'' (4,पृ.42)।

इस कथा में उस समय लौह उद्योग के उन्नत होने का आभास मिलता ही है साथ ही सुइयों की मांग काफी थी यह भी प्रकट होता है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि काशी और पुंड्र मौर्य युग में क्षौम वस्त्र के लिये विख्यात थे। पतंजली के अनुसार काशी के वस्त्र लम्बाई और चौड़ाई में मथुरा में बने वस्त्रों के बराबर होते थे। किन्तु इनके मूल्य अलग होते थे। तात्पर्य यह था कि काशी के वस्त्र महंगे होते थे। जो उनकी श्रेष्ठ गुणवत्ता को स्पष्ट करते हैं। लेकिन काशी के वस्त्र पहनना उस समय भी गौरव की बात थी। शुंग और कुषाण युग में गुजरात के भरौंच नगर में काशी के वस्त्रों की बिक्री की एक अलग दुकान होने के विवरण मिलता है। (3,पृ0 60एवं पृ079)।

गुप्तकाल और हर्षवर्धन के समय आये चीनी यात्रियों के विवरणों में आश्चर्यजनक रूप से काशी के वस्त्र उद्योग का उल्लेख नहीं मिलता है।

ग्यारहवीं सदी में गांगेयदेव कलचूरी के अधिकार में काशी रही। इसी के शासन काल में अहमद नियाल्तगिन द्वारा काशी के बाजारों को लूटने की घटना का विवरण मिलता है। इस लूट में काशी के कीमती वस्त्रों की लूट भी शामिल थी। कलचूरियों को हटाकर काशी में गाहड़वालों का सुव्यवस्थित शासन काल है। लेकिन वस्त्र उद्योग की स्थिति क्या थी उसके प्रमाण नहीं मिले हैं। 14वीं सदी में कबीर का आगमन है जो स्वयं जुलाहे थे। काशी के इस संत कवि ने वस्त्र उद्योग की विभिन्न प्रक्रियाओं को आधार बनाते हुये सामाजिक विचार एवं दर्शन की उन अवधारणाओं को आकार दिया जो आज तक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिये लगे साधकों के लिये प्रेरणा का स्त्रोत बनी हुई है। काशी में इस समय भी मुख्यतः सूती वस्त्र ही बनते थे। मुगल काल में सूती पगड़ियाँ बनाने के बड़े-बड़े कारखाने थे। इन कारखानों का विवरण ब्रिटिश यात्रियों के विवरणों में मिलता है (3, पृ0 202,पृ0 215)।

ब्रिटिश यात्रियों में कुछ के विवरणों में काशी के रेशमी वस्त्रों का उल्लेख भी मिलता है। तावेर्निये (3,पृ0 215) ने कपड़ा बाजारों का वर्णन किया है। मनुकी के अनुसार सोने और चाँदी के तार बनाने का बहुत काम होता था। खुलसावत उत्तवारिख से यह पता चलता है कि लगभग 1720 के आस-पास काशी के वस्त्रों में सूना और मिहूमुल मुख्य प्रकार थे (4)।

अट्ठारहवीं सदी से सोने और चाँदी की तारों से की गई बुटीदारी के रेशमी वस्त्र अपनी सुन्दरता और कारीगरी में बेजोड़ होने के विवरण काशी के अंग्रेज अधिकारी, यात्री एवं व्यापारियों के विवरणों में स्पष्टतः मिलते हैं।

सर जार्ज वाट ने बनारस के किमखाब और जरी के रेशमी वस्त्रों के बारे में कहा है कि सोने के तार से की गई रेशमी वस्त्रों पर बुनाई आमरू कहलाती थी तथा सोने या चाँदी के तारों के साथ रेशम की बुनाई (कलाबत्तू) किमखाब कहलाती थी (4)।

सोने और चाँदी के तार तथा कलाबत्तू नगर के कारीगर ही बनाते थे। लेकिन बाद में कलाबत्तू सूरत या फ्रांस से आयात किया जाने लगा। रेशम बंगाल,चीन और मध्य एशिया से आयात किया जाता रहा।

वर्तमान में नगर में रेशमी वस्त्रों की बुनाई ही मुख्य उद्योग है। सूती वस्त्र अब नगर से दूर मऊ में होता है जहाँ इस सदी में हथकरघा पर सूती वस्त्र बनाये जाते रहे हैं लेकिन अब वहाँ के अधिकांश कारीगर पावरलूम पर सूती वस्त्र बनाते हैं। नगर में रेशमी वस्त्रों की बुनाई हथकरघों पर ही होती है। साड़ियाँ, दुपट्टे, रुमाल, पीताम्बर आदि बनाये जाते हैं। अब सोने और चाँदी की जगह कृत्रिम जरी का उपयोग अधिक होने लगा है। स्क्रीन प्रिंटिंग की तकनीक से अब साड़ियों पर चित्रों की छपाई की जाती है। 1950 के बाद बनारसी साड़ियों का विदेशों में नये बाजार मिलने से छपाई की गई साड़ियाँ लोकप्रिय होती गईं।

नगर में अलईपुरा, लल्लापुरा, मदनपुरा और बजरडीहा में साड़ी बुनाई का काम होता है। जैतपुरा और आदमपुरा क्षेत्र में बुनकरों की बड़ी बस्तियाँ है। मदनपुरा के कारीगर सुन्दर, नाजुक और महीन अलंकरण के लिये प्रसिद्ध हैं। अलईपुरा के कारीगर बाजार की मांग की पैनी समझ रखते हैं और बुनाई के क्षेत्र में नित नवीन प्रयोगों के लिये पहचाने जाते हैं। लगभग सभी कारीगर मुसलमान हैं, जबकि व्यापारी हिन्दू हैं।

साड़ी तैयार करने के लिये कत्तिन, तानी भरने वाला बटैया, रंगरेज, नक्शेबंद, पत्ता काटने वाले, बुनकर, पालिश करने वाले आदि की जरूरत होती है। साड़ी के व्यापार में भी विभिन्न स्तरों पर दलाल और व्यापारी हैं। इस प्रकार नगर की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस उद्योग में लगा है। जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों हैं।

नगर में अब कालीन और कम्बल बुनाई का काम नहीं होता है। इक्के-दुक्के कारीगर कुछ मुहल्लों में इस उद्योग में लगे हैं किन्तु यह उद्योग अब वाराणसी जिले के भदोही खण्ड में ही होता है। यहाँ से देश-विदेशों में कालीन जाते हैं।

(ख) धातु उद्योग

काशी का धातु उद्योग अत्यन्त प्राचीन है। पुरातत्व खनन में धातु की बनी विभिन्न काल की मिली वस्तुयें यहाँ के धातु उद्योग की विकसित परम्पराओं को उजागर करती है। वस्त्र उद्योग के बाद धातु उद्योग ही प्रमुख उद्योग है जिसमें मुख्यतः धातु से शिल्प निर्माण का ही कार्य होता है।

हजारों वर्ष पूर्व ही काशी भारत का एक प्रमुख तीर्थ था। काशी का निरन्तर बढ़ता धार्मिक महत्व यहाँ के धातु उद्योग के लिये विशेष रूप से अनुकूल रहा। देवमूर्तियाँ, पूजा के पात्र, देवों के शृंगार एवं सजावट के सामान का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता रहा है। विभिन्न धातुओं को गलाने एवं मिश्र धातुओं को बनाने की तकनीक चरम उत्कर्ष पर पहुँची। यहाँ की बनी देवमूर्तियाँ एवं पूजा के पात्र देश भर में घरेलू देवगृह और सार्वजनिक मन्दिरों के लिये जाते रहे हैं। मन्दिरों के कलश और शिवलिंग कभी-कभी धातु के पत्तरों से ढके जाते रहे हैं। पूजा के पात्र एवं पत्तरों पर बहुत कलात्मक अलंकरणयुक्त आध्यात्मिक चित्र उभारे जाते हैं।

यहाँ के वस्त्र उद्योग में सोने और चाँदी के तारों का उपयोग होता रहा है। महीन से महीन तारों को बनाने में यहाँ के कारीगर कुशल रहे हैं।

काशी के कारीगर आभूषण बनाने में अत्यन्त कुशल रहे हैं। यहाँ की गुलाबी मीनाकारी इन आभूषणों को विशेष सौन्दर्य प्रदान करती है।

आयुर्वेद का प्राचीनतम केन्द्र होने के कारण काशी में अनेक रसशालायें थीं। आयुर्वेद में धातुओं के गुणों का गहन अध्ययन होता है और इनकी अत्यंत सूक्ष्म मात्रायें औषधि बनाने में प्रयुक्त की जाती रही है। अतः विभिन्न धातुओं के गुणों के जानकार, अध्ययनकर्त्ता एवं प्रयोगधर्मी नगर में रहते थे जो विज्ञान के सैद्धान्तिक पक्षों को भी समृद्ध करते रहे हैं।

प्राचीन काल से नगर से कुछ दूर दक्षिण में स्थानीय निवासी लोहा बनाने की तकनीक से अवगत रहे हैं। आज भी इनमें से कुछ लोग इसी परम्परागत तकनीक से लोहा बनाते हैं। इस विधि द्वारा बनाया गया लोहा अत्यन्त उच्च गुणवत्ता का माना गया है। इस लोहे में जंग भी नहीं लगता। विश्व प्रसिद्ध दमिश्क की तलवारे इसी लोहे से बनी मानी जाती है। काशी की आरम्भ से ही अत्यन्त विकसित नगरीय परम्परा में लौह उद्योग के शिल्पियों का स्थान भी अवश्य रहा ही होगा। इतिहास के कई युगों में काशी पर उन मूल निवासियों का शासन रहा है जो काशी के दक्षिण में बसे मिर्जापुर एवं आसपास के क्षेत्रों में बसे हुये थे। लौह शिल्पियों द्वारा सेना के लिए विभिन्न प्रकार के हथियार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। आज भी नगर के दक्षिण में अहरौरा में लोहे की बड़ी मण्डी है।

काशी में दैनिक जीवन की आवश्यकता की सामग्री को भी बहुत कलात्मक ढंग से बनाया जाता रहा है। लोहा,हण्डा,गगरी,थाली, परात, सुराही, पानदान, इत्रदान, हुक्का, गहनों की संदूक आदि के सुडौल आकार एवं उन पर की गई नक्काशी सहज आकर्षित करती है। वर्तमान में अलंकृत लैम्प, इत्रदान, पानदान, फूलदान, राखदान, पशु-पक्षी और सजावट की विभिन्न सामग्री भी बनती है।

तुलसीदासजी द्वारा आरम्भ की गई रामलीलाओं ने नगर के कारीगरों को अपनी कला को दिखाने के नवीन माध्यम प्रदान किये। यहाँ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में रामलीलायें होती हैं। रामनगर की रामलीला तो विश्व प्रसिद्ध है। इन लीलाओं में मुखौटे एवं शृंगार सामग्री जैसे मुकुट आदि बनाने में नगर के धातु शिल्पियों का कौशल दिखाई देता है। अब ये मुखौटे कागज की लुगदी से बनते हैं। राजा, महाराजा नवाब एवं सेठ, साहूकारों के लिये विशेष रूप से कलात्मक सामग्री का निर्माण किया जाता था।

जार्ज बर्डबुड (1880) के लेखन में काशी के धातु उद्योग के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है। इस लेखन के अनुसार काशी में सोने और चाँदी की देवमूर्तियाँ बनायी जाती थीं। इसके अलावा कांस्य, पीतल तथा अन्य मिश्र धातुओं की जिनमें सोना, चाँदी, ताँबा, जस्ता, रांगा, पारा, सीसा और लोहा आदि आठ धातु मिलाये जाते थे, मूर्तियाँ एवं पूजा के पात्र बनते थे। घरेलू देवगृह के लिये पारा और रांगा के मूल से शिवलिंग बनाये जाते थे। जो अत्यन्त पवित्र माने जाते थे। तांबे से शिवलिंग, नाग, और सूर्य देवता बनते थे। दुर्गा, लक्ष्मी, कृष्ण, राधा और सरस्वती की एक से चार तोले तक की मूर्तियाँ बनती थी। शीतला माता की मूर्ति चाँदी की ही बनती थी। गलियों में ये सामान ढेर लगाकर बेचे जाते थें (10, पृ0 156-159)।

वर्तमान में यह सारी सामग्री बनती है (कृपया परिशिष्ट संख्या-4 देखें)। इस सदी से पीतल और तांबे की तारजाली बुनाई का उद्योग फला-फूला है। महीन से महीन तार जाली बुनने में यहाँ के कारीगर कुशल हैं। ये तार जालियाँ वस्त्र के समान ही करघे पर बुनी जाती है। जिनका उपयोग आधुनिक उद्योगों में महत्वपूर्ण पुर्जे के रूप में होता है। देश-विदेश में यहाँ की तारजालियाँ जाती है।

धातु उद्योग में लगे कारीगर अब अन्य रोजगारों में जाने लगे हैं। इस उद्योग के कारीगरों की बस्तियाँ मुख्य रूप से नगर के काशीपुरा, राजा-दरवाजा, गोविन्दपुरा और ठठेरी बाजार में हैं।

(ग) काष्ठ उद्योग

इस शिल्प के प्राचीन काल के पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते हैं किन्तु जातक कथाओं में काशी के बढ़ईगीरों की कहानियाँ मिलती है। काष्ठ शिल्पियों की एक बहुत बड़ी बस्ती नगर में थी। इनका मुख्य काम नगर निवासियों के लिये घरों का निर्माण करना तथा घरेलू आवश्यकता की सामग्री का निर्माण करना था (3,पृ0-47)।

इतिहास के विभिन्न युगों में काष्ठ एक महत्वपूर्ण कला माध्यम रहा है। काशी की लम्बी नगरीय परम्परा ने इस माध्यम का उपयोग न किया हो यह संभव नहीं है। काशी नगर के आस-पास बहुत घने जंगलों का क्षेत्र रहा है। इन वनों में विभिन्न जातियों के वृक्ष तथा वनस्पतियाँ मिलती रही है जो

आयुर्वेद में औषधि निर्माण और काष्ठ उद्योग में इस्तेमाल की जाती रही है। काष्ठ बहुत दिनों तक अपना अस्तित्व नहीं रख पाता है अतः पुरातात्विक प्रमाण मिलना अत्यन्त कठिन है किन्तु उपलब्ध साहित्य में भी इस शिल्प के बारे में नगर की परम्परा का उल्लेख अधिक नहीं मिलता है।

काशी के वर्तमान काष्ठ शिल्प उद्योग का इतिहास 400वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं माना जाता है। उन्नीसवीं सदी के ब्रिटिश यात्रियों ने काशी के इस उद्योग का जिक्र किया है। जार्ज बर्डबुड ने काष्ठ की उन देवमूर्तियों का उल्लेख किया है जो देवालयों में प्रतिष्ठित की जाती थीं या विसर्जित की जाती थीं।

वर्तमान काष्ठ शिल्प के तीन मुख्य प्रकार हैं—

1. खर्राद मशीन पर बनी शिल्प सामग्री
2. तराशकर गढ़ी हुई शिल्प सामग्री
3. बारीक नक्काशीदार सजावट सामग्री

पहले दो प्रकार ही अधिक प्रचलित हैं और काशी के खिलौने के नाम से जाने जाते हैं। बारीक नक्काशीदार वस्तुयें बनाने वाले कारीगर वास्तव में हाथी दाँत,ऊँट की हडडी एवं पत्थर पर नक्काशी करते रहे हैं और अब लकड़ी का माध्यम इस्तेमाल करने लगे हैं। काष्ठ उद्योग के बारे में अध्याय-4 में हम विस्तार से चर्चा करेंगे।

(घ) मृत्तिका उद्योग

मृत्तिका उद्योग काशी का एक महत्वर्पूण उद्योग रहा है। गंगा का विशाल तट नगर की ओर जो चिकनी मिट्टी छोड़ता है वह विशेष गुणों से युक्त है। इस मिट्टी के बने पात्र बेहद पतले होने के बावजूद अत्यन्त मजबूत होते हैं। काशी के कुल्हड़ पतले,हल्के किन्तु मजबूत होते हैं। इस मिट्टी से बनी ईंटें अच्छी पकने पर पत्थर के समान मजबूत और कड़ी हो जाती है। इस मिट्टी में जन्म लेने वाले लोग इस मिट्टी को अच्छी तरह जानते रहे हैं। मिट्टी की बनी मातृदेवियों की मूर्तियाँ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मूर्तियाँ बनाने के प्रमाण गुप्तकाल के भी पूर्व से यहाँ मिलते हैं। गुप्तकाल की मिली मृण्मूर्तियाँ इस शिल्प के कलापक्ष द्वारा प्राप्त किये गये उच्च शिखरों की झलक प्रस्तुत करती हैं। मूर्ति एवं खिलौने बनाने के अतिरिक्त यहाँ के कुम्हार अन्न भण्डारण, जल संग्रह एवं भोजन बनाने के पात्र बनाते रहे हैं। आज भी विशेष अवसरों पर स्वादिष्ट भोजन के शौकीन लोग मिट्टी के घड़ों में पकी दाल खाना पसन्द करते हैं। नगर की असंख्य मिठाई की दुकाने रसदार मिठाईयों की पैकिंग के लिये मिट्टी के पात्र ही उपयोग में लाती है। चाय, पानी और लस्सी तो मिट्टी के पात्र में ही आनन्द और तृप्ति देती हैं।

मिट्टी के शिल्पकारों को कुम्हार या कोहार कहा जाता है। ये चित्रकार भी है। मिट्टी के बर्तनों के अलावा लकड़ी, मिट्टी या कागज की बनी लगभग सभी शिल्प सामग्रियों की रंगाई एवं चित्रकारी का कार्य यहाँ के कोहार ही करते हैं।

काशी त्यौहार, मेला और उत्सवों की नगरी है। आये दिन कोई न कोई त्यौहार यहाँ होता है। इन त्यौहारों या मेलों में मिट्टी के खिलौने और सामग्रियों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। अतः यहाँ के कुम्हार वर्षभर व्यस्त रहते हैं किन्तु इनकी सामग्री इतनी सस्ती होती है कि ये मुश्किल से ही गुजर कर पाते हैं।

नगर में कुम्हारों की बस्तियाँ लक्सा, सोनारपुरा, कोनियाँ, खोजवाँ आदि क्षेत्रों में है। नगर से लगा हुआ कंदवा गाँव एक ऐतिहासिक गांव है जो मुख्यतः कुम्हारों का ही गाँव है। काशी के पास चुनार में चीनी मिट्टी के पात्र बनाये जाते हैं। इस उद्योग की विस्तार से चर्चा हम अध्याय-5 में करेंगे।

(च) हाथी दाँत उद्योग

काशी में इस कला की निरन्तरता के प्रमाण नहीं मिले हैं। जातक कथाओं में यहाँ के हाथी दाँत शिल्प उद्योग का विवरण मिलता है। पुरातात्विक खनन में मौर्य तथा शुंग युग की हाथी दाँत की कुछ सामग्री मिली है। यह उद्योग बहुत अधिक महत्वपूर्ण शायद किसी भी समय नहीं रहा। अट्ठारहवीं सदी के इस शिल्प के कुछ नमूने प्राप्त हैं जो स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाये गये हैं। वर्तमान काशीराज के पूर्वजों के संरक्षण में कुछ कारीगरों ने अत्यन्त कलात्मक सामग्री का निर्माण किया। हाथी दाँत उड़ीसा से लाया जाता रहा है।

(छ) पत्थर शिल्प उद्योग

नगर के आस-पास पुरातत्व उत्खनन में मौर्य युग, शुंग एवं कुषाण काल और गुप्तकाल की प्राप्त मूर्तियों एवं शिला लेखों से यह तो स्पष्ट होता है कि काशी में इस शिल्प कला की परम्परा रही है किन्तु इनके निर्माणकर्ता इसी नगर के निवासी होने के प्रमाण नहीं मिलते है। जातक कथाओं, पौराणिक कथाओं, महाभारत और रामायण तथा ललित साहित्य में काशी नगरी का जिस भव्यता के साथ वर्णन मिलता है उससे तो यह अनुमान ही किया जा सकता है कि नगर में पत्थर के शिल्पी इन सभी कालों में रहे होंगे।

काशी मन्दिरों की नगरी कही जाती रही है। गुप्तकाल के अन्तिम वर्षों में ही यहाँ 448 मन्दिरों के होने का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इन मन्दिरों में देवमूर्तियाँ बहुधा पत्थर की ही होती थीं। यहीं नहीं मन्दिरों की दीवारों, दरवाजों और खम्भों को भी अलंकृत किया जाता था। चूँकि यह नगर इतिहास के विभिन्न युगों में कई बार रौंदा गया है और पत्थर जैसे अपेक्षतया दीर्घकाल तक अस्तित्व में रहने वाले शिल्प भी नष्ट हो चुके हैं। इसके बावजूद भी जो प्रमाण उपलब्ध हैं वे इस कला के अत्यन्त समृद्ध होने की पुष्टि करते हैं।

यहाँ इस शिल्प कला की समृद्धता कलाकृतियों की बड़ी संख्या एवं कला की श्रेष्ठता दोनों ही में देखी जा सकती है।

मूर्ति शिल्प के मौर्य काल से लेकर कुषाण काल तक के प्रमाण सारनाथ में प्राप्त हुये हैं। धम्मेक स्तूप पर बने अलंकरण यहाँ की कारीगरी की परम्परा को स्पष्ट करते हैं। पत्थर पर अलंकरण करने में यहाँ के कारीगर विशेष दक्ष रहे हैं। गुप्तकाल में यह कला अपने पूर्ण निखार पर रही है। कला की दृष्टि से अनुपम मूर्तियाँ गुप्तकाल की हैं। इसके बाद तो इस कला में यहाँ की कारीगरी का निरन्तर उत्कर्ष ही देखा जाता है। लगभग 12वीं सदी तक की नगर के विभिन्न क्षेत्रों से मिली मूर्तियाँ यहाँ के शिल्पियों के अप्रतिम कौशल की परम्परा का परिचय देती है। 12वीं सदी का एक मन्दिर जो आज भी विद्यमान है इस कला के गौरवपूर्ण इतिहास की झलक देता है। इन कलाकारों का काशी में निवास नहीं था ऐसी बात कहने का कोई आधार नहीं दिखाई देता।

काशी का वर्णन बहुधा निगम और तीर्थ नगरी के रूप में किया गया है। यह नगर असंख्य कुण्डों, कूपों एवं तड़ागों से युक्त था जो गंगा के अलावा अत्यन्त महत्वपूर्ण जल तीर्थ थे। इन जल तीर्थों पर दूर-दूर से तीर्थ यात्री आते थे। इन कुण्डों को पक्का बनाने के कार्य विभिन्न युगों में निरन्तर होते रहे हैं। मध्यकाल में तो यह कार्य विशेष रूप से जोरों पर था। इस काल में नगर में मन्दिर और मस्जिद दोनों ही बड़ी संख्या में बनाये गये हैं। मन्दिरों की यह संख्या एक हजार से ऊपर थी। मन्दिरों में तीर्थ यात्री एवं अनुदान कर्ताओं के शिलापट्ट लगाने की भी प्रथा चली। राजपूत एवं मराठा राजाओं ने काशी में घाटों और कुण्डों को पक्का करने एवं मन्दिरों के पुनर्निमार्ण में उदारता से धन दिया। देश के विभिन्न राजाओं ने गंगा के किनारे अपने लिये महल बनवाये। नगर सेठों की कोठियों में पत्थर की अत्यन्त महीन नक्काशी की जाती रही है। पत्थरों को तराशकर बनाये गये इन सभी निर्माण कार्यों में शिल्पियों की एक बड़ी संख्या का सतत निवास नगर में रहा होगा।

आज भी नगर में पत्थर का काम करने वाले शिल्पियों की जातियाँ रहती है। लेकिन अब ये मुख्यतः सजावट की सामग्री और बहुत ही साधारण देवमूर्तियाँ बनाते हैं। घरेलू उपयोग की कुछ चीजें जैसे सील-बट्टा, खरल आदि भी बनाते हैं जिन पर कभी-कभी नक्काशी होती है। नरम पत्थर पर बारीक नक्काशी कर कटोर, संदूक, कप, डिब्बियाँ, मोती, मोर, चिड़िया, हाथी आदि बनते हैं। एक जानवर या पक्षी को उकेरकर उसी के अन्दर उसी का छोटा स्वरूप उकेरने में ये कारीगर दक्ष हैं। कभी-कभी एक के अन्दर एक ऐसे तीन जानवर या पक्षी बनाये जाते हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस उद्योग में लगे लोग मुख्यतः ज्ञानवापी, गोदौलिया, काली महाल, दुर्गाकुण्ड, अस्सी और खोजवाँ में मिलते हैं। (देखें परिशिष्ट संख्या-3)

कुछ कारीगर राजनेताओं की मूर्तियाँ बनाने का कार्य कर रहे हैं।

अध्याय - 3

हस्तशिल्प उद्योग के महत्त्वपूर्ण पक्ष

काशी के परम्परागत कला उद्योगों की वर्तमान स्थिति को समझने के लिये इन उद्योगों से जुड़ें कुछ कारीगरों एवं व्यापारियों से वार्ता कर जानकारी एकत्र की गई। इन वार्ताओं को मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित किया गया। ये चार भाग थे—कला, विज्ञान, अर्थ और समाज। ये ही वे प्रमुख चार पक्ष हैं जो हस्तशिल्प उद्योगों में आये उतार-चढ़ावों को समझने में महत्वपूर्ण साधन के रूप में पहचाने गये हैं। इन सभी पक्षों पर चर्चा करने से पहले हम हस्तशिल्प उद्योग की कुछ बुनियादी विशेषताओं को रखेंगे।

हमारे परम्परागत समाज में लगभग सभी उद्योग घरेलू उद्योग के रूप में रहे हैं। हस्तशिल्प उद्योग तो अनिवार्यतः घरेलू रहे हैं। अतः इन उद्योगों की कला, तकनीक और अर्थ तीनों ही पक्षों को एक विस्तृत विकेन्द्रित आधार मिला। हस्तशिल्प उद्योगों को कला, तकनीक एवं अर्थ की दृष्टि से समृद्ध बनाने तथा इन उद्योगों की निरन्तरता बनाये रखने में इस विकेन्द्रित आधार की निर्णायक भूमिका रही है। विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञता को पुष्टा करने में तथा उसमें अधिकाधिक निखार लाने में यह आधार सहायक रहा है। इन उद्योगों के कला पक्ष और तकनीक में प्रकृति के नियमों के अनुकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति रही। अतः मूल्य, विश्वास एवं सार्वजनिक गतिविधियों के ऐसे प्रकारों ने आकार लिया जिसमें प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होने की संभावनायें कम से कम रहीं और जो हमारे परम्परागत समाज और संस्कृति की बुनियाद बने। इन बुनियादी तत्वों को शुरू से आज तक बनाने और विकसित करने में इन उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रही।

पूँजी बहुल उद्योगों के विकास से, राज्य और बाजार के बीच नये समीकरणों के बनने से तथा बदली हुई जीवन पद्धतियों के चलते हस्तशिल्प उद्योग पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आज इन उद्योगों में भी बस्तुओं के निर्माण के कुछ चरणों प्रक्रियाओं के लिये मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा है। इसके बावजूद हस्तशिल्प वस्तुओं की गुणवत्ता का आधार आज भी मनुष्य की कला, हाथ के कौशल और मस्तिष्क की अत्यन्त उच्च स्तर की बौद्धिक सक्रियता पर निर्भर है।

(क) कलापक्ष

हस्तशिल्प उद्योगों के विभिन्न प्रकारों में बहती कला की धारा एक ही दिखाई देती है। वर्तमान में इन उद्योगों की कला का परम्परागत कला से रिश्ता लगभग टूट गया है। इस कला के अधिकांश पक्ष श्रीहीन हो गये हैं।

काशी की कला जो विभिन्न माध्यमों द्वारा व्यक्त हुई है भारतीय कला का ही अंग रही है और भारतीय कला में आये उतार-चढ़ावों को प्रतिबिम्बित करती रही है। ''हमारी परम्परा में हस्तशिल्प उद्योग की कलाओं को ललित कलाओं से कनिष्ठ या निकृष्ट नहीं माना जाता रहा है और न ही वे इनसे अलग मानी जाती रही हैं। भारतीय चिंतन के अनुसार ''दिव्य कलायें'' वास्तव में कला के रूप में प्रशंसित की जाती हैं। सभी मानवीय कलायें जैसे पीतल का काम, पोशक, सोने का काम और हाथी, खच्चर, रथ आदि खिलौने दिव्य कला के समान ही प्रतीत होते हैं। इस तरह के कौशलपूर्व सभी कार्य कला माने जाने चाहिये।'' (ऐतरेय ब्राह्मण, भारतीय कला का अध्ययन, श्री निहार रंजन राय, 2, पृ. 50)। अतः हस्तशिल्प कलायें उन्हीं प्रारूपों, पद्धतियों रूपों और मूल्यों का अवलम्बन करती थीं जो ललित कलाओं में दिखाई देती है। अंतर मात्र यह है कि जहाँ ललित कलायें नगरीय व्यवस्थाओं के आश्रय में पलीं वहीं हस्तशिल्प कलायें अपने स्वाभाविक चरित्र के कारण नगरीय, ग्रामीण और जनजातीय अंचलों में फली-फूलीं। अतः हमारे परम्परागत समाज में कला की प्रथायें एवं मूल्यों का रूप क्या था इस पर एक दृष्टि डालना आवश्यक है।

परम्परागत कला की इन प्रथाओं और मूल्यों को किस प्रकार जाना जा सकता है विशेष रूप से आज जब वर्तमान कला के विभिन्न रूपों में इन प्रथाओं या मूल्यों की पहचान जीवंत नहीं रह पायी है। कला मर्मज्ञ श्री निहार रंजन राय के अनुसार कला में इन पक्षों के प्राणहीन होने की प्रक्रिया अट्ठारहवीं सदी के आस-पास या कुछ पूर्व से शुरू हो गई थी। इनके अनुसार 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध तक सक्रिय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य कारणों से सामंती और अर्द्ध सामंती राज-दरबारों की कला अतीत की वस्तु हो गई थी। हमारा सम्पूर्ण ग्रामीण तथा नगरीय शिल्प अपनी परम्परिक रचनात्मक कला और शिल्प पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पश्चिमी महाजनी अर्थव्यवस्था की जकड़ का अनुभव कर रहा था।... फलस्वरूप इस शताब्दी के मध्य तक ग्रामीण तथा जनजातीय कलाओं और शिल्पों के सीमित क्षेत्र तथा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित पहाड़ी राजाओं के अलग-अलग पड़े राज्याश्रयों को छोड़कर अन्य कहीं मुश्किल से ही भारतीय मूल्यों और प्रथाओं का कोई अंश बचा रह सका। सभी प्रकार की उच्च स्तरीय कला की परम्परा, मौलिक सौन्दर्यबोध की चेतना और रूपगत मूल्य किसी सुदूर अतीत की संपदा बन चके थे जिनके बहुत थोड़े अंश का हमें धुंधला ज्ञान था।'' (2, पृ. 1)

अंग्रेजो के विरोध में उभरे राष्ट्रवादी आन्दोलन की अभिव्यक्ति राजनैतिक क्षेत्र के अलावा कला, साहित्य, सामाजिक एंव आर्थिक क्षेत्रों में भी दिखाई दी। इन्हीं गतिविधियों के अन्तर्गत परम्परागत कला की प्रथा एवं मूल्यों को पुनर्जीवित करने के प्रयास भी शामिल है। आज हम अपने परम्परागत समाज के सामजिक, आर्थिक, कला, उद्योग, साहित्य आदि से निकटता, निरन्तरता और प्रेरणा का जो अनुभव करते हैं उनमें इन प्रयासों की भूमिका महत्वपूर्ण है। परम्परागत कला के विभिन्न पक्षों

की सुव्यवस्थित समझ बनाने में श्री निहार रंजन राय का लेखन प्रमुख आधार बनता है। भारतीय कला की निम्नलिखित प्रमुखताओं को इन्होंने स्पष्ट किया है।

1. कला का जन्म काम से माना गया है। काम, अर्थ और धर्म पुरुषार्थ माने गये हैं जिनका अन्तिम लक्ष्य मोक्ष है। अतः कला कर्म को भी अपने अन्तिम लक्ष्य मोक्ष की ओर गति देने वाला माना गया है।

2. ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार ''कला मानवीय कौशल से युक्त होनी चाहिए।'' मानवीय कौशल को सचेतन होकर उपार्जित कौशल के अर्थ में समझा जाना चाहिये न कि उस पक्षी के सहज शिल्प के अर्थ में जो अपना जटिल घोंसला बुनता है या उस पौधे के प्राकृतिक शिल्प के अर्थ में जो रंगीन फूल देता है।

3. ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कला छंद से युक्त होनी चाहिये। छंद से तात्पर्य लय, संतुलन, अनुपात और सुसंगति से ग्रहण किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रकृति की कारीगरी जिसे देवशिल्प माना गया है, जिन नियमों से अनुशासित है उन्हीं के अनुकूल मानवीय कलायें भी होनी चाहिये। अतः प्रकृित की हू-ब-हू नकल ही कला नहीं मानी गई है।

4. कला क्रिया द्वारा रस और भाव की उत्पत्ति एक अत्यन्त उच्चस्तर की सक्रियता है जो गहन एकाग्रता की सक्रिय प्रक्रिया में एक खास बिन्दु पर विषय और विषयी (कलाकार) के एक दूसरे में विलीन होन से होती है। यही चरम आनन्द का क्षण माना गया है। इस चरम आनन्द की प्राप्ति से जो मनोदैहिक रूपान्तरण होता है उसे रस या भाव कहा गया है। हमारे ग्रंथों में इस क्षण का वर्णन व्यावहारिक क्रिया से पूर्णतः निर्लिप्त, जीवन के किसी व्यावहारिक उद्देश्य से पूर्णतः तटस्थ ओर एक प्रकार की भौतिक दूरी होने में किया गया है।

5. कला का तात्कालिक काम मानव इन्द्रिय और मन को सुख देना या आनंद देना है। प्रथम स्तर पर यह वस्तु की सतह को आनन्दप्रद बनाती है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण काम है मन और इन्द्रिय के माध्यम से मनुष्य (स्वयं कलाकार या कलाकृति का दर्शक, श्रोता) को उनके परे एक ऐसे क्षेत्र में ले जाना जहाँ वह आत्मातीत अवस्था का अनुभव कर सके। अर्थात् सार्वभौम सत्ता के साथ अपनी एकता का अनुभव कर सके। यह स्थिति आनन्द का उच्चतर स्तर है जिसका आस्वाद ब्रह्म के अनुभव के समान है। (मोक्ष की कल्पना इसी चिर आनन्द की स्थिति में की गयी है।)

6. कला जीवन को संस्कारित (छंदमय) करने का साधन माना गया है। कला क्रिया के द्वारा कलाकार स्वयं आत्मानुशासन के उन विभिन्न आयामों से गुजरता है जो छंद के अन्तर्गत जाने जाते हैं। कलाकृति द्वारा यही आत्मानुशासन वह अपने पाठक-श्रोता-दर्शक में कुछ ही क्षणों के लिये आरोपित करता है। इस प्रकार कला समाज को संस्कारित करती है।

7. कला एक नैतिक क्रिया मानी गई है। क्योंकि यह व्यक्तिगत अहं को जीवन के संकीर्ण, स्वार्थपूर्ण और व्यावहारिक उद्देश्यों से थोड़े समय के लिये ही सही, मुक्त कर देती है। रस और भाव के निर्माण द्वारा ब्रह्म से साक्षात्कार करने का माध्यम बनती है।

परम्परागत कला की इन विशेषताओं से कलाकार को एक अत्यन्त उच्च स्तर का मानव माना गया है। उसे विधाता माना गया है।

काशी में कबीर, रैदास आदि जैसे शिल्पियों से संत-वाणी की गंगा प्रवाहित होती रही है। अतः कला की उपरोक्त विशेषताओं का अलग से उल्लेख करने की शायद आवश्यकता नहीं है। यहाँ के कारीगरों में भी ये तत्व जीवन के सहज अंग के रूप में शामिल रहे हैं। किन्तु कला की इन विशेषताओं की निरन्तरता को बनाये रखने में पश्चिमी औद्योगीकरण सबसे बड़ी बाधा बना। पश्चिमी औद्योगीकरण ने कला की आत्मा को ही नष्ट कर दिया! यह कैसे हुआ? श्री निहार रंजन राय के अनुसार किसी भी परम्परागत समाज में वह जो उपयोगी है और वह जो सुन्दर है, अर्थात् जो वस्तु सौन्दर्यगत आनन्द या आल्हाद प्रदान करती है, उन दोनों के बीच कोई तीक्ष्ण भेद नहीं था, और यह भेद अधिकतर एक ऐसे समाज की सृष्टि है जिसका सामाजिक, आर्थिक संगठन अधिकांशतः यांत्रिक उद्योगों द्वारा निर्धारित है। जो वस्तुयें कभी अलग-अलग व्यक्ति द्वारा या छोटे-छोटे समूहों के द्वारा एक-एक कर बनायी जाती थीं, वे जब व्यावहारिक जीवन की रोज की जरूरतों की मांगों को पूरा करने के लिये मशीन की सहायता से अधिक परिमाण में तैयार की जाने लगीं तो क्या आनन्ददायक या सुखद है और क्या उपयोगी है, इन दोनों के बीच विभाजन का जन्म लेना स्वाभाविक है, और तब यांत्रिकता के विस्तार के साथ यह विभाजन भी बढ़ता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आधुनिक समाजों में दो भिन्न वर्ग की मानव क्रियाओं अर्थात् एक ओर तो कलात्मक और रचनात्मक तथा दूसरी ओर व्यावहारिक और उपयोगितावादी, में एक अनावश्यक और शायद अस्वास्थ्यकर दरार पैदा हो गई है। इससे भी बुरी बात यह है कि इससे यह धारणा उत्पन्न होने लगी है कि किसी मनुष्य की कल्पनापरक और बौद्धिक शक्ति उसकी व्यावहारिक और लाभप्रद सक्रिय शक्ति से बिल्कुल भिन्न और विशिष्ट है और दोनों में कोई संबंध नहीं है (2, पृ. 153)।

परिणामस्वरूप उन्नीसवीं सदी के अंत में देश के हस्तशिल्प उद्योगों में से अधिकांश उद्योग इस व्यावहारिक और उपयोगितावादी क्रियाओं के चक्र में पूर्णतया फंस चुके थे। इन उद्योगों में कला के सौन्दर्य, नैतिक, छंद और सामाजिक आदि पक्षों का पूर्णतया लोप हो चुका था। मात्र पश्चिमी देशों में बिकने योग्य बनने वाली सामग्री का निर्माण ही इन उद्योगों का मुख्य कार्य हो गया। आनन्द कुमार स्वामी (8,पृ0 22) के अनुसार इस समय (19वीं सदी के अंत में या 20वीं सदी के प्रारम्भ में) बनारस के अधिकांश कारीगर अपनी साड़ियों, कालीनों आदि के लिये पाश्चात्य चित्रवाली (डिजाइन्स) का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ तक कि परम्परागत चित्रों का कोई संग्रह उनके पास नहीं था। प्राकृतिक

रंगों की जगह एनिलिन और एलिझरीन रंगों का प्रयोग हस्तशिल्प की गुणवत्ता को घटाने में सहायक रहा। धातु, काष्ठ, मिट्टी और पत्थर के शिल्प उद्योगों का भी यही हाल रहा। सामाजिक भूमिका के नष्ट हो जाने से इन उद्योगों की कला मृत हो गई। धातु की देवमूर्तियाँ और पूजा के पात्रों की सुडोलता विकृत को गई, नाजुक और सुन्दर अलंकरण की प्रथा खत्म हो गई, आध्यात्मिक चित्रों की प्रासंगिकता ही नहीं रही, मीनाकारी में चटक रंगों ने विदूपता ला दी, पत्थर की मूर्तिया भावहीन, लयहीन और गतिहीन मात्र ढाँचे की तरह रह गईं, काष्ठ शिल्प केवल कुछ सजावट की सामग्री तक सीमित हो गया और मिट्टी की कला संदर्भ ही खो बैठी। मशीनों के उपयोग ने जहाँ कला की आत्मा ही नष्ट कर दी वहाँ इन उद्योगों की सामाजिक भूमिका को भी नष्ट कर दिया। लगभग 200 वर्षों के लम्बे काल तक इन विपरीत परिस्थितियों से जूझने के बावजूद काशी में विभिन्न शिल्प उद्योगों में आज भी अगर परम्परागत कला के उन आयामों की झलक मिल जाती है जो कभी समृद्धि का आधार थे तो मात्र इसलिये कि काशी के समाज में आज भी परम्परागत समाज के संगठन, मूल्य, नीति और प्रथाओं के अंश अपने सक्रिय रूपों में बचे हुये हैं जो एक समय उस कला के अनिवार्य अंग रहे थे।

(ख) विज्ञान

हमारे प्राचीन ग्रंथों में 18 शिल्पों का उल्लेख किया गया है। वेदों के साथ इन शिल्पों का अध्ययन एवं इन शिल्पों से सम्बन्धित सैद्धान्तिक ज्ञान को प्राप्त करना भी विद्यार्थी के लिये आवश्यक माना जाता था। हमारे परम्परागत समाज में कला या शिल्प की निर्मिति मात्र एक आवेग को मूर्त रूप देना ही नहीं रहा है बल्कि इसके निर्माण में दर्शन, विचार, तर्क, नीति, गणित, यांत्रिकी रासायनिक आदि ज्ञान की असंख्य धाराओं का संगम होता माना गया है। हमारे यहाँ स्थापत्य और मूर्तिकला के प्रचुर उदाहरण इसी बात को स्पष्ट करते हैं। श्री निहार रंजन राय का मानना है कि ''स्थापत्य कला का यह वैशिष्ट या शिल्प का यह प्राचुर्य संभव नहीं हो पाता यदि पीढ़ी दर-पीढ़ी से यांत्रिकी और गणित के विज्ञान, भवन, सामग्रियों का ज्ञान, पत्थर काटने, तराशने, ईट पत्थर को सजाने आदि स्थापत्य कला के विज्ञान का परिचय नहीं होता और यदि स्थान, लय, संतुलन, अनुपात, सामंजस्य, पंक्ति, खंड, सत्याभास, हितेच्छा, आवेग, आदि के बारे में मानवीय अनुभूतियों रूप और अंतर्भेदों, कलानुभव और प्रयोग के उद्देश्य, प्रकृति और अर्थ का पता नहीं होता।'' (2, पृ. 17)।

काशी भारतीय ज्ञान-विज्ञान का संग्रहालय रहा है। ज्ञान की सभी शाखाओं के विद्वान काशी में निवास करते थे और दूर-दूर से विद्वान आते थे जो शास्त्रार्थ द्वारा ज्ञान को संवर्धित करते रहते थे। आयुर्वेद, गणित, धातुकीय, तंत्र एवं योग विज्ञान की प्राचीनतम परम्परायें आज तक जीवित रखने में काशी सफल रही है। विभिन्न शिल्प उद्योग एवं कौशल की परम्पराओं को भी संजोकर रखा गया है। आज भी यहाँ इन शिल्प उद्योगों में प्रयुक्त की जाने वाली तकनीकी एवं औजारों के आधारभूत

सैद्धान्तिक ज्ञान एवं व्यावहारिक प्रचलन को विभिन्न पद्धतियों में सक्रिय पाया जा सकता है। वर्तमान शिल्प उद्योगों में मशीनीकरण कुछ हद तक अवश्य हुआ है इसके बावजूद निर्णायक चरण आज भी परम्परागत तरीकों से ही सम्पन्न किये जाते हैं। यहाँ हम मुख्य शिल्प उद्योग, वस्त्र उद्योग के तकनीकी पक्षों की चर्चा द्वारा इस बात को स्पष्ट करेंगे।

वस्त्र उद्योग में विभिन्न चरणों पर इस्तेमाल हो रही तकनीकी में वर्तमान सदी के दौरान परिवर्तन किये गये हैं। इन परिवर्तनों की शुरुआत शायद 19वीं सदी से ही शुरू हो चुकी थी। इन परिवर्तनों के बावजूद आज भी प्रक्रियाओं के कुछ बिन्दुओं पर कारीगर परम्परागत ज्ञान दृष्टि और तकनीक का ही इस्तेमाल करता है। बनारस के करघों के परम्परागत रूप में बहुत कम अंतर आया है। नगर में अब केवल रेशमी वस्त्र ही मुख्यतः बनाये जाते हैं। सूती वस्त्र के कारीगर नगर से दूर मऊ में बसे हैं। नगर में मुख्यतः पिटलूम इस्तेमान होते हैं। इस सदी के आरम्भ में हथकरघों में कुछ संशोधन कर नये प्रकार सामने आये जिन्हें मई 1902 की ''भारत जीवन'' पत्रिका में विज्ञापित किया गया। 1923 में पावरलूम के आ जाने से इस उद्योग के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो गई। किन्तु पावरलूम पर सादे रेशमी वस्त्र ही बुने जा सकते थे। किमखाब के रेशमी वस्त्र आज भी हथकरघा पर बुने जाते हैं और कारीगर के कौशल पर ही इनकी गुणवत्ता निर्भर है। साड़ियों पर बनने वाले चित्रों का नक्शा बनाया जाता है। इन नक्शों को बनाने वाले नक्शबंद कहलाते हैं जो गत्ते पर छेदों द्वारा चित्र बनाते हैं और जिन्हें कारीगर वस्त्र पर उतारता है। इन गत्तों पर चित्र बनाने के लिये अब जेकार्ड मशीन का उपयोग होने लगा है। प्राकृतिक रंगों की जगह एनिलिन और एलिझरीन रंगों का उपयोग किया जाने लगा है। पहले कलाबत्तू और जरी यहीं के कारीगर बनाते थे। इस सदी के आरम्भ से फ्रांस में कालबत्तू और जरी मशीन से बनने लगी। जिसका सीधा असर बनारस के इन शिल्पियों पर पड़ा। अब कलाबत्तू और जरी फ्रांस या सूरत से आयात की जाने लगी। 1920 के बाद फ्रांस से जरी बनाने की मशीने भी आयात की जाने लगी। इन बदलावों के बावजूद इस उद्योग के कई हिस्सों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस उद्योग के मुख्य तकनीकी चरणों की चर्चा से यह स्पष्ट हो सकता है—

धागे को बनाना

बाजार से लाये गये रेशम के धागे कई चरणों से गुजर कर बुनाई के लिये तैयार किये जाते हैं। परेता, चरखा, नटवा, खली, ताग, बटनी आदि उपकरणों का प्रयोग कर इन धागों को समान मोटाई का बनाकर, बल देकर, दोहरा या तिहराकर लपेटा जाता है। यह क्रिया कई बार करनी पड़ती है और अत्यन्त सावधानीपूर्वक करनी होती है। वस्त्र की गुणवत्ता धागे की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। बहुधा सभी उपकरण बाँस के या लकड़ी के बने होते हैं। स्त्रियाँ घर पर बैठकर इस कार्य को करती हैं।

खराई

उपरोक्त तरीके से बने धागों को विरंजन की क्रिया से उज्जवल किया जाता है। इसके लिये धागों को रीठे के साथ या आजकल सोडे के साथ कुछ घंटों तक पानी में उबाला जाता है। पूरी अवधि तक धागे को हाथों से रगड़ना पड़ता है। इसके बाद ठंडे पानी मे धागों को धोया जाता है। जिसे निखार कहा जाता है। इस कार्य के विशेषज्ञ लेहार कहलाते रहे हैं। यह क्रिया भी अत्यन्त सावधानीपूर्वक करनी होती है अन्यथा रेशम के धागों में कच्चापन आ जाता है या उनकी चमक पर प्रतिकूल असर होता है।

रंगाई

जब प्राकृतिक रंगों से रंगाई की जाती थी तो उसमें रंगो की संख्या सीमित थी किन्तु ये रंग बहुत पक्के हुआ करते थे। आजकल रंगाई में रासायनिक रंगों का ही प्रयोग होता है। ये रंग बाहर से आयात किये जाते हैं। रंगाई के विशेषज्ञ रंगरेज कहलाते हैं।

माड़ी देना

रंगाई के बाद धागे को माड़ी (कलफ) दी जाती है। कलफ किये गये धागों को लकड़ी के फ्रेम पर खींच कर ताना और बाना तैयार किया जाता है। माड़ी देने वाले माण्ड़ीदार कहलाते हैं। इमली के चिये का आटा माड़ी देने के लिये इस्तेमाल किया जाता है।

नक्शा

साड़ियों पर बनाये जाने वाले चित्रों का नक्शा बनाया जाता है। यह कार्य किसी कठिन गणित के समान ही है। चित्र को पहले एक कागज पर बनाया जाता है। इसे लिखाई कहते हैं। इस चित्र को गत्ते के कई टुकड़ों पर छेदों द्वारा बनाया जाता है। ये छेद ही चित्र को आकार देते हैं। प्रत्येक टुकड़ा एक बाने के लिये और टुकड़े पर बना प्रत्येक छेद ताने के निश्चित संख्या के धागों के लिये होता है। ये टुकड़े एक दूसरे से सिलकर करघे के ऊपर लगा दिये जाते हैं। इन टुकड़ों से आने वाले ताने-बाने ही वस्त्र पर चित्र को आकार देते हैं।

बुनाई

किमखाब बुनाई का काम आज भी हथकरघों पर परम्परागत तरीकों से ही होता है। करघों के सभी लकड़ी और लोहे से बनते हैं जो स्थानीय बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं।

काष्ठ और पत्थर के शिल्प उद्योगों में खर्राद मशीन का उपयोग होने लगा है। रासायनिक रंग ही इस्तेमाल किये जोते हैं। हालाँकि कच्चे माल का चुनाव, प्रक्रियाओं में संशोधन, कार्य की पद्धति, विषयवस्तु, अनुपात, आकार प्रयोजन, गणना आदि के बारे में निर्णय लेने के लिये सभी शिल्पों

के कारीगर आज भी पारम्परिक ज्ञान, जानकारी और दृष्टि का ही सहारा लेते हैं। यह पारम्परिक ज्ञान दृष्टि ही उनके विज्ञान और तकनीक का आधार रही है। इस ज्ञान दृष्टि की समझ वर्तमान विज्ञान की धाराओं के अन्तर्गत नहीं बनायी जा सकी है। वर्तमान विज्ञान की तुलना में कारीगरों की यह ज्ञान दृष्टि (जो परम्परागत विज्ञान का ही हिस्सा रही) किसी भी अर्थ में कमजोर थी इसका कोई आधार दिखाई नहीं देता है। क्योंकि एक तो इन शिल्प उद्योगों की लम्बी परम्परा तथा निर्मित सामग्रियों मेंगुणवत्ता के उच्च स्तर को बनाये रखने की निरन्तरता स्वतः ही परम्परागत विज्ञान के उच्च स्तर एवं क्षमता को दर्शाती है। दूसरे, इन सभी शिल्प उद्योगों के लिये इस सदी में सरकारी प्रयासों द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं जहाँ आधुनिक उपकरण, औजार एवं सैद्धान्तिक विज्ञान के साहित्य द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर कारीगरों को तैयार किया जाता है। किन्तु वर्तमान विज्ञान की दृष्टि से लैस ये प्रशिक्षित कारीगर परम्परागत कारीगरों के सामने अत्यन्त अकुशल साबित हो चुके हैं। उनकी इस अकुशलता का कारण प्रशिक्षण संस्थाओं की प्रशासनिक कमजोरी में उतना नहीं है जितना वर्तमान विज्ञान की सीमाओं में है।

वर्तमान विज्ञान की ये सीमायें क्या है इनकी पहचान प्रस्तुत लेख का विषय नहीं है हालांकि हस्तशिल्प उद्योगों से जुड़े कारीगर की परम्परागत दृष्टि यह स्पष्टतः इंगित करती है कि वर्तमान विज्ञान और परम्परागत विज्ञान अपने सार में ही भिन्न रहे हैं। अतः कारीगर जब भी अपने शिल्प के बारे में बात करते हैं तो आधुनिक विज्ञान से लैस व्यक्ति या विशेषज्ञ को उसकी बातें आधारहीन, अव्यवस्थित, तर्कहीन, अवैज्ञानिक और असंगत लगती हैं तथा कारीगर द्वारा की जा रही विभिन्न क्रियाओं को वह अपने वैज्ञानिक दृष्टि, विचार और भाषा के चौखट में ग्रहण ही नहीं कर पाते। कारीगरों से वार्ता के बाद परम्परागत विज्ञान और वर्तमान विज्ञान की जो कुछ मौलिक भिन्नतायें स्पष्टतः अभरकर आयी हैं उन्हें यहाँ प्रस्तुत करना प्रासंगिक ही होगा।

यह देखा गया कि कारीगर जब अपने शिल्प से सम्बन्धित वस्तुओं का वर्णन करते हैं तो वे वस्तुओं के विभिन्न प्रकार के गुणों का वर्णन करते जाते हैं और इस वर्णन में वे गुणों के साथ वस्तु के विभिन्न उपयोग, उनकी उपलब्धता, पैदावार आदि अन्य कई तत्वों का समावेश करते जाते हैं। इसके विपरीत वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टि में वस्तु के वर्णन में बहुधा गुण या उसके आंतरिक संगठन एवं संयोजक को ही शामिल किया जाता है और वस्तु की उपलब्धता, उपयोग जैसे तत्वों को ''बाहरी'' माना जाता है।

किसानों द्वारा मिट्टी की पहचान और उसके गुणों के वर्णन के बारे में सन् 1978 में श्री ए0ओ0 ह्यूम द्वारा की गई टिप्पणी इस दृष्टि का अच्छा परिचय देती है।—उन्होंने अपनी पुस्तक ''भारत में कृषि सुधार'' (1878, पृ0 4-5) में लिखा 'अत्यधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि देशज किसान मिट्टी को असंख्य नामों से पहचानते हैं। लगभग हर जिले में कम से कम एक दर्जन ऐसे स्थानीय

नाम प्रयोग में होते हैं जिनसे और जगह के लोग परिचित नहीं होते। किन्तु इससे कभी कोई गलतफहमी नहीं पैदा होती। यहाँ के लगभग सभी किसान विभिन्न मिट्टियों के बीच तरह-तरह के महीन फर्क करने में उतने ही होशियार हैं जितना यूरोप के सबसे अच्छे किसान होते हैं। बहुत बार वे अपनी जमीन के बारे में बताते वक्त मिट्टी के गुणों की चर्चा तक नहीं करते तथा केवल बाहरी बातों का ही उल्लेख करते हैं जैसे उस जमीन पर अन्तिम फसल कब उगायी गयी है, उस पर की जाने वाली खेती में कैसे फसल चक्र का इस्तेमाल होता है, वह बस्ती से कितनी दूर है, ऊँचाई पर है या नीची है, उसके ऊपर की परतें कितनी पुरानी है, उसका इस्तेमाल चारागाह के रूप में, खेत के रूप में-- या सब्जियाँ उगाने के लिए कब-कब किया जाता रहा है इत्यादि। मिट्टी के बारे में बताते समय देशज किसान सामान्यतः बाहरी गुणों का ही वर्णन करते हैं जो मिट्टी के ''आतंरिक'' गुणों से सर्वथा स्वतंत्र होते हैं। यह निःसंदेह गलत है, किन्तु अत्यन्त स्वाभाविक भी है क्योंकि किसी भी जमीन पर कृषि करने वाले किसान का महत्व मिट्टी के आंतरिक गुणों की तुलना में अधिकतर इन्हीं बाहरी तत्वों पर निर्भर करता है। ये बाहरी गुण समायांतर में आंतरिक गुणों में परिवर्तन भी लाते हैं। जैसे गाँव के पास की मूर या हल्की बलुअट मिट्टी समयांतर में सतत खेती करने एवं खाद देने के चलते एक किस्म की बढ़िया लोम और बाग की मिट्टी के बीच की दोमट में परितर्तित हो जाती है।'' (17,पृ0 47)

इस प्रकार भारतीय विज्ञान परम्परा में वस्तु के वर्णन में उपयोग आदि जैसे ''बाहरी'' तत्वों का शामिल किया जाना विज्ञान को मूल्य गर्भित बनाता है। ऐसी दृष्टि में वस्तुयें एक दूसरे की पूरकता में देखी जाती है और उनके बीच के सम्बन्धों का विकास नीति सापेक्ष देखा जाता है। वर्तमान विज्ञान के मूल्य रहित और नीति निरपेक्ष होने में ऐसी दृष्टि का अभाव होना भी शायद एक कारण है।

दूसरी बात जो स्पष्ट होती है वह यह कि परम्परागत विज्ञान और वर्तमान विज्ञान में ज्ञान तथा वसतुपरकता के मानदण्ड भिन्न हैं। उदाहरणार्थ परम्परागत विज्ञान में व्यक्ति का सक्रिय योगदान वस्तुपरक माना गया है और इस सक्रिय योगदान को पुनरावृत्ति, पुनः उत्पादन करने की क्षमता से पूर्ण माना गया है। इसके विपरीत वर्तमान विज्ञान में मनुष्य का सक्रिय योगदान पुनरावृत्ति के योग्य नहीं माना जाता है। आज के विज्ञान की एक अनिवार्य शर्त यह है कि उसके प्रयोगों एवं क्रिया-कलापों में मनुष्य की भूमिका निमित्त मात्र से अधिक नहीं होनी चाहिए। मनुष्य की सक्रिय भूमिका से प्रक्रियाओं में आत्मनिष्ठता का समावेश होता है जिसके चलते प्रकियायें अथवा प्रयोग पुनरावृत्ति के योग्य नहीं रह जाते अर्थात् उनकी वैज्ञानिकता नष्ट हो जाती है।

अतः हस्तशिल्प उद्योगों के विज्ञान का अध्ययन करने के लिये यह आवश्यक है कि आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से मुक्त होकर कारीगरों की कार्य पद्धति, जीवनपद्धति, सामाजिक गतिविधियों आदि को समझने का प्रयास किया जाय ताकि उनकी परम्परागत वैज्ञानिक दृष्टि में निहित तर्क, मूल्य और तकनीक की एकीकृत धारा की पहचान की जा सके।

गुणों के वर्णन में और ज्ञान के मानदण्ड में दिखाई देने वाली ये भिन्नतायें परम्परागत विज्ञान में अहिंसा के समावेश के साथ एकरस है। जब वस्तुओं के आपसी सम्बन्ध और मनुष्य की सक्रिय गति सहयोग और उत्सर्ग के सन्दर्भ में आकार लेती है तो एक अविनाशी एवं अक्षय तकनीकी व्यवस्था का जन्म होता है। सामान्य जानकारी का विषय है कि मिट्टी, लकड़ी, कपास, पत्थर, धातु किन्हीं भी प्राकृतिक संसाधानों पर आधारित कोई भी परम्परागत शिल्प तनिक भी पर्यावरणीय अथवा प्राकृतिक असंतुलन नहीं पैदा करते। यहाँ तक कि लौह खनिज का आगलन कर लोहा प्राप्त करने की तेज प्रकियें भी परम्परागत विज्ञान में यों संयोजित की गई हैं कि उनसे कोई पर्यावरणीय असंतुलन नहीं पैदा होता। इन क्रियाओं में 15000 सेन्टीग्रेड से अधिक का तापमान भी इस तरह से छोटी-छोटी भट्टियों में लकड़ी के कोयले से पैदा व इस्तेमाल किया जाता है कि उससे प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह बनाया हुआ लोहा मात्रा में कम अवश्य होता है किन्तु गुण में आज के अच्छे से अच्छे लोहे की बराबरी कर लेता है। जब हम इस आगलन क्रिया को देखते हैं तो किसी फार्मूले की सटीक अभिव्यक्ति के बजाय शिल्पी की सक्रिय एवं सतत चिन्तनशील गतिविधि दिखाई देती है। आसपास में उपलब्ध संसाधन एवं शिल्पी की सक्रिय वैज्ञानिक गतिविधि ये इस वैज्ञानिक परम्परा के दो आधारभूत स्तंभ मालूम पड़ते हैं।

इस तरह भारत के परम्परागत उद्योगों में जो आज हस्तशिल्प उद्योग के नाम से जाने जाते हैं, सामाजिक जीवन के अहिंसा के सिद्धांत का वैज्ञानिक रूप दिखाई देता है। आज की मनुष्य की आवश्यकताओं तथा अक्षय विकास की अनिवार्यता की दृष्टि से इस विषय पर अनुसन्धान एक नयी मानवीय सभ्यता के विज्ञान के बारे में सोचने के प्रारंभिक बिन्दु दे सकता है।

(ग) अर्थ

हस्तशिल्प उद्योगों के आर्थिक पक्ष की चर्चा में कारीगरों की आर्थिक स्थिति तथा बाजार सम्बन्धित बातें मुख्य हैं। बाजार में स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार दोनों ही इन उद्योगों के लिये महत्वपूर्ण रहे हैं। प्राचीन काल से ही काशी के हस्तशिल्प अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जाते रहे हैं। अतः बाजार का यह विस्तार प्रारम्भ से ही इन उद्योगों को मिला। मध्यकाल तक छोटे-मोटे परिवर्तनों सदी बावजूद इन उद्योगों के लिये बाजार की कमी बहुधा नहीं रही। अठारहवीं सदी के पूर्वार्द्ध में भी यहाँ के उद्योग एवं व्यापार समृद्ध होने के उल्लेख मिलते हैं। नगर की आबादी में निरन्तर वृद्धि इस बात को प्रमाणित भी करती है। अंग्रेजों के आगमन के बाद बाजार की व्यवस्थायें बदलने से यहाँ के उद्योगों पर प्रतिकूल असर आया और धीरे-धीरे ये उद्योग शक्तिहीन होते गये।

काशी के सभी उद्योग कच्चे माल के लिये अपने आस-पास के क्षेत्रों पर निर्भर रहे हैं। कुछ माल सुदूर देशों से भी आयात किया जाता रहा है। रेशम, बंगाल, चीन और मध्य एशिया से आता रहा है। जरी और कलाबत्तू का कुछ हिस्सा स्थानीय स्तर पर भी बनता रहा है किन्तु सामान्यतः ये

सूरत से मंगाये जाते रहे हैं। बनारस में जब सूती वस्त्र बनाये जाते थे तब कपास बनारस के ही ग्रामीण अंचलों में उत्पन्न की जाती थी। कालीनों के लिये ऊन पंजाब से आता है। पत्थर के शिल्पी राजस्थान से पत्थर मंगाते हैं। चुनार का पत्थर भी प्रयुक्त होता है। काष्ठशिल्पी मुख्यतः नेपाल की तराई के जंगलों से लकड़ी प्राप्त करते हैं। मिर्जापुर के जंगलों में भी कुछ लकड़ी मिलती है। विभिन्न उद्योगों में लगने वाले रंगों में अब केवल रासायनिक रंग ही इस्तेमाल होते हैं जो बम्बई या बरेली से मंगाये जाते हैं। लाख मिर्जापुर के जंगलों से लायी जाती है। इस प्रकार प्रमुख हस्तशिल्प उद्योगों में लगने वाला कच्चा माल नगर के बाहर से आता है। कारीगर ही केवल नगर के हैं। यही कारण है कि काशी को कारीगर कलाकार को गढ़ने वाली स्थली कहा जाता है। विभिन्न हस्तशिल्प उद्योगों के कुशल कारीगर और ललित कलाओं के सिद्ध कलाकारों की यह जन्मभूमि रही है।

हस्तशिल्प की वस्तुओं को बाजार की कमी होना ये शायद इसी सदी की या पिछली सदी से शुरू हुई कहानी है। नगर का मुख्य हस्तशिल्प उद्योग वस्त्र उद्योग है जिसका परम्परागत देशी और बाहरी बाजार हमेशा रहा है। बनारसी कलाबत्तू की साड़ियाँ भारतीय नारी का सौभाग्य माना गया है। अतः शादी पर लगभग हर भारतीय स्त्री को बनारसी साड़ी ही दी जाती है। यह प्रथा देश के लगभग हर क्षेत्र के सम्पन्न परिवारों में प्रचलित रही है। और समय के साथ अधिक दृढ़ ही होती गई है। काशी के सादे रेशमी वस्त्र जिनमें पीताम्बर, दुपट्टे और रूमाल शामिल हैं मुख्यतः पूजा और कर्मकाण्ड करते समय पहने जाते हैं, क्योंकि इन्हें अत्यन्त पवित्र माना जाता है। अतः काशी के रेशमी वस्त्रों के देशी बाजार को प्रारम्भ से ही विस्तार प्राप्त था। राजे, नवाब और रईस किमखाब के वस्त्र बनवाते रहे हैं जिन पर विशेष रूप से श्रेष्ठ कारीगरी की जाती थी। बाहरी देशों में मध्य एशिया के देश इस उद्योग को प्राचीन काल से बाजार देते रहे हैं। मध्यकाल में भी मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में यहाँ से वस्त्र निर्यात किये जाते रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद से इस उद्योग को कुछ कठिनाईयों का सामान करना पड़ा। बर्मा, सिलोन, पाकिस्तान के बन जाने से व्यापार को सुचारु रूप से चलाने में बाधायें खड़ी हुई। लेकिन 1950-60 के बीच पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप और अमेरिका में यहाँ के वस्त्रों का निर्यात होने लगा। इसी समय बनारस के वस्त्रों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में नया विस्तार भी मिला। पिछली सदी में अंग्रेजों द्वारा लाये गये मैनचेस्टर वस्त्रों ने जहाँ सूती वस्त्र के हथकरघा उद्योग को पूर्णतया नष्ट कर दिया वहीं बनारस के रेशमी वस्त्र उद्योग को वे अधिक प्रभावित नहीं कर पाये। इसका मुख्य कारण यहाँ के किमखाब वस्त्रों की श्रेष्ठ गुणवत्ता में है जो शाही और रईस लोगों की पसन्द बने रहे। दूसरी तरफ काशी के धार्मिक महत्व के कारण काशी के सादे रेशमी वस्त्रों का स्थानीय बाजार सिमट नहीं सकता था। लेकिन इसके बावजूद इस उद्योग को 19वीं सदी के अन्तिम वर्षों में और इस सदी में 1940 से 1950 तक मंदी का सामना करना पड़ा।

सन् 1880 से 1890 तक के दशक में बुनकरों की स्थिति विशेष रूप से खराब थी। सन् 1884 में लगभग 12000 बुनकरों ने मिलकर नमाज पढ़ी और अपने उद्योग के सुचारु रूप से

चलने की दुआयें मांगी। लगभग 1000 से 1200 बुनकरों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शीघ्र राहत प्रदान करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया। स्थिति अत्यन्त विकट हो चुकी थी। कारीगरों को दूसरे रोजगार अपनाने के लिये प्रेरित किया जाने लगा। इस विकट परिस्थिति को देखते हुये नगर के अन्य निवासियों ने बुनकरों को पूर्ण सहानुभूति प्रदान की। इसी वर्ष नगर के निवासियों का सबसे प्रिय उत्सव ''बुढ़वा मंगल'' को न मानने का नगर निवासियों ने निर्णय लिया। 1890 के बाद इस उद्योग को फिर से स्थिरता मिली। स्वतंत्रता के बाद 1950 से इस उद्योग का निरन्तर विस्तार हुआ है। सन् 1947 के बाद काशी के रेशम और सूत के धागे से मिलकर बनाये गये वस्त्रों को देशी और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लोकप्रियता मिली। उत्पादित सामग्रियों में भी परिवर्तन किये गये। विविध प्रकार की साड़ियाँ अधिक संख्या में बनने लगीं, जो अपेक्षतया सस्ती थी। किमखाब के वस्त्रों का उत्पादन सीमित हुआ। सन् 1984 के बाद विदेशी धागों के आयात से सम्बन्धित सरकारी नीति में परिवर्तन किये गये। बनारस के बुनकरों को एक बार फिर सड़कों पर अपनी मांगों को रखने के लिये आना पड़ा। वर्तमान में बुनकर अपने कार्य और परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं हैं और यह स्थिति कब तक रहती है कहा नहीं जा सकता।

नगर में कारीगरों की संख्या के बारे में निश्चित आंकड़ों का अभाव है। अंग्रेजों के आने से पूर्व इस नगर में कारीगरों की बहुत बड़ी संख्या थी। नगर की आबादी ही लगभग 4 से 5 लाख थी उस समय इतनी आबादी वाले नगर नहीं होते थे। अंग्रेजों की नीतियों से गंगा के किनारे इलाहाबाद और कानपुर मुख्य शहर के रूप में उभरने लगे। इसी दौरान बनारस की आबादी की बढ़ोत्तरी में भी गिरावट आयी। सन् 1972 में नगर में 5000 बुनकर थे। 1981 तक इनकी संख्या लगभग 150,000 हो गई (डॉ0 नीता कुमार, शोध ग्रंथ पृ0 20) पिछले लगभग 100 वर्षों में नगर की आबादी में बुनकरों की संख्या 1 प्रतिशत से 5 प्रतिशत हो गई। कारीगरों की संख्या में इस वृद्धि से इस उद्योग के विकास को जाना जा सकता है। नगर में सन् 1961 में 35,000 करघे थे जिनकी संख्या अब लगभग 50,6000 है। बनुकरों के अलावा बटईदार, कत्तिन, मांडीदार, रंगरेज, नक्शबंद, जरी के शिल्पी आदि की संख्या जोड़ दी जाय तो इस उद्योग में लगे कारीगरों की विशाल संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। करघे, खली, चरखा, परेता आदि उपकरण बनाने वाले एवं उनकी मरम्मत करने वाले कारीगर वास्तव में इसी हस्तशिल्प उद्योग के हिस्से हैं जिनकी बहुत बड़ी संख्या नगर में है। भदोही, मऊ और मिर्जापुर जहाँ कालीन कंबल या सूती वस्त्र बनाये जाते हैं, के कारीगर भी वाराणसी से ही उपकरण आदि के लिये इन पर निर्भर रहते हैं।

साड़ियों के व्यापार को एक सुव्यवस्थित संगठनात्मक ढाँचे के तहत चलाया जाता है। साड़ियों का व्यापार नगर के कुंजगली और गोलघर क्षेत्र में होता है। सरदार, दलाल, गुमाश्ता, गद्दीदार, महाजन आदि साड़ियों के व्यापार को गति देने वाले व्यक्ति हैं। इनका बहुत ही सुव्यवस्थित संगठन रहा है जो ब्रिटिश काल में भी अपरिवर्तनीय रहा।

इस उद्योग के इतने विस्तार के बावजूद कारीगर के हाथ में बहुत कम पैसा आता है। सम्पूर्ण परिवार के श्रम के योगदान से बनी साड़ी का मूल्य इतना नहीं होता कि वह पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। लेकिन फिर भी वस्त्र उद्योग में लगे कारीगरों की आर्थिक स्थिति अन्य शिल्प उद्योगों के कारीगरों से बेहतर है। कालीन और रेशमी साड़ियों का करोड़ों का व्यापार होता है जिसमें निर्यात भी शामिल है।

काशी के अन्य सभी उद्योगों में लगे शिल्पियों की संख्या अपेक्षतया कम है। धातु शिल्प के कारीगरों की संख्या इस सदी के दौरान ही घटकर आधी रह गई। अधिकांश कारीगर इस उद्योग को छोड़ चुके हैं। बाजार में स्टील, अल्युमिनियम और प्लास्टिक के बर्तनों के आ जाने से यह उद्योग तीब्र गति से समाप्त हो रहा है। देवमूर्तियाँ और पूजा के पात्र बनाने वालों को तो आज भी काम मिल जाता है। विदेशों में बसे भारतीयों से या विदेशों में बन रहे मन्दिरों के लिये देवमूर्तियाँ और पूजा के पात्र बनाने का काम भी मिलता है। किन्तु घरेलु सामग्री बनाने वाले कारीगरों को तो अपना काम छोड़ दूसरे कामों को अपनाना पड़ा है। यही हालत काष्ठ, मिट्टी और पत्थर के शिल्पियों की भी है। इन सभी शिल्प उद्योगों का स्थानीय और विदेशी बाजार सिमटता गया है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के समीकरण बदल जाने से इन उद्योगों पर विशेष मार हुई है। कारीगर अब रोजी-रोटी के लिये श्रमिक बनकर रिक्शा खींचने या माल ढ़ोने का काम करने लगे हैं।

कारीगरों के आर्थिक पक्ष को सुधारने के लिये सरकार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश को प्रोत्साहन दे रही है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत स्थिति बनने के लिये स्थानीय बाजार से शक्ति का संचय अनिवार्य है और स्थानीय बाजार के विस्तार के प्रति सरकारी नीतियाँ प्रायः उदासीन रही हैं।

(घ) समाज

जब हस्तशिल्प उद्योग अपनी कला और वैज्ञानिकता के चरम पर था उस समय शिल्पी समुदाय लघु समाजों के रूप में पल्लवित होते थे। जाति, अथवा किन्हीं अन्य सामाजिक संरचनाओं के रूप में किसी भी शिल्पी समुदाय का अपना समाज होता था। समाज इसलिये कि लगभग सभी आदर्श एवं व्यवस्थायें इनकी अपनी होती थी। सामाजिक मूल्य, नैतिक मान्यतायें, परिवार का संगठन, लोगों के आपसी व्यवहार के नियम तथा उन नियमों के अनुकूल व्यवस्था संचालित करने की पंचायत सभी कुछ उनका अपना होता था। शिक्षा की व्यवस्थायें होती थीं जिसके माध्यम से हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को वह सब कुछ सिखाती थी जो वह सिखाने के योग्य मानती थी। इस समाज के सत्ता के अपने रूप होते थे, ज्ञान का भण्डार और तर्क के विधान होते थे। लघु समाज इन्हें हमने इसलिये कहा है कि बहुधा बस्तियों के रूप में रहने के बावजूद ये जातीय संरचनायें दूर-दूर तक की बिरादरी रखती थीं अतः मूलतः अक्षेत्रीय होती थीं। ये अक्षेत्रीय लघु समाज एक बृहत् समाज का ही भाग हुआ करते थे। महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की यह है कि उनकी वैज्ञानिक एवं कला की ऊँचाईयों को प्राप्त करने

की क्रियायें एक समाज की गतिविधियाँ रही हैं किसी तिरस्कृत वर्ग की तकनीकी मात्र नहीं। शिल्पी समुदायों के विज्ञान का ह्रास उसी दिन से शुरू होता है जिस दिन से उनका समाज विखंडित होना शुरू होता है। अंग्रेजों ने आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक केन्द्रीयकरण का वह दौर शुरू किया जो आज तक शासन की नीति बना हुआ है तथा जिसके चलते ये लघु समाज एक दूसरे से और स्वतः में भी टूटते चले गये हैं। इस रूपांतरण ने उनकी सभी आंतरिक व्यवस्थाओं, मूल्य एवं सत्ता के रूपों को तोड़ दिया है, अर्थात् विज्ञान, कला एवं तकनीकी की भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई। ये टूटे हुये लघु समाज आज किस रूप में अस्तित्व रखते हैं यही उनके भविष्य को तय करेगा।

समाज का अध्ययन करने के लिये वर्तमान ज्ञान विज्ञान की धारा के सिद्धान्तों में इन लघु समाजों की पहचान पूर्णयता नष्ट हो गई मानी जाती है और समाज को ऐसे वर्गों में बंटा हुआ माना जाता है जिनके हित परस्पर भिन्न होते हैं। विभिन्न वर्गों द्वारा अपने हित के लिये किया गया संघर्ष ही समाज को गति देता माना गया है। विभिन्न वर्गो के बीच संघर्ष का आधार मुख्यतः आर्थिक माना जाता है। अतः किसी समुदाय का विकास या उज्जवल भविष्य उसके वर्ग रूप में आकार लेने की क्षमता एवं स्थितियों पर निर्भर हो जाता हैं शिल्पियों के ये लघु समाज या समूह वर्तमान समाज में यदि एक निश्चित वर्ग का रूप ले लें या ऐसी परिणति को अनिवार्य मान लें तो हस्तशिल्प उद्योगों के पुनर्निर्माण के रास्ते नहीं मिलते। क्योंकि इन समुदायों के वर्गो में रूपान्तरण की अनिवार्यता मान लेने का अर्थ है हस्तशिल्प को मात्र एक तकनीक मान लेना यानि शिल्प को मृत या प्राणहीन कर देना।

काशी के हस्तशिल्प उद्योगों से जुड़े शिल्पी समुदायों से वार्ता के बाद यह स्पष्ट होता है कि इन समुदायों में किसी वर्ग रूप में आकार लेने के लिये आवश्यक ''चरित्र'' का अभाव है। इन शिल्पी समुदायों की अपनी पंचायतें हैं। ये पंचायतें भी मुख्यतः आर्थिक प्रश्नों को हल करने के लिये ही पहले लेती है, किन्तु पहल का रूप सरकार से सहायता की मांग करने तक ही सीमित होंता है। किसी संघर्ष की संभावनाओं को ये नहीं देखती हैं। इसका एक कारण यह है कि इन शिल्प उद्योगों में आधुनिक उद्योगों की तरह मजदूर और मालिक जैसी स्पष्ट श्रेणियों में ध्रुवीकरण नहीं है। यह ध्रुवीकरण न होना इन शिल्प उद्योगों के ढाँचे में ही निहित है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दूसरे, सरकार को वे एक ऐसी दूरस्थ परकीय सत्ता के रूप में देखती हैं जिससे संघर्ष या सहयोग दोनों ही सम्बन्ध बनाने के तरीके उनके पास नहीं है और न उन तरीकों से वे परिचित हैं। इसके अलावा इन शिल्प समुदायों की वर्तमान आंतरिक व्यवस्थायें, नैतिक मूल्य, सामाजिक मान्यतायें, रहन-सहन, खान-पान, काम की जगह का चुनाव, मनोरंजन के प्रकार, तथा सार्वजनिक गतिविधियाँ ऐसी हैं जो ऊपर उल्लिखत ''वर्ग चरित्र'' को आकार नहीं देतीं बल्कि समाज की उस व्यवस्था के कुछ बुनियादी तत्वों की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं जिसमें ये समुदाय कभी सक्रिय भागीदारी रखते थे। इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा हम यहाँ करेंगे।

विभिन्न शिल्प उद्योगों के कारीगरों का जातिगत आधार अलग-अलग है। वस्त्र उद्योग के लगभग सभी कारीगर मुसलमान हैं जो जुलाहा कहलाते हैं। बहुत थोड़ी संख्या में हिन्दू कारीगर भी हैं जो हरिजन, मल्लाह, बिन्द और कुर्मी जाति से हैं। जुलाहा जाति के लोग बहुधा अपने नाम के साथ अन्सारी लिखते हैं। धातु शिल्प के कारीगर कसेरा कहलाते हैं। ये सभी हिन्दू हैं। यहाँ के कसेरा अब स्वयं को हैहयवंशी क्षत्रिय मानते हैं। काष्ठ शिल्पियों में परम्परागत जातिगत आधार नहीं है। खर्राद जाति के काफी परिवार इस उद्योग में लगे हैं किन्तु इनके अलावा तेली, बनिया, राजपूत, कुर्मी जाति के लोग भी मिल जाते हैं। पत्थर की मूर्तियाँ बनाने वाले कारीगरों में पासी, तेली आदि जाति के लोग हैं। मृत्तिका उद्योग में लगे लोग कुम्हार हैं। इन कुम्हारों में दुर्गा प्रतिमा बनाने वाले कारीगर बंगाल से कई वर्षो पूर्व यहाँ आकर बसे हैं।

जातिगत आधार अलग होने के बावजूद इन सभी कारीगरों के कार्य करने की पद्धति, मनोरंजन के प्रकार, समय बिताने के प्रकार आदि में आश्चर्यजनक समानतायें देखने को मिलती हैं। अत्यन्त अनौपचारिक माहौल में काम करना इन्हें भाता है। बहुधा कारीगर अपने घर में ही या अगल-बगल किसी वरिष्ठ कारीगर के घर में काम करता है। काम के घंटे कभी निश्चित नहीं होते लेकिन दिन में 8 से 12 घंटे वह काम करता है। छुट्टी का कोई दिन निश्चित नहीं होता। पहले कुछ शिल्पों में एकादशी पर छुट्टी की जाती थी या 14 दिन काम के बाद छुट्टी ली जाती थी लेकिन यह भी अनिवार्य नहीं था। वस्त्र उद्योग के कारीगर अधिकतर एक साड़ी बुनने के बाद या निश्चित किया गया काम पूर्ण कर लेने पर छुट्टी मनाते हैं। फिर से काम को हाथ लगाने के लिये जब 'मन बनता' तभी आते हैं। असल में छुट्टी का दिन निश्चित नहीं होता और कारीगर अपनी इच्छा का स्वामी होता है। मन चाहा तो काम पर बैठते हैं अन्यथा नहीं। काष्ठ शिल्प के कारीगर भी पहले इसी तरह चाहे जब छुट्टी करने के लिये स्वतंत्र थे किन्तु अब चूँकि सरकार ने शुक्रवार का दिन बिजली की पूर्ण कटौती कर कर दिया है इसलिये सप्ताह में एक बार छुट्टी हो ही जाती है। शादी-ब्याह, तीज-त्यौहार में पूरे उत्साह से शामिल होना यहाँ के कारीगर का स्वभाव है (14)। ऐसे अवसरों पर काम की चिंता वह नहीं करता। दुर्गापूजा, ईद, होली, दिवाली आदि त्यौहारों पर वह छुट्टी लेकर जाता है तो कब लौटेगा इसका निश्चित जवाब न कोई देता है न किसी को निश्चित जवाब की अपेक्षा ही होती है। इस प्रकार से कार्य करने वाले कारीगर प्रथम दृष्टि में अत्यन्त अनुशासनहीन जान पड़ते हैं किन्तु जब इनके कार्य की कुशलता देखी जाती है तो उनके मस्तिष्क और हाथ के अत्यन्त अनुशासित सहयोग पर आश्चर्य होता है। उनके जीवन में भी यह अनुशासन दिखाई देता है किन्तु अनुशासन का प्रकार कुछ अलग है।

कारीगरों की बस्तियों में किसी भी समय बहुधा कई कारीगर खाली बैठे हुये, गप लगाते हुये दिखाई देते हैं। आधुनिक पढ़े-लिखे लोग इसे ''आलस्य'' कहते हैं। हस्तशिल्प उद्योगों में लगे कारीगरों की कठिन आर्थिक स्थिति का कारण भी उनके इस आलस्य में मान लेने की भूल कर कला और

जीवन से स्वतः की दूरी और नासमझी को ही प्रकट करते हैं। शिल्प कला निर्माण एक अत्यन्त उच्च स्तर का बौद्धिक कार्य होता है और ऐसे कला कर्म में खाली समय का अत्यन्त महत्व है। इसी खाली समय में कारीगर अपनी कलाकृतियों में श्रेष्ठता लाने के लिये जीवन के विभिन्न आयामों द्वारा अपने अंतर में ऊर्जा एकत्र करता है। वर्तमान आधुनिक उद्योग और कार्यालयों में लगे लोगों का काम अत्यन्त यंत्रवत और बुद्धिहीन होता है (8, पृ0 36) जबकि हस्तशिल्प उद्योग के सभी चरणों में हर बिन्दु पर बुद्धि का ही कार्य है।

अपने बच्चों को कौशल में प्रशिक्षित करने की पद्धति भी मौलिक होती है। साड़ी बुनाई और कालीन बुनाई का प्रशिक्षण 8या 9 वर्ष की उम्र से ही प्रारम्भ हो जाता है। बच्चे की नरम उंगलियों को बुनाई के लिए आवश्यक गति से मोड़ने का अभ्यास कठिन होता है। प्रतिदिन 8या 9 घंटे का अभ्यास करने से 20-22 की उम्र होने तब बच्चा एक कुशल कारीगर बन पाता है। इस लम्बे प्रशिक्षण में शिल्प की सभी बारीकियों को, इसकी कला, विज्ञान, तकनीक, नैतिक और सामाजिक पक्षों को वह आत्मसात करता है। प्रशिक्षण में गुरु-शिष्य के सम्बन्धों में किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती क्योंकि प्रशिक्षण देने वाला कारीगर बहुधा रिश्तेदार होता है या पारिवारिक मित्र। प्रशिक्षण लेने वाले बच्चे को घर का ही सदस्य माना जाता है और अपने बच्चे की तरह ही डाँट-डपट, प्यार और दुलार के साथ कौशल का पाठ सिखाया जाता है। बच्चे का ज्यादातर समय इसी घर में जाता है। अतः उस घर की जिम्मेदारियाँ निभाने में उसकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। धातु और काष्ठ शिल्प के कारीगरों में भी प्रशिक्षण की यही पद्धति दिखाई देती है।

कारीगरों की वेशभूषा भी अत्यन्त सादी कार्य के उपयुक्त और अनौपचारिक होती है। ज्यादातर कारीगर केवल लुंगी या गमछा लपेट कर काम करते हैं। गर्मियों में और वर्षा के उमस भरे दिनों में कमर के ऊपर कुछ भी नहीं पहना जाता। सर्दियों में चादर, गमछा या कुरता पहन लिया जाता है। जुलाहे बहुधा लुंगी और सफेद कमीज पहनते हैं। हिन्दू कारीगर गमछा भी पहनते हैं। काम के घंटों के बाद साफ सुथरे कपड़े भी शौक से पहनते हैं। शाम के समय पान की दुकान या चाय की दुकान पर साथियों के साथ गप करते समय पैंट-कमीज या लुंगी पर कमीज या कुरता पहनते हैं।

काम करने की जगह भी अनोखा माहौल बनाती है जो इन कारीगरों की संवेदनाओं को तीक्ष्ण बनाने में मददगार होती है। शिल्प निर्माण के साथ कारीगर कई तरह के अन्य काम भी करता रहता है। घर में ही काम की जगह होने से वह बीच-बीच में घर के सदस्यों से संवाद भी करता है, काम से उठकर घर के कुछ काम भी निपटाता है, अपने बच्चों को दुलार भी लेता है, साथियों के साथ मन करने पर चाहे जब पान, बीड़ी पीने नुक्कड़ तक चला भी जाता है। घरेलू वातावरण में उसे अपनी कला को जीवन के रसों से पूर्ण करने में मदद ही मिलती है।

वैसे भी समय में बंधकर काम करना उसकी प्रकृति में नहीं है। बल्कि समय को वह अपने

मन के अनुसार बांधता है। काम में मन लगता है तो वह लगातार 12-15 घंटे भी काम करता है और अगर सैर-सपाटे का मन है तो वह कितना भी आवश्यक कार्य क्यों न आ पड़ा हो सैर सपाटे के लिये निकल जाता है। मेले, उत्सव, संगीत समारोहों में, कजरी और बिरहा की दंगलों में, कुश्ती के अखाड़ों में, जहाँ उसका मन लगता है, वह समय और दुनिया को भूलकर उसी में एकरूप हो जाता है। समय के एक-एक कतरे का सदुपयोग वह करता है। समय को व्यर्थ खोना उसके स्वभाव में ही नहीं है।

बनारस का कारीगर रहम दिल माना जाता है। मृदुभाषी और शांत प्रकृति का यह व्यक्ति प्रकृति की लय में ही अपने जीवन की गति को देखता है। बनारस की मिट्टी में उसे जन्मतः ऐसे विचार दर्शन की घुट्टी मिलती है जिसमें वह अपनी कृति को श्रेष्ठ बनाने में ही भगवान या खुदा को पाने का रास्ता देखता है। अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में वह मात्र भौतिक साधनों को एकत्र करते जाने में विश्वास नहीं करता। धन की प्राप्ति के लिये चाहे जो काम करना भी उसे कबूल नहीं है। अनैतिक कार्यो द्वारा धन कमाना तो उसके लिये महापाप है ही किन्तु किसी की नौकरी कर लेना भी उसकी इज्जत के खिलाफ है। इसी कारण चाहे कितने ही मृदुभाषी और हँसमुख क्यों न हो यहाँ के कारीगर किसी के मातहत काम करना कभी पसन्द नहीं करते और उनकी बोली और व्यवहार में सदैव एक अक्खड़पन होता है जो किसी भी तरह उन्हें लाचार नहीं दिखाता।

ऐसा नहीं है कि यह स्वभाव केवल पुरुष कारीगरों का है। हस्तशिल्प उद्योगों में स्त्रियों की भी प्रमुख भूमिका रहती है और कारीगर के इस स्वभाव के निर्माण में उनका भी योगदान है। वे भी कला कृतियों के निर्माण में सहायक होतीं हैं। वास्तव में कलाकृतियों के निर्माण के विभिन्न चरण अपने आप में कला कर्म होते हैं। वे भी रस, भाव, लय, संतुलन आदि नियमों से ही संचालित होते हैं। स्त्रियाँ भी जो हस्तशिल्प उद्योगों के विभिन्न चरणों को नियंत्रित करती हैं, उन्हीं मूल्यों, मान्यताओं आदि को बल देती हैं। एक महिला कारीगर से वार्ता करते समय यह बात मालूम हुई कि साल में कुछ ही महीने उसका पति काम करता है क्योंकि शिल्प उद्योगों में साल भर काम नहीं मिलता है। महिला स्वयं बिन्दी (टिकुली) चिपकाने का कार्य करती है। तब यह पूछने पर कि जब काम नहीं रहता तो तुम घर कैसे चलाती हो? उसका जवाब था कि जितना कमाकर लाता है उसकी में घर चलाते हैं। हजार लायेगा तो चीनी-रोटी खायेंगे और चार सौ लायेगा तो नमक रोटी खालेंगे या नहीं खायेंगे। उसके जवाब में पति के न कमाने पर कोई शिकायत नहीं थी और न ही किसी मजबूरी का इजहार। उसका कहना था कि वह पति है और जितना अपनी मेहनत का कमाया लायेगा उसी में मुझे अपने परिवार की गाड़ी चलानी चाहिये, उससे अधिक की अपेक्षा नहीं करनी चाहिये और न ही उसे किन्हीं भी मार्गो से अधिक धन लाने के लिये बाध्य करना चाहिये।

ऐसी और इसी तरह की कई बातें इन समुदायों के उन बुनियादी नैतिक मूल्यों की ओर हमारा

ध्यान आकर्षित करती हैं, जिनका अस्तित्व आधुनिक उद्योगों से जुड़े समुदायों में नहीं मिलता है, और जो उन लघु समाजों के अन्दर सभी क्षेत्रों में व्याप्त थे जिनकी चर्चा हमने शुरू में की है।

इन समाजों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि ये किसी क्षेत्र विशेष में सीमित नहीं होते शिल्पी समाजों में शादी-ब्याह से बिरादरी के सम्बन्धों का जाल क्षेत्रीय सीमाओं को लांघकर दूर-दूर तक फैला है। कलकत्ता मद्रास और बम्बई तक यहाँ के कारीगरों की रिश्तेदारी होती है। भाषा, बोली, रहन-सहन और खान-पान जैसी क्षेत्रीय विभिन्नतायें इन सम्बन्धों को बनाने में कहीं भी बाधा नहीं बनतीं। शिल्प के कला और विज्ञान के विभिन्न पक्षों के निरन्तर विकास के लिये आवश्यक एक मजबूत आधार ये अक्षेत्रीय समाज प्रदान करते रहे हैं। इन शिल्प उद्योगों के कला और विज्ञान पक्ष के विकेन्द्रित आधार की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। इस विकेन्द्रित आधार के अनगिनत आयाम हैं जो लघु समाजों को एक ऐसी स्वायत्त एवं पूर्ण इकाई का अस्तित्व देते हैं जो बृहत् समाज को अपने अन्दर समेटे रहती है। अतः बृहत् समाज से और विभिन्न स्वायत्त इकाईयों के बीच आपसी सम्बन्धों में एक सहजता, सक्रियता और गति होती है। भारतीय समाज की लम्बे काल से निरन्तरता का आधार ऐसे ही समाज के संगठन में रहा है जिसका मुख्य आधार केवल आर्थिक या भौतिक नहीं रहा है।

कृषि के बाद हस्तशिल्प उद्योगों का ही भारत की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि और उद्योगों को तोड़कर प्रापाहीन बना कर ही अंग्रेज इस देश को लूटने में और इस समाज को छिन्न-भिन्न करने में सफल रहे हैं। गाँधी जी ने इन्हीं उद्योगों को फिर से पुनर्जीवित कर समाज को इस प्रकार से संगठित करने का प्रयास किया जिसमें फिर से ऐसी स्वायत्त इकाईयों का निर्माण होना था जिनमें ज्ञान, तकनीक, कला और अर्थ के आधार पर सत्ता का केन्द्रीयकरण होने की संभावनायें कम से कम हो। ऐसे ही समाज संगठन के प्रकार हस्तशिल्प उद्योगों को नया जन्म दे सकते हैं और उनके फलने-फूलने का आधार बन सकते हैं। आज ऐसे प्रयासों में ही इन उद्योगों का भी भविष्य है।

अध्याय - 4

काष्ठ शिल्प उद्योग

वस्त्र या धातु शिल्प उद्योगों की तुलना में काशी का काष्ठ शिल्प उद्योग बहुत ही छोटा है। सीमित आधार के बावजूद यह अपनी पहचान बनाये रखने में सफल रहा है। काशी के वस्त्रों के बाद काशी के लकड़ी के खिलौने ही यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों और दर्शनार्थियों को आकर्षित करते हैं। हस्तशिल्प उद्योगों की सिमटती दुनियाँ को समझने के लिये यह उद्योग एक उदाहरण हो सकता है। प्रस्तुत अध्याय में दी गई जानकारी का आधार कारीगरों से की गई वार्त में है। प्रस्तुत अध्याय में दी गई जानकारी का आधार कारीगरों से की गई वार्ता में है। (वार्ता के लिये चुने गये कारीगरों की सूची परिशिष्ट-5 में दी गई है)।

4.1 प्राचीनता

काष्ठ शिल्प उद्योगों की प्राचीनता की खोज पुरातात्विक खनन के आधार पर करना संभव नहीं है। धातु या पत्थर की तरह काष्ठ लम्बे समय तक नहीं रहता है और अपेक्षतया जल्दी नष्ट हो जाता है। अतः काशी में भी काष्ठ शिल्प की कृतियों के ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं किन्तु काष्ठ शिल्प के विवरण प्राचीन साहित्य में बराबर मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में विशेष रूप से इसके उल्लेख मिलते हैं। जातकों में बनारस के काष्ठ शिल्पियों के बारे में भी कुछ कहानियाँ हैं। एक जातक में कहा गया है (3, पृ. 47) कि जब वाराणसी में ब्रह्मदत्त राज्य करते थे तब वाराणसी से थोड़े ही दूर बढ़ईयों का एक ग्राम था, जिसमें 500 बढ़ई रहते थे। उनका काम था नाव के द्वारा नदी के उस पार जाकर जंगल में घुसकर घरों के लिए धरन और तख्ते चीरना। वे एक महल या दो-महले घरों के ढाँचे तैयार करते थे। फिर वे खम्भे से लेकर नीचे के सब भागों पर संख्या देते थे और इनको नाव पर लादकर शहर में लाते थे और फिर लोगों की आज्ञानुसार घर बनाते थे। उन्हें मजदूरी कार्षापणों में मिलती थी। वाराणसी में शायद बढ़इयों का एक मुहल्ला था जिसमें एक हजार बढ़इयों का परिवार रहता था।

इन कथाओं के अलावा काशी के शिल्पियों के बारे में सामग्री नहीं मिलती है। हमारे यहाँ पौराणिक कथाओं, महाभारत तथा रामायण की कथाओं में इस शिल्प के बारे में तो अनेक कथायें मिलती हैं लेकिन काशी के शिल्प का विवरण अलग से नहीं मिलता है।

काष्ठ पर खुदाइ का काम निःसन्देह अत्यन्त प्राचीन है। उत्तरी भारत में कुषाण काल के बाद से लकड़ी पर नक्काशी किये हुए दरवाजों के चौखट मिलते हैं। ये चौखट लकड़ी या पत्थर के बने

होते थे। काशी नगर में और नगर के आसपास के क्षेत्रों में आज भी ऐसे भवन मिल जाते हैं, जिनके दरवाजों तथा चौखट पर जो लकड़ी की बनी है सुन्दर नक्काशी की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में निजी घरों के दरवाजे लकड़ी के बने हैं और आज भी लगभग हर गाँव में कम से कम एक घर ऐसा मिल ही जाता है, जिसके दरवाजे नक्काशीदार लकड़ी के बने हैं। ये सभी दरवाजे प्रायः 100 वर्ष पुराने हैं। दरवाजों पर जो अलंकरण होता है उसमें फूल-पत्ती, पशु और पक्षियों को उकेरा जाता है। इस कला में परम्परागत शिल्प की निरन्तरता को देखा जा सकता है। इसके कारीगरों द्वारा प्रयोग की जा रही शब्दावली और संकेतों में भी परम्परा की निरन्तरता की झलक मिलती है। चूँकि आधुनिक भवनों में अब ऐसे दरवाजों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, अतः इस कला के कारीगर भी कम मिलते हैं जो हैं वे भी बिखरे हुए हैं।

काष्ठ शिल्प के अनेक आयाम हैं। काशी में भी काष्ठ से अनेक प्रकार की सामग्री बनायी जाती है। प्रस्तुत अध्याय का विषय हम काष्ठ के खिलौने, मूर्ति एवं सजावट की सामग्रियों तक ही सीमित रख रहे हैं। काशी के काष्ठ शिल्प की पहचान भी इन्हीं से है।

काशी की वर्तमान काष्ठकला का इतिहास 400-500 वर्ष प्राचीन माना जाता है। प्रारम्भ से ही यह कला अधिक नक्काशीदार शायद नहीं थी। काशी के प्रमुख काष्ठ शिल्पी एवं व्यापारी श्री राम खेलावन सिंह इस शिल्प के इतिहास के बारे में जो कहानी बताते हैं वे इस प्रकार है :

''मुगलों के शासन काल में जब स्थानीय राजा एक-एक कर पराजित हो रहे थे काशी पर भी मुगलों का शासन स्थापित हो गया। धर्म परिवत्रन की मजबूरी से या धर्म भ्रष्ट होने के भय से कुछ क्षत्रिय मिर्जापुर के जंगलों में आश्रय लेने के लिए चले गये। इन जंगलों में उन्हें लम्बे समय तक रहना पड़ा। इसी कालावधि में उन्होंने जंगल की विभिन्न प्रकार की लकड़ियों में से उपयुक्त लकड़ियों का चुनाव कर सिन्धौरा और खिलौले बनाना प्रारम्भ किया। जंगल की विभिन्न लकड़ियों से औजार बनाये गये। कालान्तर में वे वाराणसी नगर में आकर बस गये और काष्ठ के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प बनाने लगे।''

आज भी काष्ठ शिल्प के कारीगरों में राजपूत या क्षत्रिय जाति के कुछ परिवार हैं।

वर्तमान में काशी के अलावा मध्य प्रदेश के रीवां और सतना जिले में तथा उत्तर प्रदेश में ही मिर्जापुर और अमरोहा जिले में लगभग इसी शैली का काष्ठ शिल्प उद्योग फैला हुआ है।

काशी में काष्ठ शिल्प के मुख्य रूप से तीन प्रकार मिलते हैं :

1. खराद पर बनी वस्तुएँ
2. तराशकर गढ़ी हुई वस्तुएँ
3. खराद पर बनी वस्तुओं पर बारीक नक्काशी की गयी वस्तुएँ।

पहले दो प्रकार अत्यन्त प्रचलित हैं और काशी के खिलौनों के नाम से इन्हीं की पहचान की जाती रही है। खराद पर बनी वस्तुएँ अपेक्षतया नयी हैं। लकड़ी को तराशकर गढ़ी हुई वस्तुएँ पारम्परिक काष्ठ कला की निरन्तरता में हैं और इन्हीं में परम्परागत काष्ठ शिल्प की झलक भी देखने को मिलती है। तीसरे प्रकार की वस्तुएँ स्थानीय समाज में विशेष प्रचलित नहीं हैं तथा मुख्यतः महानगरों के बाजार के लिए और बाहरी देशों में निर्यात के लिए बनती हैं। इनके कारीगर पत्थर या हाथी दाँत पर नक्काशी करते रहे हैं। पत्थर, हाथी दाँत और काष्ठ अलग-अलग माध्यम होते हुए भी इन पर किये जा रहे अलंकरण के प्रकारों में काफी समानता मिलती है। प्रस्तुत अध्याय में मुख्यतः प्रथम दो प्रकार के काष्ठ शिल्प पर ही चर्चा की गयी है।

खराद पर बनी वस्तुएँ गोल होती हैं इस प्रकार से बनाये गये खिलौनों में चौका, बेलन, रसोई का खेल, लट्टू, फिरकी और सिन्धौरा मुख्य हैं। गढ़कर बनाये गये खिलौनों में बहुत अधिक प्रकार हैं। पशुओं में गाय, बैल, हिरण, हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि। पक्षियों में मोर, तोता, चिड़िया, उल्लू आदि देव मूर्तियों में ब्रह्मा, शिव-पार्वती, विष्णु-लक्ष्मी, गणेश, दुर्गा, कृष्ण, प्रजापति, विश्वकर्मा, हनुमान, इन्द्र आदि बनाये जाते हैं। इनके अलावा पुलिस, संथाल, बैण्ड पार्टी, फर्नीचर सेट आदि विविध प्रकार बनते हैं।

4.2 संसाधन

शिल्प उद्योग के संसाधनों में कच्चे माल का विवरण एवं उपलब्धता, औजार, लागत पूँजी तथा शिल्प के प्रशिक्षण की सुविधाएँ शामिल की गयी हैं।

(क) कच्चे माल का विवरण एवं उपलब्धता

काष्ठ शिल्प वस्तुओं के निर्माण में कच्चे माल के अन्तर्गत मुख्यतः लकड़ी और रंग आते हैं। इस शिल्प में कई प्रकार की लकड़ियों का प्रायोग किया जाता रहा है। पहले खिलौने केवल कोरैया नाम की लकड़ी से बनते थे। यह लकड़ी हल्के पीले रंग की दुधिया चमक लिये होती है। नरम और हल्की होने के कारण खिलौने के लिए यह सबसे उपयुक्त लकड़ी मानी जाती है। पर्याप्त मजबूत होने के कारण इससे बने खिलौने मजबूत और टिकाऊ होते हैं तथा छोटे-से-छोटे खिलौने बनाने में भी टूटने की सम्भावना कम होती है। यह लकड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और बाँदा के जंगलों में तथा बिहार और मध्य प्रदेश के जंगलों में बहुतायत में पायी जाती है।

कोरैया के अलावा भुरुकुन, सलई, गुडई, कैमा, गूलर और सेलम की लकड़ी भी प्रयोग की जाती रही है किन्तु कोरैय्या लकड़ी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ये सभी लकड़ियाँ हल्की और नरम होती है। भुरुकुन लकड़ी की अंदरूनी सतहें अत्यन्त चमकदार होती है। लकड़ी का हल्का रंग, चीकनी सतह एवं चमक खिलौने की सुन्दरता में निखार लाती है और इन पर किये गये रंग भी अधिक लिखते

हैं। सन् 1978 के बाद बने जंगल कानूनों के चलते कोरैय्या की लकड़ी की आपूर्ति बंद कर दी गई और अन्य लकड़ियाँ भी आसानी से उपलब्ध नहीं होती है।

उपरोक्त सभी लकड़ियों के अभाव में यूकेलिप्ट्स की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। यह लकड़ी किसी भी तरह से शिल्प के लिए उपयुक्त नहीं है किन्तु हल्की और सस्ती होने की वजह से तथा उपरोक्त लकड़ियों के अभाव में ज्यादातर कारीगर अब इसी लकड़ी का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं। यह लकड़ी नैनीताल में भी आती है।

नक्कशीदार काष्ठ शिल्प के लिए तेन्दू की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तेन्दू की लकड़ी का बाहरी आवरण जो सफेद या मटमैले रंग का होता है उसे छिलने पर अन्दर से काले रंग की लकड़ी निकलती है। यह लकड़ी बहुत ठोस और मजबूत होती है तथा आसानी से नहीं जलती है। इसी का उपयोग नक्काशीदार शिल्प सामग्री बनाने में किया जाता है।

खिलौनों के लिए इस्तेमाल की जा रही ये लकड़ियाँ जलावन के लिए बहुधा उपयोग में नहीं लायी जाती हैं। मात्र यूकेलिप्ट्स लकड़ी जलाने के लिए भी उपयोग में लायी जाती है।

खिलौनों की रंगाई के लिए पहले प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब इन रंगों की स्मृति भी धुंधली हो गई है। कुछ बड़े-बुढ़े कारीगर यह बताते हैं कि इन प्राकृतिक रंगों में चार या पांच रंग ही मुख्य होते थे। इसी सदी के प्रारम्भ से या पिछली सदी के अन्तिम वर्षो में आये एनिलिन और एलिझरिन रंगों के प्रयोगों ने हस्तशिल्प उद्योगों में परिवर्तन ला दिया। इन रंगों का प्रयोग इस सदी के पूर्वार्द्ध में होने लगा था। इन रासायनिक रंगों में विभिन्नता अधिक है और ये बड़े कारखानों में बनाये जाते हैं। ये रंग बम्बई या बरेली से पावडर के रूप में मंगाये जाते हैं। इस पावडर को रज्जन और लाह में मिलाकर स्थानीय कारीगर विभिन्न रंगों की बत्तियाँ बनाते हैं।

(ख) औजार

शिल्प बनाने के औजार बहुत ही सरल हैं। इनमें से कुछ औजार पहले मद्रास से मंगाये गये थे किन्तु स्थानीय कारीगरों को ये औजार जँचे नहीं और उन्होंने अपनी पसन्द के औजार स्वयं ही बनाये। स्थानीय बढ़ई और लोहारों की मदद से बने ये औजार अत्यन्त कारगर है। रूखाना, बरमा, बसुला, फरूई, चौसा, आरी आदि लगभग पन्द्रह प्रकार के औजार इस्तेमाल किये जाते हैं।

(ग) लागत पूँजी

यह उद्योग अपेक्षतया बहुत कम पूँजी के आधार पर खड़ा है। घरेलू उद्योग होने के कारण अपने घरों के ही एक कमरे में कारीगर इस उद्योग को चलाते हैं। बढ़ई का कार्य करने वालों को अपेक्षतया कम स्थान की जरूरत होती हैं और इनके उपकरण भी बहुत कम होते हैं। एक ही कमरे में या इससे सटे बरामदे में कच्चे माल का संग्रह करते हैं और कमरे या आंगन में बढ़ई का काम

करते हैं। खर्राद वाले कारीगरों को मशीन लगाने के लिए एक कच्चे कमरे की आवश्यकता होती है जिसमें बिजली से चलने वाला खर्राद मशीन लगाया जाता है। इसी कमरे के एक कोने में औजार, निर्मित सामग्री और कच्चे माल का संग्रह किया जाता है। बड़े कारीगरों के यहाँ 7 से 8 खर्राद मशीन 10-12 वर्गफीट के एक कमरे में लगायी जाती है। छोटे कारीगर एक या दो मशीन रखते हैं। यहाँ के कारीगरों के अनुसार इस शिल्प में लगात पूँजी 20 से 80 हजार के बीच लगने का अनुमान किया जाता है।

(घ) प्रशिक्षण की सुविधाएँ

नगर के अन्य शिल्प उद्योगों की तुलना में इस शिल्प उद्योग में पुश्तैनी उद्योग की परम्परा का अभाव है। कई नये लोग इस उद्योग में हाल ही में जुड़े हैं। फिर भी प्रशिक्षण की पद्धति लगभग वही है जो अन्य शिल्प उद्योगों में है। प्रशिक्षणकर्ता स्वयं कारीगर होता है जिसके यहाँ प्रशिक्षार्थी जाकर कला को सीखता है। लगभग दो वर्ष में साधारण वस्तुयें बनाना वह सीख लेता है फिर निरन्तर अभ्यास से अपनी कला में निखार लाता है और अन्य कलात्मक वस्तुयें बनाता है। सरकारी सहयोग से कुछ अस्थाई प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जाते हैं जिनमें नगर के ही सिद्ध कलाकारों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।

4.3 विज्ञान

विज्ञान पक्ष की चर्चा में मुख्यतः तकनीक, प्रक्रियायें, औजार तथा कार्य एवं उत्पादन क्षमता की चर्चा की गई है। तकनीक एवं प्रक्रियाओं को निर्माण के विभिन्न चरणों की चर्चा के अन्तर्गत लिखा गया है।

4.3 निर्माण विधि के विभिन्न चरण

खर्राद पर बनायी जाने वाली शिल्प सामग्रियों और गढ़कर बनाये जाने वाली शिल्प सामग्रियों की तकनीक अलग-अलग है किन्तु दोनों ही में निर्माण विधि के कुछ प्रारम्भिक चरण जैसे लकड़ी का चुनाव और उसको तैयार करने की प्रक्रियाएँ समान हैं। अतः इन प्रारम्भिक चरणों को छोड़ अन्य सभी चरणों की चर्चा हम अलग से करेंगे।

(क) लकड़ी का चुनाव

कोरेय्या लकड़ी का चुनाव इस शिल्प के कारीगरों ने कई परीक्षणों के बाद किया है। कुशल कारीगर श्री रामखेलावन सिंह के अनुसार ''जंगलों में लम्बे परीक्षणों एवं प्रयोगों के बाद उनके पूर्वजों ने इस लकड़ी को सबसे उपयुक्त पाया। यहाँ कारीगरों के अनुसार कोरैया मुलायम, चिकनी, हल्की और चमकदार होती है। श्री राजनाथ वर्मा के अनुसार विशेष मौसम में काटने से इस लकड़ी में कीड़ा लगने की संभावना घटती है। बहुधा 15 फरवरी से 15 सितम्बर के बीच इस लकड़ी की कटाई

की जानी चाहिए। इसका भण्डारण छः महीने तक आसानी से किया जा सकता है। लकड़ी से खिलौने बनाते समय इस बात का परीक्षण कर लिया जाता है कि वह ठीक से सूखी है या नहीं।

अनुभवी कारीगरों के अनुसार पांच वर्ष की उम्र का कोरैया लकड़ी का पेड़ अगर नहीं काटा जाता है तो अन्दर से खोखला होना शुरू हो जाता है। लेकिन यदि इसकी शाखायें काट ली जायें तो फिर से फलने लगता है। श्रीमती विमला देवी का अनुभव है कि कोरैया लकड़ी में छीलन कम निकलती है अतः नुकसान कम है।

कैमा लकड़ी अपेक्षतया कड़ी है लेकिन चमकदार है। लेकिन इस लकड़ी की आपूर्ति में निरन्तरता अपेक्षतया कम है। अन्य सभी लकड़ियाँ इन दोनों की तुलना में कम श्रेष्ठ हैं। भुरुकुन लकड़ी को भी अच्छे खिलौने बनाने के लिए उपयुक्त समझा गया है।

यूकेलिप्ट्स की लकड़ी हल्की जरूर है किन्तु उतनी नहीं जितनी कोरैय्या लकड़ी होती है। यह लकड़ी अत्यन्त रेशेदार है अतः खिलौनों की सतह चिकनी नहीं हो पाती और रंगाई में विशेष रूप से दिक्कतें आती है। यूकेलिप्ट्स लकड़ी का रंग भी कुछ स्याह होता है। चमकरहित स्याह लकड़ी पर रंग खिलते ही नहीं है। इसके अलावा यह लकड़ी कड़ी और गांठदार है, अतः खर्राद मशीन की मरम्मत का खर्च बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस लकड़ी में छीलन की मात्रा भी अधिक है। अतः कारीगर को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है।

लकड़ी खरीदते समय यह देखा जाता है कि उसमें अधिक गांठें न हों और उसमें नमी की मात्रा भी अधिक न हो। खरीदी गई लकड़ी को दस दिन तक सूखने दिया जाता है। पर्याप्त रूप से सूखी हुई लकड़ी ही उपयुक्त होती है। विशेषतः ढक्कनदार खिलौनों के लिए ठीक प्रकार से सूखी हुई लकड़ी का सही चुनाव न किया जाय तो ये खिलौने बेकार हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद सूखने पर इन खिलौनों के ढक्कन या तो बहुत अधिक कस जाते हैं या चटख जाते हैं।

लकड़ी का संग्रह बहुधा घर में ही किया जाता है। अधिक गीली लकड़ी में कीड़ा लग जाता है।

(ख) लकड़ी को तैयार करना

आढ़त से खरीद कर लायी गई लकड़ी को दस दिनों तक सूखने दिया जाता है। फिर गांठ वाला हिस्सा काटकर निकाल दिया जाता है तथा लकड़ी को आवश्यकतानुसार एक या डेढ़ फीट लम्बे टुकड़ों में काट लिया जाता है। छोटे खिलौने बनाने के लिए पतले घेरे की लकड़ियाँ और बड़े खिलौने बनाने के लिए मोटे घेरे की लकड़ियों को अलग-अलग किया जाता है। काशी में खर्राद पर 1 से0मी0 व्यास से लेकर 10 से0मी0 व्यास तक की डिबिया बनायी जाती है। इन लकड़ियों का ऊपरी आवरण छीलकर अलग किया जाता है। खिलौनों के अनुसार तथा मशीन में आ जाय इस आकार में इन्हें काट लिया जाता है।

ये सभी कार्य करने के लिए कारीगर आरा, वसूला, वर्मी आदि लगभग सात या आठ औजारों का प्रयोग करता है।

(ग) लकड़ी से शिल्प को साकार करना

लकड़ी के टुकड़ों से अद्वितीय शिल्प को आकार देने का कार्य दो तरह से किया जाता है— खर्राद मशीन द्वारा या छैनी से तराशकर या गढ़ कर। दोनों की ही चर्चा हम यहाँ करेंगे।

खर्राद पर बनाये जाने वाले खिलौने एक छोटे से मशीन पर बनाये जाते हैं। इस मशीन के कार्य को ही खर्राद कहते हैं जो लकड़ी खरादने का (छीलने का) काम करता है। यह मशीन आजकल बिजली पर चलती है किन्तु परम्परागत मशीन में रस्सी चलाकर वृत्तीय गति में घूमती है को छीलकर आकार दिया जाता था। परम्परागत मशीन को दुआली कहते थे और यह काम करने वालों को खर्रादी कहते थे। खर्राद मशीन पर तैयार की गई लकड़ी के एक टुकड़े को फसाया जाता है। मशीन से इस फंसाई हुई लकड़ी में वृत्तीय गति पैदा होती है। तब कारीगर छैनी आदि उपकरण लेकर तीव्र गति से घूमती हुई लकड़ी को सावधानीपूर्वक मनचाहा आकार देने लगता है। विभिन्न आकार की डिबिया', सिन्धौरा, लैम्प, फूलदान आदि मूर्त रूप लेते हैं। कारीगर अत्यन्त धीरज और कौशलपूर्वक लकड़ी की बारीक से बारीक परत उकेल कर, छीलता जाता है और शिल्प की सुडौलता में वृद्धि करता जाता है। जरा सी असावधानी शिल्प को विकृत कर देती है।

विभिन्न क्षमताओं को डिबिया बनाने के लिए अलग-अलग घेरे की लकड़ियों का प्रयोग होता है जिन्हें मशीन में फिट करने के लिए मशीन में सुविधा की गई है।

गढ़कर बनाये जाने वाले खिलौनों में तैयार की गई लकड़ी को खिलौनों के आकार का काट लिया जाता है। इन टुकड़ों को पशु-पक्षी या मनुष्य की आकृति में ढाला जाता है। यह कार्य अत्यन्त कौशलपूर्वक, नाजुक हाथों से छीलकर या काटकर किया जाता है। लकड़ी की छिलाई या कटाई के लिए अनेक प्रकार के औजार इस्तेमाल किये जाते हैं। नाखून जितने बड़े पशु-पक्षी भी अपने आकार में सुडोल एवं सभी विवरणों से युक्त होते हैं। आकार बढ़ने के साथ उनके शिल्प में कोई अंतर नहीं होता। एक फुट ऊँचे और एक से0मी0 के हाथी की बनावट, सुडौलता और शिल्प में कोई अन्तर नहीं होता। शिल्प की दृष्टि से ऐसी कला अत्यन्त परिश्रमपूर्वक किये गये अभ्यास से ही प्राप्त होती है। काशी की इस शिल्प कला के खर्राद खिलौनों के शिल्प की अपेक्षा कुछ अधिक प्राचीन होने का अनुमान भी किया जाता है।

(घ) मजाई

आकार को प्राप्त किये गये खिलौनों की सतह को चिकना करने के लिए मजाई की जाती है। गढ़े हुए खिलौनों की मजाई करने से पहले हल्की आंच पर उनकी सिकाई की जाती है। सिकाई करने

से लकड़ी के रेशे जल जाते हैं और सतह को चिकनी करने में आसानी होती है। शिवाजी नगर के दशरथ का अनुभव है कि सिकाई करने से खिलौनों में कुछ मजबूती भी आ जाती है। मजाई के लिए बालू-कागज का प्रयोग किया जाता है। मजाई किये गये खिलौने रंगने के लिए दिये जाते हैं।

(च) रंगाई

दोनों प्रकार के खिलौनों की रंगाई अलग-अलग विधि से की जाती है। रंग बनाने की तकनीक भी अलग है। रंगने का काम प्रायः कुम्हार करते हैं। रंग बनाने की तकनीक भी अलग है। रंगने का काम प्रायः कुम्हार करते हैं अतः इस प्रकार काष्ठ शिल्प उद्योग में केवल काष्ठ शिल्पियों की ही कला नहीं हैं बल्कि कुम्हारों की चित्रकारी और रंगाई का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है।

खर्राद के बने खिलौनों पर रंगाई दो प्रकार के रंगों से होती है। एक कच्चे रंगों द्वारा चित्रकारी जो प्रायः कुम्हार करते हैं और दूसरे चपड़ा रंगों से रंगाई जो स्वयं काष्ठशिल्पी खर्राद पर खिलौने को आकार देते समय की करता है। गढ़कर बनाये गये खिलौनों की रंगाई और सजावट कुम्हार ही करते है।

चपड़ा रंगों को लाह और रंज्जन में रंग का पावडर मिलाकर बनाया जाता है। श्री रामनाथ वर्मा के अनुसार एक किलो लाह में एक पाव रज्जन मिलाया जाता है। और एक भरी (अंजुली) रायायनिक रंग की पावडर डाला जाता है। इस मिश्रण को सोनारी कोयले की आंच पर धीमे-धीमे पकाकर मिलाया जाता है। यह कार्य अत्यन्त धीरज पूर्वक सावधानी से करना होता है अन्यथा रंग की बत्तियां सही नहीं बन पाती। हाथ से खींचकर अच्छी तरह मिला देने पर रंग की लम्बी बत्तियां बनाकर रख ली जाती हैं। रंग बनाने के कारीगर बहुधा अलग होते हैं। इन्हें चपड़ा रंग कहते हैं। आज लगभग 120 रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

चपड़ा रंगों से रंगाई के लिए सिन्धोरा, सादी डिबिया आदि को मशीन से फिट करके गोल गति में घुमाया जाता है। इस घुमती हुई कलाकृति में रंग की बत्ती को सटा दिया जाता है। तीव्र गति से घुमती कलाकृति और बत्ती के बीच घर्षण से उत्पन्न ताप के कारण रंग धीरे-धीरे पिघल कर कलाकृति पर पतली परत के रूप में फैल जाता है। इस तरह से की गई रंगाई में चित्रकारी नहीं की जा सकती है और विभिन्न रंग कलाकृतियों पर पतली या मोटी धारी या पट्टी के रूप में केवल गोलाई में ही लगाये जा सकते हैं। इस तरह से रगें हुए खिलौने अपने चटख रंगों के कारण आकर्षित करते हैं।

खर्राद पर बनायी गई कालकृतियों पर कुम्हार कच्चे रंगों से चित्रकारी करते हैं। पशु-पक्षी एवं प्राकृतिक चित्रों को रंगते हैं। चित्र के रंग सूख जाने पर कलाकृति को फिर से खर्राद मशीन पर फिट किया जाता है और चित्र पर चपड़े की एक परत चढ़ा दी जाती है जिससे चित्र पर और सम्पूर्ण कलाकृति पर एक चमक पढ़ जाती है। और चित्र पानी लगने से भी खराब नहीं होते।

कच्चे रंग बनाने की बिधि झाऊलाल प्रजापति के अनुसार निम्न लिखित है—

खड़िया को लेकर बारीक पीस लिया जाता है। खड़िया को गोंद के साथ मिलाकर थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर तब तक कूटते जाते हैं जब तक उसमें लसम न उठने लगे। इस घोल में रंग की बुकनी (पावडर) डालकर रंग तैयार कर लेते हैं। विभिन्न रंग इसी विधि से बनाये जाते हैं।

रंगाई से पहले खिलौनों पर खरिया और गोंद से मिश्रण की एक परत दी जाती है। इसके लिए खड़िया के घोल में खिलौनों को डूबाकर रख दिया जाता है। कुछ घंटों के बाद निकालकर उन्हें सूखने दिया जाता है। इन पर फिर रंगाई की जाती है। रंगाई के लिए एक-एक खिलौनों को पकड़ कर रंगाई करनी होती है। एक खिलौने पर कम से कम चार या पांच रंगों का प्रयोग होता है। रंगने के लिए अलग-अलग मोटाई के ब्रश का इस्तेमाल होता है। श्री झाऊलाल जी बताते हैं कि ये ब्रश गिलहरी के खालों से कारीगर स्वयं ही बनाते हैं। रंगाई हो जाने के बाद खिलौने के रंगो को सूखने दिया जाता है और रंगों को पक्का करने के लिए विरोजा की परत चढ़ाई जाती है। बिरोजा सफेद रंग का होता है जिसे गोहरी की आंच पर पानी में धीरे-धीरे पकाया जाता है। जब घोल तैयार हो जाता है तो एक-एक खिलौना पकड़कर उस पर ब्रश से परत चढ़ायी जाती है।

गढ़े हुये खिलौनों पर एक पक्की रंगाई के लिए डिसटेम्पर में रंग की पावडर मिलाकर पानी में घोल तैयार किया जाता है। खिलौनों को पहले सफेदा से रंग दिया जाता है फिर ब्रश द्वारा रंग से खिलौने पर रंगाई की जाती है। पक्के रंगों के लिए अब एशियन पेन्ट्स का ही इस्तेमाल होता है। निर्यात के लिए बनाई गई सामग्री पर विशेष रूप से इन्हीं रंगों से रंगाई की जाती है। लेकिन यहां के कारीगरों के अनुसार एशियन पेन्ट्स के इस्तेमाल से ब्रश बारीक नहीं चल पाता है और रंगाई में भद्दापन आता है हांलांकि इन रंगों से रंगाई करना अपेक्षतया आसान होता है। रंगे हुये खिलौनों पर अंत में वार्निश की एक परत चढ़ा दी जाती है।

4.3.2 औजार

काष्ठ शिल्पी अपनी कलाकृति को बनाने के लिए कई प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करता है। गोल, आरा, लम्बी, आरी, बसूला, हथौड़ा, रूखाना, बटाली, रेती, आदि प्रमुख औजार है। खर्राद मशीन को एक लकड़ी के खूंटे पर फिट किया जाता है। इस खूंटे को कच्ची जमीन पर गहरे गाड़ दिया जाता है। मशीन को वृत्तीय गति देने के लिए इस पर से कपड़े का पट्टा-चढ़ाकर बड़ी घिरनी पर ले जाया जाता है। इन घिरनियों को इंजन से वृत्तीय गति दी जाती है जो मशीन को भी वृत्तीय गति देती है और मशीन में लगी लकड़ी वृत्तीय गति में तेजी से घूमने लगती है।

कुम्हार बहुधा पेन्सिल, खड़िया, साधारण ब्रश ही इस्तेमाल करते हैं।

4.3.3 उत्पादन क्षमता

काष्ठ शिल्प के कारीगर दिन में 8 से 12 घंटे काम करते हैं। एक दिन में एक कारीगर द्वारा किये गये उत्पादन में बहुत विभिन्नता मिलती है। कृतियों की विविधता तथा व्यक्तिगत क्षमतायें अलग-अलग होने से कार्य क्षमता का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एक कारीगर एक घंटे में 6 से 10 सिन्धौरे बना लेता है। कुम्हार एक दिन में लगभग 25 से 30 सिन्धौरों की रंगाई कर लेता है। फिर रंगाई में कारीगर के साथ घर के अन्य सदस्यों का सहयोग भी बहुधा शामिल होता है।

गढ़ाई के खिलौने बनाने में अपेक्षतया अधिक समय लगता है। एक घंटे में 10 से 25 की संख्या में छोटे आकार के पशु या पक्षी एक कुशल कारीगर बना पाता है। किन्तु देव मूर्तियां बनाने में या सजावट वाले जानवर बनाने में बहुत अधिक समय देना पड़ता है। एक दिन में दो या तीन देव मूर्तियां ही बन पाती है। इस लिए गढ़ाई के कारीगर दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। आज नगर में दोनों प्रकार के शिल्प उद्योग में लगे लोगों की लगभग संख्या 5000 है। वर्तमान में इस उद्योग से 50-60 लाख रूपये का सालाना निर्यात होता है। स्थानीय बाजार के लिए प्रतिदिन 30-35 हजार के सामान की खरीद-फरोख्त होती है।

4.4 कला

खर्राद पर बनाये गये और गढ़ाई के खिलौनों में दोनों ही में विषय-वस्तु की विविधता दिखाई देती है। खिलौनों का कलापक्ष काष्ठ शिल्पी और कुम्हार दोनों पर निर्भर है। वैसे काशी के खिलौनों पर नक्काशी बहुत ज्यादा कभी नहीं होती थी और इनकी सादगी ही आकर्षित करती रही है। वर्तमान में अन्य हस्तशिल्पियों की कला में जो गिरावट आई है और जिसके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक कारण भी रहे हैं उससे यह शिल्प उद्योग भी अछूता नहीं रहा है।

(क) विषय-वस्तु

इन काष्ठ शिल्पों में लगभग 300 प्रकार के खिलौने बनाये जाते हैं। खर्राद पर लगभग 150 प्रकार के बनाये जाते हैं।

खर्राद पर बनाई जाने वाली शिल्प कृतियों में धार्मिक महत्व की वस्तुयें, बच्चों के खिलौनों, घरेलू आवश्यकता की कुछ वस्तुयें एवं सजावट की सामग्री मुख्य है। अन्तराष्ट्रीय बाजार के लिए अलग प्रकार की वस्तुए बनाई जाती है।

धार्मिक महत्व की वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के सिन्धौरे प्रमुख हैं। बच्चों के खिलौनों में बहुत विविधता है। चुसनी, झुनझुना, फिरकी (चकरी), लट्टू परम्परागत खिलौने हैं जो आज भी आकर्षित करते हैं। इनके अलावा सुखी परिवार, दुखी परिवार, संथाल, जोकर, गिनती के लट्टू आदि। पहियों

पर घूमने वाले खिलौनों में चिड़िया, गाड़ी, हवाई जहाज प्रमुख है। डिबियों के असंख्य प्रकार हैं। इनमें से डिबियों के सेट विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। बित्ते भर ऊँचाई की लम्बी सी गो डिबिया बनायी जाती है जिसका आधा हिस्सा ढक्कन का होता है और आधा डिबिया का। पूरी डिबिया को बाहर से रंग कर भालू, कंगारू, शेर, सेन्टाक्लाज आदि का रूप दिया जाता है इस डिबिया के अन्दर इसी तरह की कारीगरी की एक के अन्दर एक आ जाने वाली पांच या सात डिबिया होती है। सबसे छोटी डिबिया 3 या5 सेमी0 की होती है। शतरंज की गोटियाँ भी खर्राद पर बनाई जाती है।

घरेलू आवश्यकता के सामानों में बच्चों का पालना बनाया जाता है। किन्तु ये सामग्री आर्डर मिलने पर ही बनाई जाती है। काशी में जन्माष्टमी के दिन घर-घर में झांकी सजाई जाती है। इस अवसर के लिए छोटे-छोटे पालने बनाये जाते हैं। टेबुल लैम्प, फूलदान आदि सजावट की सामग्री भी बनाई जाती है।

गढ़कर बनाये जाने वाले खिलौनों में पशु-पक्षी, देवमूर्तियाँ एवं मनुष्य आकृतियाँ बनाई जाती है। पशुओं में हाथी, घोड़ा, ऊँट, जिराफ, जेब्रा, हिरन, गाय, बैल आदि कई प्रकार के खिलौने बनाये जाते हैं। पक्षियों में मोर, तोता, उल्लू, बाघ, गौरैया, कौआ, कोयल आदि बनाये जाते हैं। देवमूर्तियों में कारीगरी अधिक होती है। शिव-पार्वती, शिव-पार्वती-गणेश नंदी पर बैठे हुए, गंगावतरण, शेष-शय्या पर विष्णु, विष्णु लक्ष्मी, कार्तिकेय, प्रजापति, विश्वकर्मा, कालियादहन, पूतना वध, हनुमान आदि कृतियों का कथा प्रसंगों सहित भावपूर्ण निर्माण इस कला की श्रेष्ठ गुणवत्ता को ही दर्शाता है। ये कृतियाँ 10से0मी0 से 1 फुट ऊँचाई तक की बनाई जाती है।

मनुष्य आकृतियों से सामाजिक प्रसंगों को दर्शाया जाता है। बराती, हाथी पर हौदे में बैठा राजा, रईस अथवा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, बैण्ड पार्टी, बैलगाड़ी को हाँकता आदमी, कूँए से पानी भरती स्त्रियाँ, ग्वालिन, सिपाही आदि।

फर्नीचर का सेट भी बनाया जाता है जिसमें अलमारी, शृंगार का टेबल, आराम कुर्सी, गोल टेबल और चार कुर्सियाँ, कपड़े रखने की अलमारी, तखत आदि मुख्य हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिए घंटियां, विभिन्न आकार की डिबिया, कंगन और बालियाँ, नक्काशीदार मोतियों की माला, क्रिसमस ट्री के लिए अण्डाकार रंगीन चित्रित गोले, सेन्टाक्लाज आदि बनाये जाते हैं।

(ख) कला की विशिष्टता

इस शिल्प में दो प्रकार के कारीगरों की कला होती है, काष्ठ शिल्पी की और चित्रकारी या रंगाई करने वाले की। यहाँ हम दोनों ही कलाओं की चर्चा करेंगे।

खर्राद पर बनाये जाने वाले खिलौनों में काष्ठ शिल्प की दृष्टि से अत्यन्त सीमित आयाम होते हैं। गोलाई में ही विभिन्न प्रकार की सामग्री को बनाना होता है। इसके बावजूद कारीगर नये-नये प्रकार के खिलौने बनाते हैं। सिन्धौरों में ही कई आकार मिलते हैं। अलग-अलग आकार और प्रकार की डिबिया बनाई जाती है। इन सभी कलाकृतियों के सुगठित आकार का अपना एक अलग आकर्षण होता है।

खर्राद पर वस्तुओं को बनाने वाले कारीगर अलग-अलग वस्तुओं को बनाने की विशेषज्ञता रखते हैं। कुछ कारीगर केवल सिन्धौरा बनाते हैं तो कुछ केवल खिलौने। हालांकि बहुधा कुशल कारीगर सभी वस्तुयें बना लेता है। श्रीमती रामकली केवल शतरंज की मोहरें बनाती है।

गढ़कर बनाने वाले कलाकार को कृति को मूर्त रूप देने में अपेक्षतया अधिक स्वतंत्रता मिलती है। यही कारण है कि विभिन्न प्रकार की कलात्मक मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। नाखून के आकार जितने बड़े खिलौनों में भी आकार को उतनी ही सफाई से उकेरा जाता है जितना एक फूट ऊँचे खिलौने में। छोटी-सी देवमूर्तियों में हाथों में अनेक प्रकार की शक्तियों को दर्शाते हुए, वाहनों पर आरूढ़ देवमूर्तियाँ कला का उत्कृष्ट नमूना पेश करती है।

इसकी कारीगरी में विशेषता का प्रकार भी अलग-अलग होता है। कुछ कारीगर केवल पशु ही गढ़ते हैं, कुछ केवल पक्षी, अन्य कुछ केवल देवमूर्तियाँ गढ़ते हैं तो कुछ दूसरे केवल मनुष्य चेहरे गढ़ते हैं। कुछ कारीगर केवल बैंड पार्टी ही बनाते हैं। बारीक खिलौने गढ़ने वाले और बड़े खिलौने गढ़ने वाले कारीगर अलग-अलग हैं। लक्सा के बाली और सुग्रीव, कल्लू, काशी आदि कारीगर एक जमाने में आदम कद मूर्तिया भी बनाते थे। चुनवां सट्टी के पास रहने वाले छेदी मिस्त्री भी बड़ी मूर्तियों के कुशल कारीगर हैं। श्री लल्लन केवल पुरुष चेहरा ही बनाते हैं और मुंकुदलाल देवमूर्तियाँ। शिवाजी नगर के श्री दशरथ बारीक पशु बनाने के सिद्ध कारीगर हैं।

कारीगरी के अजूबों में यहाँ के कारीगर कई किस्से सुनाते हैं—जैसे लक्सा स्थित बाली और सुग्रीव नाम के कुशल कारीगरों ने ४० वर्ष पूर्व असली ऊँट की ऊँचाई का ही एक ऊँट बनाया था। इन्होंने ही कबीरचौरा स्थित अस्पताल की बिल्डिंग का काष्ठ पर नमूना बनाया था। इसी प्रकार वर्तमान काशी राजा को पुत्र होने पर खर्राद के कारीगरों ने मिलकर एक सुन्दर पालना बनाकर भेंट किया था। इस पालने को बनाने और सजाने में काफी कारीगरों ने सहयोग दिया था।

शिल्प का सबसे आकर्षक पहलू इन पर बनी चित्रकारी और रंगाई का है। काशी के कुम्हार परम्परागत चित्रकार होते हैं। इनके द्वारा बनाये गये चित्रों की शैली का उपयोग भित्ति चित्रों में और वस्त्र उद्योग में भी होता रहा है। काशी की मस्ती इस कला में बहती दिखाई देती है। काष्ठ शिल्पों पर गतिशील रेखाओं की सहायता से पशु, पक्षी और प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण जीवंत मालूम पड़ता है। कुलाचे भरते हिरनों का झुण्ड या हिरन के पीछे भागता शेर, मस्ती में डोलता हाथी या वृक्ष की

शाख पर संन्ध्या समय में बैठा हुआ तोतों का जोड़ा ये सभी एक सुखद अनुभूति देते हैं। कम से कम रेखाओं की सहायता से बनाये गये ये चित्र अपनी भावाभिव्यक्त में अत्यन्त सशक्त होते हैं। संतुलित रंगों का प्रयोग इनमें और भी निखार ले आता है।

गढ़ाई के खिलौनों पर रंगाई का काम भी अत्यन्त कलापूर्ण ढंग से किया जाता है। छोटे से खिलौनों पर नाक नक्श, अलंकार, वस्त्र आदि संपूर्ण विवरण स्पष्टता के साथ चित्रित किये जाते हैं। एक से0मी0 लम्बी चिड़िया में पांच या छः प्रकार के रंगों की सहयता से रंगीन पंख, पूँछ, आंख, गर्दन और पैरों की रंगाई की जाती है।

निर्यात के लिए बनाई जा रही सामग्री की रंगाई में अत्यन्त चटक रंगों का प्रयोग कर उन्हें आकर्षक बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ये चटकीले रंग खिलौनों की सुन्दरता को कम करते हैं।

यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बनाई गई वस्तुओं से कारीगर को लाभ भी अधिक होता है। सरकार भी विदेशी मुद्रा कमाने के लोभ में इन उद्योगों को निर्यातोन्मुख होने के लिए प्रोत्साहन देती रही है। लेकिन कला समाज से जुड़ी होती है और विकास के लिए अपने ही समाज से शक्ति संचय करती है। देशी बाजार में इन शिल्प कलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाये बगैर बाहरी बाजार में इनकी मजबूत स्थिति नहीं बन सकती। परकीय समाज की रूचियों का दबाव इस कला को भावहीन और सौन्दर्यहीन बना रहा है क्योंकि कला में निहित भाव, रस, सौन्दर्य आदि उस समाज के मूल्यों को व्यक्त करते हैं जिस समाज में वह जन्म लेती है। भिन्न सामाजिक मूल्यों को व्यक्त करते हैं जिस समाज में वह जन्म लेती है। भिन्न सामाजिक मूल्यों पर आधारित सामज की रूचियों के अनुसार कलाकृतियों को ढ़ालने का अर्थ है उस समाज के मूलयों को भी शामिल करना। इस संघर्ष में कला भावहीन न हो जाय तो आश्चर्य ही है।

4.5 बाजार

काशी के काष्ठशिल्प का बाजार इस सदी के दौरान ही सिमटता गया है। बाजार में प्लास्टिक के खिलौनों के आ जाने से काष्ठ के खिलौने पसन्द नहीं किये जाते हैं।

सन् 1950 के बाद से बनारसी साड़ियों के बाजार को विस्तार मिला और इसका फायदा यहाँ के काष्ठ शिल्पियों को भी मिला। बनारसी साड़ियों के साथ लकड़ी के खिलौने भी देशी और विदेशी बाजारों में जाने लगे। किन्तु सन् 1978 के बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत शिल्पियों को जंगल से लकड़ी की आपूर्ति बंद कर दी गई। खर्राद मशीनों के लिए जो सन् 1050 से कारीगर इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली की कटौती कर दी गई। इन बातों का उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पिछले दशक के मध्य से निर्यातोन्मुख नीति के चलते इन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और कारीगरों

को अच्छे भविष्य का आश्वासन दिया जा रहा है। निर्यातोन्मुख नीति के तहत कुछ गिने-चुने कारीगरों को तो आर्थिक लाभ होता है लेकिन यह भी सीमित होता है। दूसरी ओर अन्य कारीगरों की कला भी नष्ट हो जाती है और वे श्रमिक बनकर रह जाते हैं।

(क) देशी बाजार

देशी बाजार में धार्मिक महत्व की वस्तुओं में सर्वाधिक खपत सिन्धौरा की होती है। काशी तीर्थ नगरी होने से देश के कोने-कोने से तीर्थ यात्री आते हैं। हमारी संस्कृति में सिंदुर का या स्त्री सौभाग्य का अत्यधिक महत्व है। सिन्धौरा में सिन्दूर रखा जाता है। काशी के बने सिन्धौरों का महत्व भी बढ़ जाता है। ये सिन्धौरे हर तीर्थयात्री अपने साथ ले जाना चाहता है। पूर्वाचल का महत्वपूर्ण नगर होने के कारण काशी से अन्य क्षेत्रों में भी ये सिन्धोरे भेजे जाते हैं। खर्राद पर बनी चकरी, लट्टू और पहियों पर चलती चिड़ियों की भी काफी खपत है।

स्थानीय बाजार में देवमूर्तियों की भी मांग होती है। हालांकि काष्ठ की देवमूर्तियों को न तो गृहों में और न मन्दिरों में प्रतिष्ठित किया जाता है। पर काशी में अलग-अलग त्यौहारों पर निजी और सार्वजनिक रूप से सजाई गई झाँकियों में इन मूर्तियों को रखा जाता है। जन्माष्टमी, दुर्गापूजा, विश्वकर्मा पूजा, होलिका, सरस्वती पूजा, सावन के मेले आदि में लगने वाली असंश्य झांकियों में ये मूर्तियाँ सजायी जाती है।

देश के महानगरों में बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कानपुर तथा कलकत्ता में ये खिलौने भेजे जाते हैं।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ये खिलौने अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर में निर्यात किये जाते हैं। साड़ी के बढ़ते व्यवसाय से काशी के अन्य छोटे हस्तशिल्प उद्योगों को बाजार बनाने में मदद मिली है।

(ग) बाजार के विकास में बाधायें

लकड़ी के खिलौनों का बाजार प्लास्टिक के खिलौने व बिजली से चलने वाले खिलौनों के आ जाने से सिमट गया है। धार्मिक उत्सवों का महत्व भी घटता जा रहा है। अतः इन काष्ठ शिल्पों के बाजार को विस्तार नहीं मिल पा रहा है। परम्परागत कलाकृतियों के प्रति लोगों की बढ़ती अरूचि सबसे बड़ी बाधा बन रही है। घटिया किस्म की लकड़ी, प्रशासन का संवेदना शून्य व्यवहार, शिल्प के मूल्यों में स्थिरता या गिरावट शिल्प की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है।

4.6 सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष

इस शिल्प उद्योग में काष्ठ पर कारीगरी का जो हिस्सा है उसमें कला को सीखने में शायद

अपेक्षतया कम अवधि लगती है। अतः यह कला सीमित नहीं है। इसके विपरीत रंगाई की कला केवल कुम्हार जाति के ही लोग करते हैं जिनका परम्परागत शिल्प मिट्टी के खिलौने बनाना और चित्रकारी करना है।

काष्ठ शिल्पियों में तेली, बनिया, राजपूत, बिन्द, अहीर, कुर्मी, कोयरी तथा कुछ मुसलमान आदि सभी जाति के लोग मिलते हैं। खर्राद मशीन पर काम करने वाले सभी जातियों के कारीगरों को खर्रादी कहा जाता है।

अधिकांश खर्रादी कारीगर नगर के खोजवाँ के क्षेत्र के काश्मीरीगंज में केन्द्रित है। इनकी संख्या लगभग 5000 है। गढ़ाई के कारीगर नगर के अलग-अलग क्षेत्रों में बिखरे हुये हैं। पियरी, रामापुरा, लक्सा, गायघाट, वृद्धकाल, शिवाजी नगर आदि क्षेत्रों में गढ़ाई के कारीगर रहते हैं। इनकी संख्या लगभग पचास के आस-पास होगी।

रंगसाजों में चपड़ा से रंग बनाने वालों की संख्या लगभग 50 है।

कारीगरों में ही कुछ व्यवसायी होते हैं। अन्य शिल्प उद्योगों की तरह ही यहाँ कारीगर, कारखानेदार, व्यवसायी और निर्यातक जैसे भेद होते हैं जो अलग-अलग श्रेणियों के रूप में न उभरकर एक ऐसी सीढ़ी के रूप में होते हैं जिसमें निरन्तर विकास की संभावना होती है। कारीगर ही धीरे-धीरे कारखानदार, व्यवसायी और फिर निर्यातक के रूप में बनता जाता है। हालांकि ऐसा उत्कर्ष बहुत कम कारीगरों को मिलता है।

कच्चा माल बेचने वालों में लकड़ी की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार या अढ़तिया होते हैं।

खर्रादी कारीगरों की अपनी एक समिति है जो कारीगरों के हितों का ध्यान रखती है। इस समिति का नाम वाराणसी काष्ठ खर्राद खिलौना दस्तकारी समिति, काश्मीरीगंज है। गढ़ाई के कारीगर चूँकि बिखरे हुये हैं। अतः इनकी कोई सीमति, नहीं है। उपरोक्त समिति ने उत्पादन के मूल्य को तय करने में, कारीगरों से सामान की खरीदी की पद्धति के बारे में, बिजली और कच्चे माल की आपूर्ति में आई रूकावट आदि जैसे प्रश्नों पर समय-समय पर कदम उठाये हैं। श्री राजनाथ वर्मा के अनुसार पहले कारीगर खुद अपना सामान उठाकर व्यवसायी या महाजन के यहाँ बेचने जाता था। समिति के बन जाने पर महाजन स्वयं कश्मीरीगंज आकर कारीगरों से शिल्प उठाकर ले जाते हैं।

जातिगत आधार अलग-अलग होने से शादी-ब्याह खर्रादियों में न होकर अपनी अपनी जातिगत सीमाओं के भीतर ही होते हैं। खर्रादियों के यहाँ शादी के अवसर पर रस्सी घुमाकर आग पैदा की जाती है और इसी अग्नि के समक्ष विवाह संस्कार होता है।

त्यौहारों में विश्वकर्मा पूजा बड़ी धूम-धाम से की जाती है। रंगाई से जुड़े कुम्हार कारीगरों का समाज हमारे इतिहास के प्राचीनतम समाजों में से है। इस समाज की चर्चा अगले अध्याय में मृत्तिका शिल्प की चर्चा के साथ ही की गई है।

काष्ठ शिल्पियों का आर्थिक पक्ष कुछ अधिक ही निराशाजनक है।

कारीगर अपनी कला के आधार पर इतना भी नहीं कमा पाता है कि परिवार दो वक्त ठीक से रोटी खा सके। इस उद्योग के बारे में सरकार की नीतियों के कारीगरों को अन्य रोजगार अपनाने के लिए बाध्य कर दिया है। बाजार के सिमटने से कारीगर रिक्शा चलाकर, खोमचा लगाकर या माल ढोकर अपनी जीविका चलाने को बाध्य है।

खर्राद का कारीगर दिन में 8 से 12 घंटे काम करने के पश्चात 25 से 40 रुपया तक ही कमा पाता है। गढ़ाई के कारीगरों का हाल इनसे भी बुरा है।

अच्छी लकड़ी की दुर्लभता तथा अनुपयुक्त और निकृष्ट लकड़ी के भाव में निरंतर बढ़ोत्तरी, बिजली की कटौती, रंगों का अभाव, नयी उत्पादित सामग्री का कम मूल्य इस उद्योग में लगे कारीगर को अंततः श्रमिक ही बनाकर छोड़ेगा।

अध्याय - 5

मृत्तिका शिल्प उद्योग

मृत्तिका शिल्प कला मनुष्य द्वारा अर्जित प्राचीनतम कलाओं में से है। सिन्दु घाटी की सभ्यता के युग में भी चाक पर बने मिट्टी के बर्तन उपयोग किये जाते थे इसके प्रमाण मिलते हैं। किसी भी समाज या सभ्यताओं के विकास के स्तर को आंकने में जिस शिल्प कला का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है वह कला और इसके शिल्पी आज सभ्य समाज के घेरे में गिने नहीं जाते। प्रस्तुत अध्याय में काशी की मृण्मय शिल्प कला के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत किया गया है। काशी के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के मृत्तिका शिल्पियों से वार्ता द्वारा जानकारी ही इस अध्याय का आधार है।

5.1 प्राचीनता

काशी के आसपास पुरातात्विक उत्खनन में इस कला की कृतिया। लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व की मिलती हैं। मौर्यकाल से लेकर गुप्तकाल के अंत तक विभिन्न युगों की कला का प्रतिनिधित्व करने वाली मृण्मूर्तियाँ बहुत अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियाँ कला की दृष्टि से अद्वितीय मानी गई हैं। केवल हाथों से गढ़ी हुई या विभिन्न प्रकार के सांचों के द्वारा गढ़ी हुई, कच्ची या पकायी हुई सभी प्रकार की मूर्तियों में विषय, अलंकरण, वेशभूषा, केश रचना, भाव, प्रसंग आदि में इतनी विविधता तथा सहज सुन्दरता है जो स्पष्ट करती है कि इस कला के शिल्पी को मानव जीवन के विभिन्न आयामों का गहरा ज्ञान रहा होगा। मृत्तिका शिल्पी को इसलिए प्रजापति (ब्रह्मा) कहा जाता है। ब्रह्मा द्वारा रची इस सृष्टि में इतनी अधिक विविधता और सुन्दरता है और फिर भी एक संतुलन है जो सहजता पैदा करता है। वही संतुलन और सहजता मृत्तिका शिल्पी की कला में भी है जो उसकी कला में विविधता और गहराई दोनों का आधार भी रहे हैं।

इतिहास के इतने लम्बे काल में मृण्मूर्तिकारों ने अपने विज्ञान, तकनीक एवं कला को निरन्तर परिमार्जित, संवर्धित एवं विकसित किया है। शुंग काल में सांचों में ढ़ली मूर्तियाँ कुछ चपटापन लिए होती थीं। गुप्त काल में आते-आते इनमें गहराई आ गई और वे देखने में तृतीय आयामी लगती हैं। (5,पृ0 257) काशी के कारीगर यहाँ की मिट्टी का महत्व अच्छी तरह जानते थे और इस मिट्टी की विशेषताओं से परिचित थे। मिट्टी को बनाने की प्रक्रियाओं पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। अत्यन्त नाजुक, सुडौल, पतले पात्र या खिलौने बनाने में इन्होंने कौशल प्राप्त किया। बर्तनों को पकाने की पद्धति को इतना सिद्ध कर लिया था कि गुप्त काल में मिली मूर्तियों के रंग भी एक समान हल्के

लाल या बिस्कुटी रंग के हैं। मिट्टी के खिलौनों पर रंगाई भी की जाती थी। गुप्तकाल में शायद सर्वत्र खिलौनों को रंगने की प्रथा थी। काशी से प्राप्त एक मृण्मय स्त्री मूर्ति को साड़ी लाल-सफेद तथा कुच-पट्टिका काली धारियों से सजायी गई है। इन रंगों को लगाने के पूर्व कलाकर मुल्तानी मिट्टी या रामरज का लेप चढ़ाता था। (5, पृ0 259)।

काशी में यह कला आज तक अपनी परम्परागत निरन्तरता को बचाये हुये है। मिट्टी की कला अनेक रूपों में आज भी दिखाई देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के कलश बहुधा मिट्टी के बनाये जाते हैं जिस पर मिट्टी से ही सुन्दर अलंकरण किया जाता है। मकानों की दीवारों पर कच्ची मिट्टी से विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाकर अलंकरण किया जाता है। मिट्टी के पात्र, खिलौने एवं गमलों का आज भी प्रचलन है। काशी में ही लगभग 10,000 लोग इस शिल्प कला से जुड़े हुये हैं। काशी के पास चुनार में सफेद मिट्टी के पात्र बनाये जाते हैं।

मृत्तिका कला के शिल्पी एक ही जाति के हैं जिन्हें कुम्हार कहते हैं। कुम्हार शब्द शायद कुम्भकार का अपभ्रंश है। कुंभकार से तात्पर्य है कुंभ या कलश बनाने वाला। हमारी संस्कृति में कलश को ब्रह्माण्ड का प्रतीक माना गया है और ब्रह्माण्ड का निर्माता ब्रह्मा (प्रजापति) है। कुंभकार भी प्रजापति का ही प्रतिनिधि है जो घट-घट में विद्यमान ब्रह्मा को अपनी कला द्वारा मूर्त करने का प्रयास करता है। प्राणी जगत मिट्टी से बना है और इसी मिट्टी में उसे मिल जाना है। इस मान्यता के कारण मिट्टी से विभिन्न आकृतियों को गढ़ने वाले कुंभकार का आध्यात्मिक महत्व हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से रहा है। काशी की स्थानीय भाषा में कुम्हार को कोहार कहा जाता है। काशी के कोहार यहाँ कब से निवास कर रहे हैं यह किसी को नहीं मालूम। पिछली सदियों में बंगाल से कई कुम्हार नगर में आकर बसे हैं। इनकी कला स्थानीय कुम्हारों की कला से एकदम भिन्न है किन्तु पिछले 100-150 वर्षों के निवास में काशी की मिट्टी का स्वभाव इनकी कला में भी कुछ अंशों में उतरा ही है।

5.2 संसाधन

कुम्हारों की कला का माध्यम मिट्टी है। मिट्टी से विभिन्न प्रकार की सामग्री बनायी जाती है। प्रत्येक प्रकार की सामग्री को बनाने के लिए अलग-अलग प्रकार की मिट्टी का उपयोग होता है। काशी के कुंभकार अपनी कृतियों को रंगते भी हैं।

(क) कच्चे माल का विवरण एवं उपलब्धता

काशी की मिट्टी गंगा नदी द्वारा बहाकर लायी हुई है। इस मिट्टी से अत्यंत पतले किन्तु मजबूत पात्र बनाये जाते हैं। गाँवों के कुम्हार प्रायः किसी पोखरे की तली की या पोखरे के पास की मिट्टी का उपयोग करते हैं। नगर के अधिकांश कुम्हार जल संस्थान की मिट्टी इस्तेमाल करते हैं। जल संस्थान द्वारा नगर में जल आपूर्ति की जाती है। इसके लिए नगर के भदैनी क्षेत्र में बड़े-बड़े पम्प लगाये गये

हैं। इन पम्पों द्वारा गंगा का पानी खींचकर भेलूपूर स्थित जल संस्थान की टंकियों मे एकत्र किया जाता है। यहाँ पानी की सफाई की जाती है। पानी से मिट्टी छानकर अलग की जाती है। तली में बैठी हुई यही मिट्टी कुम्हार इस्तेमाल करते हैं। इस मिट्टी की ऊपरी तह में बालू मिली होती है और नीचे वाली सतहों में केवल चिकनी मिट्टी होती है।

जल संस्थान की मिट्टी की एक विशेषता यह है कि इसमें जरा भी कंकड़ नहीं होते इसलिए कलाकृति बनाने के लिए इस मिट्टी की पूर्व तैयारी में कम समय लगाना पड़ता है। ग्रामीण कुम्हारों को मिट्टी से कंकड़ अलग करने की मेहनत अलग से करनी पड़ती है। मिट्टी गूँथते हुए एक-एक कर ये कंकड़ निकालने पड़ते हैं।

नगर के कुम्हारों ने गुण के अनुसार मिट्टी की दो श्रेणियाँ की है—

1. जब्बर मिट्टी

2. अब्बर मिट्टी

जब्बर मिट्टी में लोच की अधिकता होती है और पकने या सूखने पर इसके चटकने की संभावना होती है।

अब्बर मिट्टी में बालू मिली हुई होती है। इस मिट्टी से पुरवे कसोरे आदि अच्छे बनते हैं। किंतु इसी मिट्टी से अगर बड़े बर्तन बनाने लगे तो मिट्टी बैठने लगती है। बड़े बर्तन बनाने के लिए जब्बर मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। यह मिट्टी खेतों से लायी जाती है।

गंगा के दूसरे तट पर बसे रामनगर के कुम्हार काशीराज द्वारा निर्मित कुण्ड (सागर) से मिट्टी लेते हैं। इस मिट्टी में कंकड़ ज्यादा है। रामनगर के पुरवे, कसोरे आदि बनारस में बने पुरवों से मोटे होते हैं और इसलिए सुघड़ नहीं माने जाते।

कुम्हारों से वार्ता करने पर यह आश्चर्य हुआ कि मिट्टी की विशेषताओं का वर्णन वे मनुष्य स्वभाव की तुलना के साथ करते हैं। जैसे किसी मनुष्य का स्वभाव जल्दी गुस्सा हो जाने का है वैसे ही किसी मिट्टी को जरा ताप दो तो वह चटक जाती है। ऐसी मिट्टी को ही बनारस वाले जब्बर मिट्टी कहते हैं।

बड़े पात्रों पर लाल रंग के लिए विशेष प्रकार की मिट्टी इस्तेमाल होती है। यह मिट्टी सूखने पर पत्थर जैसी कड़ी हो जाती है। ग्राम बसकड़ा के कुम्हारों द्वारा इस मिट्टी के बनाये गये गोले देखने पर हल्का पीलापन लिए हुये दिखाई दिये। इस मिट्टी में थोड़ा सोड़ा मिलाकर और आम के पेड़ की छाल भिगोकर रंग बनाया जाता है।

गर्मी में ठण्डे पानी के बड़े-बड़े झंझर बनाये जाते हैं जिसकी बाहरी सतह पर चमकदार बालू लगायी जाती है। यह चमकदार बालू सब जगह नहीं मिलती। गंगा के दूसरे तट पर फैली बालू में

कहीं-कहीं ये मिलती है। किसी स्थान पर इस बालू के मिलने की संभावना को एक विशेष प्रकार की चींटी की उपस्थिति से जाना जाता है।

कुम्हारों के उपकरणों में चाक और पीटने वाले औजार मुख्य हैं। चाक चुनार से बनकर आते हैं। पीटकर बनाये जाने वाले घड़ों के लिए शीशम की लकड़ी के पीटने बनते हैं। चाक के बीच में इमली की लकड़ी का खूँटा लगता है। ये उपकरण कुम्हार लोग स्वयं बना लेते हैं।

पात्रों को पकाने के लिए गोबर की गोहरी और कोयले का बुरादा इस्तेमाल किया जाता है। आँवा में लोहे की एक विशेष प्रकार की जाली लगती है।

(ख) लागत पूँजी

कुम्हारों का यह परम्परागत शिल्प उद्योग है। अतः लागत पूँजी का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है। मिट्टी को प्राप्त करना विशेष रूप से नगरीय क्षेत्र में कठिन होता जा रहा है। आँवे को लगाने का ईधन आदि भी दुष्प्राप्य हो रहा है। यह शिल्प उद्योग बहुत ही कम पूँजी में बड़ा किया जाता है। कच्चे माल का अभाव बराबर बना रहता है।

(ग) प्रशिक्षण की सुविधायें

कारीगर बहुधा अपने पिता या बड़े-बूढ़ों से घर पर ही रहकर इस शिल्प को सीखता है। सरकारी प्रयासों से भी प्रशिक्षण प्रदान करने के स्थान हैं किन्तु इतनी सुन्दर और कारगर घरेलू वातावरण में मिलने वाली शिक्षा के आगे ऐसे सरकारी प्रयास विफल ही होंगे।

5.3 विज्ञान

काशी के परम्परागत कुम्हारों की, चुनार के कुम्हारों की तथा बड़ी मूर्ति बनाने वाले बंगाल से आये कुम्हारों की तकनीक में विभिन्नतायें है। यही नहीं छोटे पात्र बनाने की, बड़े पात्र बनाने की, खिलौने बनाने की, देवमूर्तियाँ बनाने की, मोती बनाने की, लकड़ी के खिलौनों पर रंगने आदि की विशेषज्ञता रखने वाले कुम्हार अलग-अलग होते हैं। रामनगर के कुम्हारों से चर्चा करने से मालूम हुआ कि पहले कुम्हार ही घरों को मिट्टी से छँवाने का, सफेदी करने का, छत की टाइल्स बनाने का काम करते थे। इससे कुम्हारों की विशेषज्ञता के नये क्षेत्रों पर प्रकाश पड़ता है। यह निश्चित जान पड़ता है कि कुम्हारों का मिट्टी के बारे में विस्तृत ज्ञान मात्र पात्र-निर्माण एवं मूर्ति निर्माण तक सीमित नहीं रहा होगा। बल्कि भवन निर्माण सामग्री में भी कुम्हारों की विशेषज्ञता की सहायता ली जाती रही होगी। इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि परम्परागत समाज में शायद मिट्टी के भवनों के विज्ञान (वास्तु-विज्ञान) के विशेषज्ञ कुम्हार ही रहे हों। हालांकि वर्तमान में बनारस के कुम्हार ईंट या टाइल्स बनाने के काम को बहुधा हेय दृष्टि से देखते हैं। मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी की पहचान करना

आदि कुछ प्रारम्भिक चरणों में समानता है। निर्माण विधि की विभिन्न चरणों की चर्चा में हम मुख्यतः तकनीक एवं प्रक्रियाओं की चर्चा करेंगे।

5.3.1 निर्माण विधि के विभिन्न चरण

मिट्टी से कलाकृति के निर्माण की विधि काफी लम्बी होती है तथा अनेक चरणों से गुजरकर तब पूर्ण होती है। परिषिष्ट-2 में काशी के ग्रामीण क्षेत्र के शिल्पकार श्री राम आधार द्वारा दी गई इस शिल्प की जानकारी को संलग्न किया है।

(क) मिट्टी की तैयारी

कुम्हारों को चिकनी तथा लसदार मिट्टी की आवश्यकता होती है। ऐसी मिट्टी बहुधा पानी के स्रोतों के निकट पाई जाती है। गाँव के पोखरों में नदी के किनारों से, तालाब के पास की मिट्टी में ये गुण पाये जाते हैं। ऐसी मिट्टी को एकत्र कर लिया जाता है। मृत्पात्र बनाने के लिए छोटी मूर्तियाँ या खिलौने बनाने के लिए, बड़ी मूर्तियाँ बनाने के लिए अलग-अलग प्रकार की मिट्टी लगती है। जल स्रोतों के पास से एकत्र की गई मिट्टी में ही अन्य कई सामग्री के मिलाने से अलग-अलग प्रकार की मिट्टी बनाई जाती है।

बर्तनों को बनाने के लिए एकत्र की गई मिट्टी पर्याप्त लसदार नहीं होती है। इसे लसदार बनाने के लिए 5-6 दिन पानी देकर पांव से रौंदते हैं और सड़ाते हैं। इस प्रक्रिया से उसमें लसम आ जाता है। इस लसदार मिट्टी के लोदे बनाकर उसमें से छोटे कंकड़ आदि को निकाल कर अलग करते हैं। इन लोदों को जमीन पर जोर-जोर से पटका जाता है जिससे मिट्टी के अन्दर की हवा के बुलबुले निकल जायें। शीतल पानी के पात्र बनाने के लिए मिट्टी में कुछ बालू और पीली मिट्टी भी मिलायी जाती है।

मिट्टी के बनाने में विभिन्नता है। कहीं मिट्टी में मुट्ठी भर बालू मिलाते हैं तो कहीं उपलों (गोबर) की राख, जूट, भूसा, अथवा रूई मिलाई जाती है। मिट्टी को बनाने का कार्य अत्यंत श्रम का होता है। बड़े पात्र बनाने में मिट्टी भी अधिक लगती है। मिट्टी को लोहे के औजार से कई बार काट-काट के मिलाया जाता है।

दुर्गा की बड़ी मूर्तियाँ बनाने वाले कारीगर काली मिट्टी का ही प्रयोग करते हैं। चटखे हुए स्थानों को जोड़ने के लिए या मूर्ति के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए गंगा के किनारे की मिट्टी ही उपयोग में लायी जाती है।

(ख) मिट्टी से कलाकृति को आकार देना

पात्र बनाने के लिए चाक का ही उपयोग किया जाता है। चाक पत्थर का बना होता है। चाक के बीच में इमली की लकड़ी का खूंटा लगा होता है। चाक के बीच में मिट्टी का लोंदा रखा जाता

है। कुम्हार एक लकड़ी को चाक में फँसाकर चाक को वृत्तीय गति देता है। मिट्टी के लोंदे पर हाथ और अंगुलियों से उचित दबाव लाकर कारीगर मनचाहे आकार के पात्र बनाता है। धागे की सहायता से बने हुए पात्र को मिट्टी के लोंदे सं अलग करता है। इस प्रकार पुरवा, कसोरा, दीया, गुल्लक, लोटे, बच्चों के रसोई के खेल के घड़े एवं पात्र आदि बनाये जाते हैं। पात्रों में सुडौलता लाने के लिए निर्माण के कुछ घंटे बाद उन्हें फिर से चाक पर चढ़ाकर आकार दिया जाता है। ये पात्र पतले और हल्के होते हैं।

गमले, झंझर, सुराही, पशुओं के लिए दाना-पानी के पात्र जैसे बड़े-बड़े मृत्पात्र सांचों पर पीट-पीट कर बनाये जाते हैं। ये बहुधा मोटे और भारी होते हैं। कभी-कभी इन पात्रों को दो अलग-अलग भागों में बनाया जाता है और थोड़ा सूखने के बाद उन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। कभी-कभी पात्रों का ऊपरी भाग चाक पर भी बनाया जाता है।

ग्राम बसकड़ा के कुम्हार बड़े घड़ों को बनाने में विशेष रूप से निपुण हैं। बड़े चाक पर पहले लगभग 1-1.5 लीटर क्षमता की मोटी दीवार का सुराही के आकार का पात्र बनाया जाता है। थोड़ा सूखने पर शीशम के पीटने (एक औजार) से हल्की बालू या गोहरी की राख लगाते हुये पीट-पीट कर इसी पात्र से 40-60 लीटर क्षमता के घड़े बनाये जाते हैं। इस प्रकार एक घड़े को पूर्ण आकार देने में लगभग एक घंटा लगता है।

घड़ों को पीटने की तकनीक बहुत सरल है किन्तु जरा सी चूक होने पर घड़ा तड़क जाता है। कुम्हार के एक हाथ में पकी हुई मिट्टी का चपटी सतह वाला एक औजार होता है जो वह घड़े के अन्दर घड़े की दीवार से इस प्रकार सआता है कि औजार की चपटी सतह घड़े की दीवार से सट जाय। दूसरे हाथ में शीशम का पीटना लेकर चमकदार बालू लगाकर घड़े के बाहर से वह ठीक उसी स्थान पर हल्के से पीटता है जहाँ घड़े के अन्दर से वह औजार से घड़े की दीवार को सहारा दिया हुआ है। धीरे-धीरे घड़े को गोल-गोल घुमाते हुए यह प्राक्रिया वह बारम्बार करता जाता है और घड़े की दीवार सभी जगह से समान रूप से पतली होती जाती है। इसप्रकार घड़े का आकार बढ़ता जाता है। बड़े पात्रों की पैंदी या तला बाद में जोड़कर और फिर पीटकर इसे गोल आकार दिया जाता है। इस प्रकार एक घड़े को बनाने का कार्य अत्यन्त सावधानी से करना होता है। पात्र न अधिक सूखना चाहिए न अधिक गीला रहे, पीटने का कार्य एक समान हो, बालू एक समान बिखरकर लगे।

खिलौने बनाने के लिए निम्नलिखित दोनों पद्धतियों का उपयोग किया जाता है—

1. हाथ से गढ़ाई

2. साँचे से ढलाई

छोटे-छोटे पक्षी, मोती और कुछ खिलौने जैसे कुश्ती लड़ते पहलवान, हाथी आदि हाथ से

गढ़कर बनाये जाते हैं। इनमें से कुछ साँचे से भी बनाये जाते हैं। गणेश तथा लक्ष्मी की मूर्तियाँ, अन्य देवमूर्तियाँ, ग्वालन, बबुआ आदि भी साँचे में बनते हैं। साँचे में बने कुछ खिलौनों के कुछ हिस्से हाथ से भी बनाये जाते हैं जिन्हें जोड़ दिया जाता है। साँचे में ढालने के लिए मिट्टी को पीटकर चादर के रूप में फैलाया जाता है। इस चादर को साँचे में डालकर आकार दिया जाता है। साँचे कारीगर स्वयं बनाते हैं। लक्सा की श्रीमती लालमनी स्वयं साँचे में खिलौनों को बनाती हैं। साँचे में पहले राख लगाकर तब वे मिट्टी की चादर चढ़ाती हैं। थोड़ा सूख जाने पर खिलौने के दोनों हिस्सों को जोड़ देती हैं। मूर्तियों को आधार देने के लिए लोहे की तारों का प्रयोग किया जाता है।

खिलौने या छोटी देवमूर्तियों को बनाने में कुम्हार एक कलाकृति को लेकर उस पर एक के बाद एक लगभग 10 से 15 प्रक्रियाओं को करता है। प्रत्येक प्रक्रिया के बीच कुछ समय खाली छोड़ा जाता है। जैसे साँचे में से निकालने के बाद मूत्रि को कुछ देर सुखाने के बाद हाथ, पैर एवं अन्य बारीक चीजें हाथ से लगानी होती हैं। सजावट को जोड़ने के लिए और मूर्ति का आधार देने के लिए लोहे की बारीक-बारीक छड़े डाली जाती हैं और पुनः मूर्ति को सुखाया जाता है।

आदमकद मूर्तियों में सरस्वती, गणेश, दुर्गा, कार्तिकेय, विश्वकर्मा आदि बनाये जाते हैं। इन सभी मूर्तियों के लिए पहले बाँस और पुआल की सहायता से ढाँचा बनाया जाता है। इन ढाँचों पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर मूर्ति का आकार दिया जाता है। अंगुलियाँ, नाक-नक्श, वस्त्र आदि अलग से बनाकर लगाये जाते हैं। बाँस का ढाँचा बनाना, मिट्टी चढ़ाना, अंगुलियाँ आदि अंगों को बनाने का काम कारीगरों में बँटा हुआ होता है और इस प्रकार अलग-अलग हिस्सों में होने वाले कार्यों के अलग-अलग विशेषज्ञ होते हैं। आँखों को बनाने की कला वरिष्ठ कलाकार के ही पास होती है। इसमें विशेष कला होती है क्योंकि देवता की आँखें इस प्रकार बनानी होती हैं कि भक्त चाहे जिस कोण से देवता को देखे उसे यह लगना चाहिए कि देवता उसी की ओर देख रहे हैं।

मिट्टी का लेप चढ़ाने के बाद कुछ दिन सूखने दी जाती है। मूर्ति के सूखने से यह जगह-जगह से फटती जाती है। इन फटी हुई जगहों में फिर से मिट्टी भरी जाती है। इसके बाद पूरी मूर्ति पर पतला कपड़ा चढ़ाकर उस पर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता है। अंत में मूर्ति में नसों की झुर्रियों को और चेहरे के भाव बनाये जाते हैं। मूर्तियों में पहले मिट्टी से ही केश, वस्त्र, अलंकार बनाये जाते थे किन्तु अब वास्तविक साड़ी, आभूषण, और केश अलग से पहनाये जाते हैं।

मुखौटे बनाने के लिए साँचे पर गीली दफ्ती चिपकाते चले जाते हैं। निश्चित मोटाई के बाद सुखाकर इन्हें रंग लिया जाता है।

(ग) पात्रों को पकाना

साँचे या चाक से उतारे गये पात्रों को पकाने से पहले उन्हें धूप में सुखाया जाता है। मिट्टी के छोटे खिलौनों को भी आँवे में पकाया जाता है। बड़ी दूवमूर्तियाँ कभी नहीं पकायी जाती हैं।

वाराणसी नगर में दो प्रकार के आँवे (6, पृ. 55) मिलते हैं। दोनों की रचना में अन्तर है—

एक में आँवे का आकार छिछले कटोरे सा होता है। उपले, भूसे आदि को ईंधन के रूप में प्रयोग में लाते हैं इसमें तापमान भी अपेक्षाकृत कम होता हैं धुआँ आँवे के भीतर ही रह जाने से पात्र काले हो जाते हैं और ठीक से पकते भी नहीं हैं। पात्रों को इस प्रकार सजाते हैं कि बीच में एक छेद रह जाता है। इस छेद पर बाद में आग रखी जाती है। अंत में आँवा गोबर, मिट्टी से लीपकर बन्द कर दिया जाता है।

दूसरे प्रकार में आँवा आधा भूमि के नीचे ओर आधा ऊपर होता है। लगभग एक मीटर तक गहरा गड्ढा होता है। बीच में लगभग एक फीट की जगह छोड़ दी जाती है जिस पर जाली बना दी जाती है। आग नीचे से प्रज्जवलित की जाती है। बीच-बीच में इसमें उपले, लकड़ी आदि डालते जाते हैं। कोयले का पूरा भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस आँवे में तापमान कुछ अधिक जाता है और समान रूप से फैलता है। आँवे को जलाने से पहले ऊपर से पुआल डालकर गोबर से लीप दिया जाता है। आँवा ठण्डा हो जाने पर बर्तनों को निकाला जाता है।

छोटे पात्रों के लिए आँवा छोटा ही होता है। पुरवे, कसोरे आदि पकाने के लिए जो आँवे होते हैं उनका व्यास लगभग 3 फीट होता है। कहीं-कहीं 4-6 फीट व्यास के आँवे भी हैं।

बड़े पात्रों को पकाने के लिए बहुत बड़े-बड़े आँवे होते हैं। बसकड़ा ग्राम में 5 फीट गहरे और 20 से 25 फीट व्यास के आँवे हैं। इन आँवों में लगभग 5-6 हजार का सामान एक साथ पकाया जाता है। आँवे की रचना प्रथम प्रकार के आँवे के समान होती है। इतने बड़े आँवों को लगाना भी एक उच्च स्तर की तकनीक है। उपलों की परतों के बीच मिट्टी के पात्रों की कई परतें सजायी जाती है। सबसे अन्त में इस पर पुआल बिछाकर गोबर और मिट्टी से लीपकर बन्द कर दिया जाता है। इतने बड़े आँवे को लीपने के लिए चारपायी पर हलके-हलके चढ़कर पूरा आँवा लीपा जाता है। इस प्रकार लीपने से एक भी घड़ा टूटता नहीं है।

छोटे आँवे में 8 से 10 घण्टे में पात्र पक जाते हैं। बड़े आँवों में सात-आठ दिन में पात्र पकर तेयार होते हैं। वर्षा के दिनों के लिए छप्पर के नीचे आँवे जलाये जाते हैं।

छोटी देवमूर्तियाँ, खिलौने, मोती आदि बारीक सामग्रियों को भी आँवे में पकाया जाता है। अत्यन्त बारीक खिलौनों के लिए लोहे के झारे (मिठाई छानने के लिए हलवाई इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार के) उपयोग में लाये जाते हैं। इन झारों पर खिलौने बिछाकर आँवे में डाले जाते हैं।

(घ) रंगाई

पात्रों को लाल, काला या भूरे रंग का बनाने के लिए आँवे में पकाने से पहले ही उन्हें रंगना पड़ता है। धूप में सुखाये गये पात्रों पर रेह या सोडा, कत्था, सिन्दूर तथा आम की छाल के मिश्रण

को रात भर भिंगोकर रखने से बने घोल के ऊपर के पानी का लेप चढ़ाया जाता हे। इन पात्रों को आँवे में पकाया जाता है। पके हुए पात्र लाल रंग की हल्की चमक लिये होते हैं।

चमकीले बर्तन बनाने के लिए (आज, 16 नवम्बर, 1956) रंग, काँच और सोहागा के मिश्रण का लेप पके हुए बर्तनों पर चढ़ाया जाता है। रंग धातु के होते हैं जैसे काला-भूरा रंग के लिए मैंगनीज, हरे रंग के लिए तांबा, लाल रंग के लिए लोहा आदि।

मिट्टी के खिलौनों को रंगने के लिए उन्हें धूप में या छोटे आँवे में पका लेते हैं। इसके बाद इन्हें गोंद में मिले खड़िया के घोर से रंगा जाता है। थोड़ी देर इन्हें फिर से धूप में सूखने दिया जाता है। सूखे हुए खिलौनों पर अलग-अलग रंगों से रंगाई की जाती है।

(च) नक्काशी

पात्रों पर नक्काशी के लिए कच्चे पात्रों पर नाखून, सलाई या धागे की सहायता से नक्काशी की जाती है। कभी-कभी हाथ से अलग से मिट्टी लगाकर भी नक्काशी की जाती है। इन पात्रों को फिर आँवे में पकाकर पक्का कर लिया जाता है।

5.3.2 औजार

कुम्हार के औजार बहुत ही सरल होते हैं। इस शिल्प में मुख्य औजार पत्थर का चाक होता है जो पात्रों को बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। 1.5 फीट से 3 फीट के व्यास वाले चाक प्रयुकत होते हैं। चाक पत्थर के बनते हैं पत्थर बनारस के पास चुनार की चट्टानी पहाड़ियों से काटा जाता है। लगभग एक इंच मोटाई के इन चाकों में दो छेद होते हैं। एक छेद चाक के केन्द्र में होता है। इस छेद पर चाक जमीन में गड़े लकड़ी के खूँटे पर टिका होता है। लकड़ी के खूँटे के लिए इमली की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। यह लकड़ी अत्यन्त मजबूत होती है। केन्द्र से थोड़ी दूरी पर एक और छेद होता है, जिसमें लकड़ी डालकर कुम्हार चाक को वृत्तीय गति देता है। चाक जमीन से लगभग 6 इंच ऊँचाई पर रहता है। यह चाक 200 रुपये तक मिल जाता है। कहीं-कहीं बिजली से चलने वाले चाक भी इस्तेमाल किये जाने लगे हैं किन्तु ये चाक महँगे हैं (लगभग रुपये 3000/-) और बिजली की व्यवस्था होने की माँग रखते हैं सरायनन्दन, खोजवाँ, रामनगर, कन्दवा, सीरगोवर्धनपुर में कहीं-कहीं ये चाक दिखायी देते हैं। किन्तु इन चाकों पर कुम्हारों को केवल छोटे पात्र ही बनाते हुए देखा गया है।

इमली की लकड़ी का खूँटा तीन-चार वर्ष तक चलता है। इस खूँटे पर थोड़ा सा तेल लगाकर चाक रखा जाता है। तेल लगाने से घर्षण को कम से कम कर दिया जाता है, जिससे चाक की गति बहुत देर तक रहती है।

बर्तनों को काटने के लिए धागे का उपयोग करते हैं। घूमते हुए पात्र की पेंदी में धागा लिपट

जाता है और हलके-से खींचने पर पात्र को सफाई से शेष मिट्टी से काटकर अलग कर देता है।

पीटकर बनाये जाने वाले पात्रों के लिए पीटने बनाये जाते हैं। ये शीशम की लकड़ी से बनाये जाते हैं। पीटने का दूसरा हिस्सा जो घड़े के अन्दर सहारा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पकी हुई मिट्टी का बनाया जाता है, जिसे पकड़ने के लिए मूँठ बनी होती है।

खिलौने और देवमूर्तियों के साँचे बने होते हैं। ये साँचे कुम्हार स्वयं बनाते हैं। इन मूर्तियों के हाथ, पाँव, आयुध आदि अलग से बनाकर जोड़े जाते हैं।

5.4 कला

काशी के कुम्हारों ने यहाँ की चित्रकला और खिलौने बनाने की कला को विशिष्टता प्रदान की है। कुम्हारों द्वारा की गयी चित्रकारी के कलापक्ष की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। इस अध्याय में हम पात्र एवं मूर्ति निर्माण के कलापक्ष की चर्चा करेंगे।

(क) विषय वस्तु

काशी में मिट्टी से बनायी गयी कलात्मक वस्तुओं में बहुत विविधता मिलती है। मिट्टी के पात्रों में दीये, पुरवे, झंझर, घड़े, लोटे, सुराही आदि बनाये जाते हैं। खिलौनों में पशु, पक्षी, मनुष्य एवं देवमूर्तियाँ बनायी जाती हैं। आदम कद मूर्तियों में दुर्गा, होलिका, सरस्वती, विश्वकर्मा, काली, गणेश आदि मूत्रियाँ बनायी जाती हैं। पशुओं में हाथी, ऊँट, गाय, बैल, जिराफ, घोड़ा, खरगोश आदि बनते हैं। पक्षियों में मोर, तोते, गोरैया आदि बनाये जाते हैं। मनुष्य आकृतियों में ग्वाला, सिपाही, पहलवान आदि बनाये जाते हैं। जन्माष्टमी की झाँकी के लिए श्रीकृष्ण की लीला के विभिन्न प्रसंगों को दर्शाने वाली मूर्तियाँ भी बनायी जाती हैं। इसके अलावा चिलम, गुल्लक, भोजू, घण्टी, चूल्हा, खेने के रसोई के बर्तन, झोपड़ी आदि बनाये जाते हैं।

(ख) कला की विशेषता

स्थानीय कला में लोच, सुडौलता, सहजता और सरलता ही कलाकृतियों की सुन्दरता का आधार है। यहाँ के पक्षी विशेष रूप से सुन्दर बने होते हैं और स्थानीय परम्परा की निरन्तरता को इनमें देखा जा सकता है। पिंजरे में तोता, रिंग में बैठा तोता, पेड़ पर बैठे मोर आदि कुछ खिलौने तो अत्यन्त आकर्षक होते हैं।

काशी की कारीगरी की यह विशेषता है कि बारीक से बारीक कला वस्तुएँ यहाँ बनायी जाती हैं। कारीगरों की श्रेणियों का आधार भी इसी में देखा जाता है—मोटा काम करने वाले कारीगर और महीन काम करने वाले कारीगर। मिट्टी से नाखून जितने खिलौने बनाये जाते हैं जिनकी सुडौलता, सुघड़ता और रंगाई देखते ही बनती है। आश्चर्य तो यह है कि आकार में अन्तर कर देने से कलाकृतियों के अंगों के अनुपात में कोई फर्क नहीं आता और उनकी सुघड़ता की गुणवतता वही बनी रहती है।

श्री बर्ड वुड (10, पृ. 222) के अनुसार ''काशी के कारीगरों की कला छोटे खिलौने बनाने में ही है और बड़े आकार की मूर्तियाँ या कलाकृति बनाने में उनकी कला दब जाती है और वे असफल हो जाते हैं। किन्तु ऐसा केवल तब होता है जब कलाकृति पारम्परिक पद्धतियों से न बनायी गयी हो।'' रंगाई द्वारा समस्त विवरण छोटी से छोटी कलाकृति में भी अत्यन्त स्पष्टता से उभारे जाते हैं। छोटी से छोटी कलाकृति में भी पाँच छह रंगों का प्रयोग किया जाता है। एक कलाकृति को पूर्ण करने के लिए कारीगर उसे लगभग 10 से 15 बार हाथ में लेकर विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारता है। मनुष्य और पशु और पक्षियों के खिलौनों में एक गति दिखायी देती है। पक्षी तो इतने सजीव दिखायी देते हैं कि लगता है अभी चहकते हुए उड़ने लगेंगे। देवमूर्तियों के चेहरे पर हल्का-सा स्मित और शानत मोहक भाव बरबस ध्यान आकर्षित कर लेता है।

बड़ी मूर्तियों को बनाने वाले बंगाली कारीगरों की कला पर पश्चिमी कला का स्पष्ट प्रभाव दिखायी देता है। मूर्तियों के नाक-नक्श, भाव, भंगिमाओं आदि पर विदेशी कला का स्पष्ट प्रभाव दिखायी देता है साथ ही पारम्परिक आध्यात्मिक मूल्यों का अभाव भी इन मूर्तियों में दिखायी देता है। यह विदेशी प्रभाव शायद इस सदी के दौरान ही आया हो क्योंकि नगर के ही एक मन्दिर में मिट्टी की दुर्गा प्रतिमा प्रतिष्ठित है जो स्थानीय लोगों के अनुसार दो या तीन सौ वर्ष पूर्व की है। इस प्रातिमा की कला पर विदेशी कला का प्रभाव नहीं दिखायी देता है। भारतीय परम्परागत शैली में न तो देवमूर्तियों को और न ही असुरों को अत्यन्त आक्रामक या हिंसक भावों में दर्शाया जाता है। नसों और मांस पेशियों का खिंचाव मूर्ति के भाव में हिंसकता का अंश लाते हैं। भारत की पुरुष देवमूर्तियों के भाव एवं भंगिमाएँ स्त्री के कोमल भावों के समान ही बनाये जाते रहे हैं। दुर्गा मूर्ति बनाने वाले कलाकारों की कला के बारे में श्री चीनू जी की बात से कुछ प्रकाश पड़ता है। पाण्डेय हवेली के चीनू जी मूर्तिकार होने के साथ साथ मोडल्स भी बनाते हैं ये सिर्फ मिट्टी की ही प्रतिमा नहीं बनाते हैं बल्कि सीमेण्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं अन्य कई प्राकार की ढलाई द्वारा जो मूर्तियाँ बनायी जाती हैं, उनके प्रारम्भिक ढाँचे भी बनाते हैं सबसे पहले जब कलाकृतियाँ बनानी शुरू की थी उस समय उन्होंने एक चने के ऊपर शिवजी की प्रतिमा बनायी थी। उनके अनुसार पहले जो मूर्तियाँ बनायी जाती थी उनमें आभूषण, वस्त्र आदि मिट्टी से ही बनाते थे और वे मूर्तियाँ आज से ज्यादा कलात्मक होती थी। अब जो मूर्तियाँ बनती हैं उनमें कलात्मकता का पुट बहुत ही कम हो गया है। दिखावा अधिक है। जैसे सुन्दर वस्त्र पहनाना, तरह-तरह के आभूषण बाहर से लगाये जाते हैं, जो रेडिमेड बाजार से खरीद कर लगाने पड़ते हैं। इसका कारण कलाकृतियों का लागत मूल्य अधिक हो जाता है और कला कम। अतः कारीगर को पैसा भी कम मिल रहा है। इनकी शिकायत है कि आज के लोगों में कला की पहचान नहीं रह गयी है। इसलिए कलाकार ने भी अपनी कला प्रदर्शन को ताक पर उठाकर रख दिया है और पूर्णत व्यवसायी बन बैठे हैं अब लोग कहते हैं कि पहले जैसे कलाकार नहीं रह गये हैं तो इसके जिम्मेदार तो लोग स्वयं ही हैं।

इन मूर्तिकारों में कला की अवधारणा में ही परम्परागत दृष्टि के लोप हो जाने का प्रमाण मिलता है। चीनू जी के अनुसार काल्पनिक मिट्टी की मूर्ति बनाने में कोई कला नहीं है। कला तो उसमें हे कि जैसा कलाकार को बनाने को कहा जाये या जैसा वास्तव में होता है, उसको आकार दें।

5.5 बाजार

काशी की जीवन पद्धति के कारण आज भी यहाँ इस शिल्प कला का महत्त्व बना हुआ है। घरेलू उपयोग के पात्रों में आज भी दही, दूध, मिटाईयाँ आदि मिट्टी के बर्तनों में ही रखे जाते हैं। बनारस में गली-गली में चाय-पान और मिठाईयों की दुकानें हैं। इन सभी दुकानों पर पीने के पात्र एवं मिठाईयों के भण्डारण के लिए मिट्टी के पात्र ही इस्तेमाल किये जाते हैं। पान वाले कत्थे के लिए मिट्टी का ही पात्र इस्तेमाल करते हैं। तीर्थयात्री और बहरी अलंग (पिकनिक) के लिए जाने वाले लोग (जिनकी संख्या लाखों में है) दाल और सब्जी पकाने के लिए मिट्टी के घड़ों का ही उपयोग करते हैं। मिट्टी के बर्तन शुद्ध समझे जाते हैं। लगन-ब्याह-मरण आदि के भोज में मिट्टी के प्याले ही उपयोग में लाये जाते हैं। सब्जियों के भण्डारण के लिए और गोपालन के व्यवसायी पशुओं के चारा-पानी के लिए मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन रखते हैं। गर्मियों में ठेले पर जीरा-पानी बेचने वाले, कुल्फी बेचने वाले, फालसा का शर्बत बेचने वाले मिट्टी के बड़े-बड़े घड़ों का उपयोग करते हैं। फ्रीज आ जाने के बावजूद मिट्टी के घड़े का पानी पीने का आग्रह रखने वाले लोगों की संख्या यहाँ अधिक है। काशी में धार्मिक उत्सव, त्यौहार और मेलों की चहल-पहल लगभग साल भर रहती है। इन उत्सवों में मिट्टी के खिलौने, देवमूर्तियाँ और सजावट की सामग्री की बहुत खपत होती है। गणेश चौथ, जन्माष्टमी, सावन के मेले,चैत्र की नवरात्र, क्वार की नवरात्र, दशहरा, दीपावली, ईद, शबेबरात, बारावफात, गाजी मियाँ की शादी इन सभी उत्सवों और मेलों में इन खिलौनों की खपत होती है। काशी में जगह-जगह रामलीला होती है। इन लीलाओं में पात्रों के मुखौटे बनाये जाते हैं। यह कार्य भी यहाँ के कुम्हार ही करते हैं।

प्लास्टिक के खिलौनों की वजह से मिट्टी के खिलौनों की खपत पर प्रतिकूल असर हुआ है। फिर भी बाहरी बाजारों में कलकत्ता, कानपुर, बम्बई आदि शहरों में यहाँ के खिलौने जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से मिट्टी के मोतियों को निर्यात किया जाने लगा है। अतः दिन-प्रतिदिन सिमटते बाजार में पिछले कुछ वर्षों से परिवर्तन आया है। स्थानीय सम्पन्न वर्ग के लोगों में विभिन्न प्रकार के फूलदान और गमलों के प्रति आकर्षण बढ़ा है और कुछ कारीगर बाजार की इस माँग को पकड़ पाने में सफल हो रहे हैं। हालाँकि यह स्थिति अधिक काल तक नहीं रहेगी।

साधारण मृत्तिका शिल्पी की स्थिति विकट होती जा रही है। रामनगर के एक कुम्हार के अनुसार जब सब जगह से हार जाते हैं तो मिट्टी के काम में मजबूरन हाथ लगाते हैं अन्यथा इस काम में आमदनी अब नहीं रह गयी है।

बनारस के कुम्हार वर्ष भर कार्य करते हैं। आषाढ़ से कार्तिक तक दीये, खिलौने और देवमूर्तियाँ बनाने में लगभग सभी कुम्हार जुटे होते हैं। कार्तिक के बाद घड़े, झंझर, सुराही बनायी जाती है। यह काम अगहन तक चलता है। माघ में फिर देवमूर्तियों की खपत बढ़ जाती है। गुल्लक, गौरेया, पुरवे, कसोरे आदि साल भर बनते हैं। वर्ष भर कार्य करने के बावजूद इस उद्योग में आमदनी विशेष नहीं है। कच्चा माल दूर-दूर से ढोकर लाना पड़ता है। मिट्टी, बालू, गोहरी, लकड़ी, कोयला आदि सब कुछ कुम्हार खरीदकर लाता है। एक ट्राली की मिट्टी के लिए 15 रुपये और 8 गोहरी की कीमत 1 रुपये देनी पड़ती है। एक छोटे आँवे में 250 से 300 गोहरी लग जाती है। इनके कुल्हड़ बाजार में 15 रुपये सैकड़ा के भाव से बिकते हैं। ग्रामीण कुम्हार तैयार सामग्री को बाजार तक लाने का भी कार्य स्वयं ही करते हैं। अतः कुल कार्य अत्यधिक परिश्रम की माँग करता है। इन कार्यों में परिवार के लगभग सभी सदस्य लिपटे रहते हैं। इस हिसाब से आमदनी कुछ भी नहीं है।

पिछले कुछ वर्षों से विदेशियों की रुचि इस उद्योग में बढ़ी है। ग्रामीण कुम्हारों के बीच से निर्यात लायक सामग्री बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं तकनीकी सुधार का आँकलन किया गया है। किन्तु स्थानीय बाजार में कुम्हारों की स्थिति सुदृढ़ करने के कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। कुछ कुम्हारों का कहना है कि नगर में एक दो जगह मिट्टी के सामानों की सट्टी होनी चाहिए जिससे चीजों के मूल्य कारीगरों के हित में निर्धारित किये जा सकेंगे और इससे यह उद्योग थोड़ा बहुत लाभप्रद बनाया जा सकेगा। बिचौलियों का महत्त्व भी इस प्रक्रिया से घटाया जा सकेगा।

इस उद्योग के लाभप्रद न रहने के कारण कारीगर धीरे-धीरे दूसरे उद्योगों में जा रहे हैं। सरायनंदन में लगभग 25 घर कुम्हारों के हैं। इस बस्ती में जितने चाक हैं लगभग उतने ही करघे लग गये हैं, जिन पर कुम्हारों के बच्चे कालीन और तार जाली की बिनाई कर रहे हैं। चाक पर बहुधा प्रौढ़ व्यक्ति ही दिखायी देते हैं। नई पीढ़ी के बच्चे दूसरे उद्योग अपना रहे हैं। पिछले 25 वर्षों में नगर के कई कुम्हार भौतिक तुला बनाने के उद्योग में लग गये हैं। यह उद्योग नगर के प्रमुख उद्योगों में से एक है।

5.6 सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष

काशी के कुम्हार अपने को प्रजापति की संतान मानते हैं, इसलिए यहाँ के कुम्हार अपने नाम के आगे प्रजापति लिखते हैं। बंगाल से आये कुम्हार अपने नाम के आगे पाल लिखते हैं। लक्सा, रामापुरा, लक्ष्मीकुण्ड, सरायनन्दन, सोनारपुरा, कोनिया, पाण्डे हवेली, हरिश्चन्द्र घाट, गौरीगंज आदि क्षेत्रों में नगर के कुम्हारों की बड़ी-बड़ी बस्तियाँ हैं। इस शिल्प उद्योग से जुड़े लगभग 10 हजार लोग नगर में बसे हुए हैं। आदमकद मूर्तियाँ बनाने के लगभग दस कारखाने नगर में हैं।

कुम्हार प्राचीनतम जातियों में से एक है। इस जाति के लोग अत्यन्त शान्तिप्रिय एवं सभ्य होते हैं। शादी-ब्याह जाति के अन्दर ही होते हैं। कुम्हार जाति के अन्दर ही सात श्रेणियां हैं जो शायद कारीगरी की विशेषज्ञता पर आधारित है। श्री बैद्यनाथ सरस्वती जी ने भारत के कुम्हारों की तकनीकी,

अर्थ एवं समाज पर वृहत ग्रन्थ लिशा है, जिससे इस समाज की कुछ विस्तृत जानकारी मिलती है। कनौजिया, हथेलिया, चकेरी, रंगिया, अथरिया आदि कुछ प्रमुख श्रेणियाँ हैं। इनमें से कनौजिया सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं हथेलिया हाथ से कलाकृति बनाने वाले, चकेरी चाक पर बनाने वाले, रंगियां रंगने वाले, अधेरिया चौड़े मुँह के बर्तन बनाने कुम्हार हैं।

यहाँ के सभी कुम्हार गधों को नहीं पालते। मिट्टी ढोने के लिए और तैयार सामान बाजार ले जाने के लिए सगड़ी का उपयोग किया जाता है। सगड़ी को कुम्हार स्वयं खींचते हैं।

मांस और शराब का प्रचलन कुम्हारों की सभी श्रेणियों में नहीं है। कनौजिया शाकाहारी होते हैं। रामनगर के कुछ कुम्हारों के अनुसार लड़कियों की शादी चुनार में करना वे पसन्द नहीं करते क्योंकि वहाँ शराब-कबाब का चलन है। चुनार में मुसलमान कुम्हारों की आबादी भी कम नहीं है।

सरकारी योजनाओं के तहत इस कला और इससे जुड़ी सामाजिक इकाईयों के विकास हेतु चलायी गयी योजनाओं के तहत उन्नत तकनीकी (जैसे बिजली से चलने वाले चाक आदि) और कर्ज की सुविधाएँ प्रदान की गई है। किन्तु कच्चे माल का निरन्तर अभाव, इनके बढ़ते मूल्य तथा दिन-प्रतिदिन सिमटते जाते बाजार के बारे में सरकारी नीतियाँ उदासीन हैं। अतः इस उद्योग से जुड़ी कला और समुदाय दोनों ही अवनति की ओर बढ़ रहे हैं।

कुम्हारों की अपनी जाति पंचायत है। यह पंचायत जाति के तमाम मुद्दों को सुलझाने का काम करती रही है। सन् 1933 में 'प्रजापति हितकारिणी सभा' के नाम से एक संगठन बना। इस संगठन की भूमिका कुम्भकारी उद्योग एवं इससे जुड़े समाज के विकास में आने वाली बाधाओं की पहचान कर उसे सुलझाने के प्रयास में देखी गयी। सन् 1984 में एक नया संगठन बना जिसका नाम 'कुम्भकारी कला उद्योग समिति' है। इस समिति ने नगर के कुम्हारों को कच्चे माल की निश्चित आपूर्ति के सम्बन्ध में विशेष रूप से पहल ली। रामनगर के कुम्हारों की अपनी अलग पंचायत है। जातीय संगठन के द्वारा बनारस में दो स्कूल चलाये जाते हैं तथा एक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है।

नगरीय कुम्हारों में उन परिवारों की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर है जिनके परिवार के सदस्य नौकर पा गये हैं और इस तरह महीने में निश्चित आमदनी पा रहे हैं। ग्रामीण कुम्हारों में जिनके पास खेती का टुकड़ा है उनकी स्थिति कुछ अच्छी है। जैसे ग्राम बसकड़ा, कंदवा या आमरा के कुम्हार हैं। लेकिन जिनके पास न नौकरी है और न खेती है, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है।

कुम्हार परिवारों में स्त्रियाँ लगभग बराबरी से काम में हाथ बँटाती हैं। मिट्टी की तैयारी, सफाई, बर्तनों को अनितम आकार देना, आँवा बनाने में मदद करना, रंगाई, चित्रकारी आदि सभी कामों में स्त्री साथ लगकर काम करती है। चाक पर पात्रों को आकर देने का काम पुरुष ही करते हैं। बिजली से चलने वाले चाक पर अब स्त्रियाँ भी बनाती हुई दिखायी देती हैं। तथापि पीटकर बनाये जाने वाले पात्रों की विशेषज्ञता स्त्रियों के पास ही थी ऐसा माना जाता है। आज भी ये कार्य स्त्रियाँ कर रही हैं, हालाँकि पुरुष भी इस कार्य को करते देखे जाते हैं।

अध्याय 6

नारी हस्तशिल्प उद्योग

हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय समाज में हस्तशिल्प उद्योग का विकास एक विशेष प्रकार के समाज संगठन के विकास के साथ हुआ। इस समाज में उद्योगों के शिल्प, कला, विज्ञान, तकनीक आदि के संग्रह, संकलन, विकास एवं प्रशिक्षण की एक व्यवस्थित पद्धति रही। इस पद्धति के द्वारा समाज के विभिन्न घटकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती रहीं। स्वायत्त इकाईयाँ जिन्हें हमने लघु समाज कहा है, उनसे बने वृहत समाज के बीच सम्बन्धों का प्रकार भी ऐसा था कि लघु समाजों की स्थिति किसी भी अर्थ में निम्न नहीं होती थी। परस्पर पूरकता की भावना मनुष्य-मनुष्य के बीच, स्त्री-पुरुष के बीच, परिवार में, लघु समाजों के और वृहत समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में व्याप्त थी, जिसके चलते सामाजिक मूल्यों का एक ऐसा जाल बिछ गया कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में अर्थ, ज्ञान या तकनीक का आधार लेकर निरंकुश सत्ता के पनपने के अवसर कम से कम हो गये। ऐसे समाज में स्त्री-पुरुष की भागीदारी लघु समाजों द्वारा निश्चित होती थी।

इन लघु समाजों के भीतर उद्योग से सम्बन्धित विभिन्न चरणों में स्त्री की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। हालाँकि स्त्री-पुरुषों के काम भिन्न-भिन्न रहे और एक के कार्य दूसरे के लिए बहुधा वर्जित भी माने गये किन्तु ये भिनन कार्य समुदाय या लघु समाज के प्रमुख कार्य के ही अंग रहे। अतः स्त्री भी लघु समाजों के और इसलिए उद्योग के, ज्ञान, विज्ञान, कला, तकनीक आदि के संग्रह एवं विकास में भागीदार रही। आज के विपरीत उस समाज में स्त्री-पुरुषों के कार्य क्षेत्र में अलगाव नहीं था।

पश्चिमीकरण की आँधी ने हस्तशिल्प उद्योगों को उखाड़ फेंका। इस प्रक्रिया में सार्वजनिक सक्रियता का निजीकरण हुआ अर्थात जो कुछ भी पहले हम सार्वजनिक जीवन में करते थे वे सब अब निजी जीवन के घेरे में आ गये। स्त्रियाँ घर की चारदिवारी में घिर गयीं और उद्योगों ने निजी उद्योगों का रूप ले लिया। इस टूट-फूट में हस्तशिल्प उद्योगों का विज्ञान, तकनीक तथा कला स्त्रियों के पास सिमट गयी क्योंकि आधुनिक समाज में उनकी भागीदारी के क्षेत्र ही समाप्त कर दिये। आज भी हस्तशिल्प उद्योग के विज्ञान, तकनीक और कला का बहुत बड़ा अंश स्त्रियों के पास अपने सामाजिक मूल्यों के साथ बच गया है, हालाँकि यह भी तेजी से धूमिल होता जा रहा है।

हस्तशिल्प उद्योगों के पुनर्जीवन का प्रश्न समाज के पुनर्संगठन से भिन्न नहीं है। अतः आज स्त्रियों के पास विद्यमान विज्ञान, कला, तकनीक एवं सामाजिक मूल्यों का भण्डार, जिसमें लुट जाने के बाद भी आज सृजन की सम्भावनाएं शेष हैं, एक ऐसा आधार प्रदान करता है जिससे हस्तशिल्प उद्योगों के और समाज के पुनर्संगठन को दिशा मिल सकती है। समाज के ऐसे पुनर्संगठन में उन

सभी तबकों की भागीदारी बढ़ती है, जो आज समाज से बहिष्कृत हैं। ऐस बहिष्कृत तबकों में स्त्रियाँ, दस्तकार, आदिवासी और किसान प्रमुख हैं। ये ही वे तबके हैं जो स्वदेशी समाज के विज्ञान, कला और तकनीक को सँजोये हुए हैं और आज भी उसी के बल पर अपना जीवनयापन कर रहे हैं। इन सभी तबकों में स्त्रियों की व्यापक भागीदारी है। साथ ही इस तबके में स्वदेशी विज्ञान, तकनीक, कला आदि की परस्पर पूरकता के सम्बन्ध की पहचान शेष बचे रहने की सम्भावना भी अधिक है। **इसी सन्दर्भ के साथ हमने काशी की नगरीय एवं ग्रामीण महिलाओं के बीच एक प्रयोग किया। इस प्रयोग के तहत महिलाओं के पास विद्यमान ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल आदि का संकलन किया। संकलित सामग्री के आधार पर स्त्रियों के बीच हस्तशिल्प का उत्पादन संगठित किया। इस उत्पादन की बिक्री के द्वारा स्थानीय बाजार को बनाने की दिशा में सार्वजनिक गतिविधियों को आकार देने का प्रयत्न किया। इस प्रकार स्त्रियों के बीच विद्यमान विज्ञान, तकनीक एवं कला को पुनर्जीवित करने के, उन्हें सार्वजनिक रूप देने के, तथा वर्तमान बाजार के बीच स्थान बनाने आदि जैसी बातों का आँकलन किया। प्रस्तुत अध्याय में हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे।**

6.1 स्त्री ज्ञान का संकलन

स्त्री ज्ञान के असंख्य आयाम हैं। हस्तशिल्प उद्योगों के पुनर्जीवन के मार्गों की खोज स्त्री-ज्ञान के माध्यम से करने के लिए स्त्री के ऐसे कार्य क्षेत्रों का चुनाव करना आवश्यक समझा गया जो हस्तशिल्प उद्योगों के विभिन्न पक्षों जैसे कला, विज्ञान, समाज आदि की समग्रता पर प्रकाश डाल सकें। ज्ञान को किसी एक तकनीक के सहारे समझा नहीं जा सकता। इस सीमा को पहचानते हुए स्त्री-ाान की पहचान बनाने के तहत स्त्री के कुछ ही कार्यक्षेत्रों का चुनाव किया गया।

स्त्री के कार्य क्षेत्रों का चुनाव करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे कुटीर उद्योग, शिशु शिक्षा, खाद्य पदार्थ निर्माण सामग्री, छोटे व्यवसाय आदि में स्त्रियों की भागीदारी का स्तर, कार्य के प्रकार एवं कार्य की स्थितियों को जानने और समझने की कोशिश की गयी। अलग-अलग सामाजिक एवं आर्थिक स्तर की स्त्री दस्तकार एवं गृहणियों से प्रत्यक्ष भेंट एवं वार्ता के द्वारा इसे समझा गया। इन वार्ताओं के आधार पर ही स्त्रियों के कार्यक्षेत्र एवं भौगोलिक क्षेत्रों का चयन किया गया।

(क) स्त्री के कार्यक्षेत्रों का चुनाव

वाराणसी नगर की अपनी विशिष्टता के कारण यहाँ स्त्री के उन कार्यक्षेत्रों का चुनाव करना शायद अधिक सरल जान पड़ता है, जिनमें परम्परागत ज्ञान दृष्टि का अस्तित्व पर्याप्त होने की सम्भावना है। यहाँ के उद्योगों का रूप घरेलू होना, परम्परागत ललित कलाओं के प्रति सामान्यजन की अत्यधिक रुचि होना, स्वास्थ्य रक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में पारम्परिक पद्धति पर अधिक विश्वास होना, धार्मिक मेले-उत्सवों में धार्मिक कट्टरता न होकर सामाजिकता की प्रबल धारा का होना और

इन सभी क्षेत्रों में स्त्रियों की बहुआयामी और बृहत् भागीदारी होना हमारे कार्य को एक तरह से आसान बना देता है। तथापि इतने अधिक विस्तार को समेटने में हमारी क्षमताओं की सीमा को पहचानना भी आवश्यक था। प्रयोग को परिणामपरक बनाने के लिए स्त्री के उन कार्यक्षेत्रों का चुनाव किया गया जो या तो सीधे हस्तशिलप उद्योगों से जुड़े हैं या इन उद्योगों से नजदीकी रखते हैं। स्त्रियों के मूल्य, मान्यता और विश्वासों की पहचान बनाने की भी कोशिश की गयी।

हस्तशिल्प उद्योगों के पुनर्जीवन के प्रश्न को दृष्टि में रखते हुए उन्हीं हस्तशिल्प उद्योगों को प्राथमिकता दी है, जिनका कौशल बहुसंख्य स्त्रियों के पास होने की सम्भावना दिखायी देती है। चाहे वे दस्तकार के रूप में कार्य कर रही हों या सामान्य गृहणी हों। चूँकि इन उद्योगों के पुनर्जीवन को समाज के पुनर्संगठन से भिन्न नहीं माना है। अतः बहुसंख्य स्त्रियों के पास विद्यमान कौशल और ाान को ही उनकी सक्रियता अर्थात पुनरुत्थान के आधार स्वरूप देखा है। स्त्रियों के कार्यक्षेत्रों के चयन में इन क्षेत्रों पर उनके नियन्त्रण की निरन्तरता को महत्त्वपूर्ण माना गया है। अर्थात उन क्षेत्रों का ही चुनाव किया गया है जो पहले भी स्त्रियों की गतिविधि के क्षेत्र रहे हैं और कुछ अंशों में आज भी हैं। भविष्य में समाज के पुनर्संगठन के द्वारा इन कार्यक्षेत्रों पर स्त्रियों के नियंत्रण के बढ़ने की सम्भावना को भी देखा गया है।

इन्हीं आधारों पर निम्नलिखित क्षेत्रों का चुनाव किया गया—

(क) हस्तशिल्प उद्योग

(ख) खाद्य सामग्री का निर्माण एवं संरक्षण

हस्तशिल्प उद्योगों में मुख्यतः वस्त्र उद्योग, श्रृंगार-सामग्री उद्योग, खिलौने तथा धातु, पत्थर, वस्त्र, लकड़ी, मिट्टी, घास आदि से बने हुए खिलौने, झूमर, मोतीहार आदि सजावट की सामग्री शामिल है। वस्त्र उद्योग के तहत कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई, कढ़ाई, सिलाई आदि शामिल है तथा श्रृंगार सामग्री में बिन्दी, सिन्दूर, अबीर, रंग आदि बनाना शामिल है।

खाद्य सामग्री के संरक्षण में सूखे मसाले, अचार, पापड़, बरी, सब्जियों को सुखाने की कला, सिवई आदि बनाने का विज्ञान एवं तकनीक सम्मिलित है।

स्वास्थ्य एवं पोषण में घरेलू दवाएँ तथा पौष्टिक आहार से सम्बन्धित ज्ञान सम्मिलित किया गया।

(ख) भौगोलिक क्षेत्रों का चुनाव

काशी की नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को इस अध्ययन में शामिल किया गया है। नगर के असंगठित क्षेत्र में लगी महिलाओं से तथा ग्रामीण क्षेत्र में सभी जातीय समूह की महिलाओं से प्रत्यक्ष भेंट की गयी। नगरीय बस्ती या गाँवों का चुनाव मुख्यतः तीन मुद्दों पर आधारित रहा—

1. उपरोक्त चुने गये कार्यक्षेत्रों में स्त्रियों की पर्याप्त संख्या में भागीदारी,

2. स्त्रियों से सम्पर्क करने के सहज साधन और

3. जातीय समूहों की विविधता।

नगरीय क्षेत्र में नगर के अलग-अलग क्षेत्रों से कुल 16 मोहल्लों का चयन किया गया।

पश्चिमी क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र
1. पितरकुण्डा	4. पठानी टोला	8. चौक	11. नगवाँ
2. शिवाजीनगर	5. जगतगंज	9. गौरीगंज	12. नरियाँ
3. लक्सा	6. अलईपुरा	10. सोनारपुरा	13. सुन्दरपुर
	7. लोहटिया		14. खोजवाँ
			15. कश्मीरीगंज
			16. बजरडीहा

ग्रामीण क्षेत्र में काशी विद्यापीठ प्रखण्ड के 12 गाँवों का चुनाव किया गया। शहर के दक्षिण में ये सभी गाँव लगभग 3 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर के पीछे गंगा के किनारे बसे इन गाँवों का कृषि मुख्य व्यवसाय है तथापि शहर से नजदीक होने के कारण कई लोगों ने शहर में रोजगार के साधन तलाश लिये हैं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में कई परिवारों के लोग नौकरी करते हैं। कुछ लोगों ने निकट के बाजारों में अपनी दुकानें लगाकर छोटा-मोटा व्यवसाय खोल लिया है। लगभग सभी गाँवों में बिजली और पानी की सुविधा है तथा ये सभी पक्की सड़कों पर बसे हैं। सभी गाँवों में प्राथमिक विद्यालय हैं। नैपुराकलाँ, सुसुवाही तथा टिकरी में जूनियर हाईस्कूल है। टिकरी में केवल लड़कियों के लिए हाईस्कूल है। ये गाँव है—

1. भगवानपुर	4. नरोत्तमपुर	7. मुड़ादेव	10. कन्दवा
2. छित्तुपुर	5. टिकरी	8. डाफी	11. गजाधरपुर
3. नैपुराकलाँ	6. तारापुर	9. अमरा	12. सुसुवाही

(ग) स्त्री-ज्ञान संकलन की पद्धति

स्त्रियों के ज्ञान को संकलित करने के लिए मुख्यतः प्रत्यक्ष वार्ता की पद्धति को अपनाया गया। व्यक्तिगत रूप में उनके घर में या बस्ती के बीच समूह में अनौपचारिक वार्ताओं के द्वारा जानकारी एकत्र की गयी। स्त्रियों के कार्यों में, कार्य पद्धतियों में, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थान आदि में इतनी अधिक विविधता है कि चर्चा को किसी एक पूर्व निश्चित क्रम में बाँधना सम्भव

नहीं है। इसके बावजूद वार्ताओं को संगठित करने के लिए एक प्रश्न सूची बनायी गयी। स्त्री के ज्ञान एवं कौशल का यह संकलन गुणात्मक ही है तथा इस संकलन में स्त्री-ाान के विभिन्न आयामों में स्त्री-कौशल को ही प्रधानता मिली है। यह स्वाभाविक रूप से हो गया क्योंकि ज्ञान की चर्चा बहुधा स्त्रियों के पास विद्यमान कौशल के सम्बन्ध में ही गति लेती थी। अतः यहाँ हम स्त्री कौशल की चर्चा को ही प्रमुखता देंगे।

(घ) स्त्री-कौशल के प्रकार

कार्यक्षेत्र एवं भौगोलिक क्षेत्रों के सीमित होने के बावजूद संकलित स्त्री कौशल के प्रकार स्त्री के ज्ञान भण्डार की विपुलता की ओर संकेत देते हैं। यहाू। स्त्री के संकलित कौशल के प्रकारों की चर्चा नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में अलग-अलग कर दी जायेगी।

नगरीय क्षेत्र

वस्त्र उद्योग नगर का एक प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है। रेशमी वस्त्र उद्योग का काम मुख्यतः हथकरघों पर ही होता है। इस उद्योग के विभिन्न चरणों में स्त्रियों की कम-अधिक भूमिका रहती है। धागों को तैयार करने का काम बहुधा स्त्रियाँ करती हैं। यह कार्य अतयन्त सावधानीपूर्वक एवं धैर्य से करना होता है। बुनकरों में अधिकांश मुसलमान परिवार हैं अतः मुसलमान स्त्रियों के पास वस्त्र उद्योग के विभिन्न चरणों का ज्ञान एवं कौशल है किन्तु उन तक सहज पहुँच के अभाव में व्यापक चर्चाएँ नहीं की जा सकीं। तथापि उद्योग की विशालता और स्त्रियों की भूमिका को देखते हुए इस उद्योग में स्त्रियों की सक्रियता बढ़ाने का मुख्य आधार बन पाने की पूर्ण सम्भावनाएँ दिखायी देती हैं।

कुटीर उद्योगों में कैंची बनाने, बिजली के बल्ब-माला बनाने के, पंखों के पूर्जों पर पालिश एवं सफाई के कामों में, बारूद बनाने आदि में स्त्रियाँ लगी हुई हैं। इन उद्योगों में कई हिस्से स्त्रियों की जिम्मेदारी पर ही छोड़ दिये गये हैं। रामापुरा, दालमण्डी, बजरडीहा आदि क्षेत्रों में यह कार्य किया जाता है। लक्सा, रामापुरा, सुन्दरपुर आदि क्षेत्रों में घर-घर में टिकुली चिपकाने का कार्य महिलाएँ कर रही हैं। राजघाट में बिन्दी काटने के कारखाने हैं, जहाँ स्त्रियाँ कार्य करती हैं इन काटी हुई बिन्दियों पर अलग-अलग रंग एवं चमकी से नक्काशी की जाती है। इस नक्काशी को करने का काम भी अत्यन्त सावधानीपूर्वक करना होता है। एक बिन्दी पर चार-पाँच रंगों से नक्काशी की जाती है।

नरहरपुरा, बजरडीहा और छित्तनपुरा क्षेत्र में जूट के कैलेण्डर बनाने का कार्य होता है। इस कार्य में नरी भरने का काम, रंगाई एवं कढ़ाई का काम स्त्रियाँ ही कर रही हैं। कहीं-कहीं करघों पर जूट की बुनाई में भी स्त्रियाँ लगी हुई हैं। साड़ी उद्योग में मंदी के दौरान पुरुषों ने जूट बुनाई को विकल्प के रूप में चुना किन्तु साड़ी उद्योग के फलने-फूलने पर इन उद्योगों को छोड़ वे पुनः साड़ी उद्योग में चले गये और स्त्रियों ने इस उद्योग को अपने कार्य क्षेत्र में ले लिया। जूट की दरियाँ, हैंगिंग

और पर्स बुन कर बनाये जाते हैं। इनमें से कुछ स्त्रियाँ गले के हार, चोटी तथा लाकेट बुनने का काम भी करती हें। ये सभी हस्तशिल्प निर्यात होते हैं।

मोती माला के उद्योग में केवल स्त्रियाँ ही लगी हुई हैं। यह बनारस के बड़े उद्योगों में से एक है। नगवाँ, नरियाँ, सुन्दरपुर आदि क्षेत्रों की महिलाएँ रंग-बिरंगे मोतियों से माला बनाने का कार्य करती हैं इन क्षेत्रों में घर-घर में यह कार्य हो रहा है। बारीक मोतियों के सुन्दर हार बनाने में ये स्त्रियाँ निपुण हैं।

वाराणसी में रेडिमेड गारमेन्ट्स का उद्योग अभी आकार नहीं ले पाया है तथापि कुछ परिवार की स्त्रियाँ इस उद्योग से जुड़ी हैं। स्त्री पुरुषों के अन्तरवस्त्र, पेटीकोट, बच्चों के कपड़े जैसे फ्रॉक, चड्डी आदि की सिलाई करने का कार्य खोजवाँ, सुन्दरपुर, लल्लापुरा, राजघाट आदि क्षेत्रों में होता है। आधुनिक वस्त्रों में गाउन, सलवार-सूट, मैक्सी आदि बनाने में भी स्त्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस संख्या के बढ़ने का कारण यह भी है कि इस व्यवसाय को चलाने वाली भी स्त्रियाँ ही हैं।

विद्यालयीय बच्चों के यूनिफार्म के स्वेटर बुनाई आदि जैसे कार्य भी स्त्रियाँ करने लगी हैं।

राखी बनाने के कार्य तो स्त्रियों के ही हाथ में है। बनारस की राखियाँ अपने नाजुक काम के लिए प्रशंसा पाती रही हैं। दिल्ली या बम्बई से आने वाली राखियों में चटकीले रंगों में मोटे फोम का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत काशी की राखियाँ नाजुक कलाकारी का नमूना होती हैं। लल्लापुरा, छित्तनपुरा, खोजवाँ आदि विश्वनाथ गली में स्त्रियाँ इस उद्योग में लगी हैं।

खाद्य पदार्थ निर्माण उद्योग में बड़ी, पापड़, अचार, मुरब्बे, सेवई बनाने के उद्योग मुख्य है। इन उद्योगों में अधिकांशतः स्त्रियाँ ही हैं। बनारस इन सभी खाद्य पदार्थों के लिए जाना जाता है। यहाँ की बारीक और महीन सेवईयाँ प्रसिद्ध हैं। लाल मिर्च का अचार, पंचमेल और नवरतन अचार यहाँ की विशेषता है। आलू के पापड़ का मुख्य बाजार बनारस है। नवाबगंज, खोजवाँ, विश्वनाथ गली, दशाश्वमेध, चौक, प्रह्लादघाट आदि क्षेत्रों में यह काम होता है।

इसके अलावा नगर में जरदोशी, कालीन बुनाई, पत्थर शिल्प, काष्ठ शिल्प, मृत्तिका शिल्प आदि जैसे परमपरागत उद्योगों में स्त्रियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इन सभी उद्योगों में कच्चे माल के भण्डारण, सफाई, संरक्षण, प्रारम्भिक प्रक्रियाओं, अन्तिम प्रक्रियाओं जैसे महत्त्वपूर्ण हिस्सों को स्त्रियाँ करती हैं। काष्ठ-शिल्प एवं मृत्तिका शिल्प में स्त्रियाँ रंगाई एवं चित्रकारी भी करती हैं। गढत्रकर बनाये जाने वाले लकड़ी के खिलौनों को स्त्रियाँ भी बनाती हैं। खर्राद मशीन पर अपेक्षतया कम स्त्रियाँ मिलती हैं लेकिन फिर भी इनकी संख्या अनदेखी नहीं की जा सकती।

नगर की मध्यवर्गीय महिलाओं में बुटिक केन्द्र खोलकर अपने कोशल को सँवारने की होड़ सी लगी दिखायी देती है। नगर में लगभग 60 ऐसे बुटिक केन्द्र हैं जो गतिशील है और सिर्फ स्त्रियों द्वारा ही संचालित हैं। इन बुटिक केन्द्रों पर तरह-तरह की सजावट सामग्री एवं हस्तशिल्प बनाये जाते हैं जिनमें बहुधा स्त्री कारीगर ही कार्य करती हैं। चित्रकारी, वस्त्रों पर रंगाई, छपाई, कढ़ाई, बुनाई आदि कई तरह के कार्य इन केन्द्रों पर किये जाते हैं।

सरकार की ओर से विभिन्न दस्तकार उद्योगों के लिए नगर में प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। खोजवाँ में कालीन बुनाई, काष्ठ-शिल्प एवं पत्थर शिल्प का, सोनारपुरा में जरदोशी का, जगतगंज में धातु शिल्प का, आदित्यनगर में छपाई का आदि। इन सभी प्रशिक्षण केन्द्रों पर जाने से वहाँ स्त्री प्रशिक्षणर्थियों की लगभग बराबरी में संख्या मिली। धातु शिल्प उद्योग में प्रशिक्षित कुछ स्त्रियों ने अपने इस उद्योग को व्यवसाय के रूप में अपनाकर सफलता प्राप्त कर दिखायी है। पितरकुण्डा में एक ही परिवार की सात बहनें मिलकर धातु की ढलाई कर मूर्ति बनाने का कार्य कर रही हैं। इन मूर्तियों पर बारीक नक्काशी भी की जाती हैं।

खोजवाँ क्षेत्र में धातु के आभूषणों पर नक्काशी और मीनाकारी का काम स्त्रियाँ ही करती हैं पैरों की बिछिया, कान की बाली, लाकेट, अँगूठी आदि पर मीनाकारी की जाती है। 12-13 वर्ष की लड़कियाँ काम सीखना शुरू करती हैं।

नगर के सिलाई प्रशिक्षण केन्द्रों पर भी स्त्री प्रशिक्षणार्थियों की बड़ी संख्या मिलती है। लगभग दस बाहर ऐसे केन्द्रों पर जाने से मालूम हुआ कि प्रत्येक में लगभग 30 से 80 छात्राएँ हैं। इन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई एवं पेंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है।

नगर के समृद्ध क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा गर्मी की छुट्टियों में हस्तशिल्प की विशेष कक्षाएँ लगायी जाती है जहाँ स्त्रियाँ प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। इन प्रशिक्षणों में वस्त्र उद्योग, सजावट सामग्री एवं खिलौने बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

नगर के विभिन्न जाति समूह में स्त्रियों से औपचारिक चर्चा के द्वारा यह बात स्पष्टतः सामने आती है कि लगभग हर गृहणी हस्तशिल्प उद्योग के लिए आवश्यक कौशल के कम से कम तीन-चार प्रकारों में माहिर है तथापि किसी भी औद्योगिक गतिविधि से जुड़ी नहीं हैं।

काशी पूर्वांचल का सबसे बड़ा शहर होने के नाते यहाँ आसपास से मजदूरी करने के लिए कई लोग आते हैं। अस्पताल और कचहरी के कामों से आने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं होती। इस तरह से आने वाले लोगों की सबसे पहली आवश्यकता सस्ते भोजन की होती है। नगर के कई क्षेत्रों में ऐसी दुकानें मिल जाती हैं जहाँ स्त्रियाँ खाना बनाकर यात्रियों को खिलाने का कार्य करती हैं। नगर में चाय, पान और भोजन की दुकानों को चलाने वाली स्त्रियों की संख्या कम नहीं है। काशी के तीर्थस्थान होने के कारण गोहरी बनाने और बेचने वाली, नीम की दतुअन बनाकर बेचने

वाली, फूलों के हार बनाने वाली, सब्जियाँ बाजार में लाने वाली स्त्रियों की अच्छी खासी संख्या शहर में है। ये सभी कार्य छोटे व्यवसाय के अन्तर्गत आते हैं किन्तु इन व्यवसायों में वस्तुओं के भण्डारण एवं संरक्षण के कौशल की आवश्यकता होती है साथ ही पाक विद्या एवं ईंधन के समुचित उपयोग के कौशल का ज्ञान होना आवश्यक है।

कोयला बाजार, तेलियानाला, जलालीपुरा, कोनिया आदि क्षेत्र में धरकार स्त्रियाँ टोकरी बुनने का कार्य करती हैं। बनारस में इन टोकरियों की खूब खपत है। त्यौहारों पर बाँस से बुनी टोकरियों में प्रसाद चढ़ाया जाता है। गोहरी और सब्जियों के लिए अलग प्रकार की टोकरियाँ बनायी जाती हैं। बाँस से बच्चों के लिए रंग-बिरंगे खिलौने भी बनाये जाते हैं। बीड़ी बनाने के कार्य में कई महिलाएँ हैं जो शहर में बिखरी हुई हैं।

काशी में गोहरियों (गोबर को पाथकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है) की बहुत अधिक खपत है। वर्षभर आने वाले तीर्थयात्री गोहरी पर ही खाना पकाते हैं। मृत्तिका उद्योग में गोहरी ही ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है। गोहरी पाथने का, इनको सुखाने एवं भण्डारण का सारा काम स्त्रियाँ ही करती हैं।

ग्रामीण क्षेत्र

चयनित गाँवों में विभिन्न जातियों का फैलाव है। कुर्मी एवं कोयरी जातियों के परिवार सर्वाधिक संख्या में हैं। ये किसान जातियाँ हैं। अहीर एवं पाल जातियाँ पशुपालन का व्यवसाय करती हैं। भूमिहार कहीं ब्राह्मण और कहीं ठाकुर कहलाते हैं। इनकी खेती अपेक्षतया बड़ी है। ये जाति सशक्त जातियों में से हैं। हरिजनों में चमार जाति की बहुलता है। इस जाति में पुरानी पीढ़ी में अच्छे नक्शे बनाने वाले मिस्त्री मिलते हैं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के भवनों की निर्मिती में इनका भी सहयोग लिया गया है। ब्राह्मण जाति के कुछ ही परिवार मिलते हैं।

इन जातियों के अलावा खटिक, भर, नाई, धोबी, मल्लाह और तेजी जातियाँ भी हैं। खटिक, भर और मल्लाह अपेक्षतया मजबूत जातियाँ मानी जाती हैं जिनका काशी की संस्कृति में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

ग्राम नैपुराकलाँ में लगभग ९० प्रतिशत परिवार हरिजन हैं। यहाँ के प्रधान भी हरिजन है। मुड़ादेव में मल्लाहों की बहुलता है, भगवानपुर कुर्मी बहुल गाँव है। सरायडंगरी में अहीरों की बस्तियाँ घनी है तो मुड़ादेव में पाल जाति की। छित्तूपुर में मुसलमान परिवार पर्याप्त संख्या में हैं। टिकरी और नरोत्तमपुर में भूमिहारों की घनी बस्तियाँ हैं। कन्दवा और अमरा ऐतिहासिक गाँव है, जहाँ कुम्हारों की प्राचीन और घनी बस्तियाँ हैं। डाफी में कुछ मुसहर परिवार आकर बसे हैं।

आमरा और कन्दवा में कुम्हारों के परम्परागत उद्योग में स्त्रियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। मिट्टी

को तैयार करना, साँचों से खिलौने, देवमूर्तियाँ और मोती बनाने का काम स्त्रियाँ ही करती हैं। इन कलाकृतियों पर रंगाई और चित्रकारी में भी ये मदद करती हैं।

नैपुराकलाँ में अधिकांश परिवारों के पास खेती की जमीन नहीं है। अतः सभी नौकरी या मजदूरी पर निर्भर हैं। इस गाँव में मोती माला और अँगूठी बनाने का काम मुख्य कुटीर उद्योग है। शहर से कच्चा माल लाकर इसे बनाया जाता है। माला उद्योग में केवल स्त्रियां ही हैं किन्तु अँगूठी बनाने के काम में स्त्री-पुरुष दोनों हैं। पुरुष धातु के तारों को मोड़कर ढाँचा बनाते हैं और स्त्रियाँ इस पर नग बैठाकर रंगने और नक्काशी का काम करती हैं। इस गाँ में वस्त्र पर कढ़ाई का महीन कार्य करने में कुशल महिलाएँ भी हैं। कुछ महिलाएँ खेतों पर मजदूरी का काम करती हैं। अतः इन्हें कृषि का अच्छा ज्ञान है।

चयनित गाँवों में भर और हरिजन जातियों की स्त्रियाँ खेतों पर मजदूरी का काम करती हैं। कृषि मजदूरों में पुरुषों की संख्या नगण्य है। प्रौढ़ स्त्रियाँ खेतों से साग चुनकर शहर की सट्टी में बेचने ले जाती हैं। नैपुराकलाँ, भगवानपुर और छित्तूपुर में बीड़ी बनाने के कार्य में कई महिलाएँ लगी हैं।

अहीर जाति की स्त्रियों के परिवारों का गोपालन परम्परागत व्यवसाय है। ये स्त्रियाँ गाय, भैंस, बकरी जैसे पशुओं की देखरेख का कौशल रखती हैं। तथापि यह लगता है कि लगभग सभी गाँवों की सभी जातियों में इन पशुओं की देखरेख का कौशल स्त्रियों के पास है। चूँकि पुरुष रोजी-रोटी के लिए शहर में जाते हैं, अतः स्त्रियाँ ही इन पशुओं की देखरेख करती हैं। इन पशुओं के आहार, बीमारी, प्रजनन आदि के बारे में इनका ज्ञान महत्त्वपूर्ण है।

भगवानपुर की कुर्मी जाति की स्त्रियाँ सब्जी और फूलों की खेती में लगी हुई हैं। विभिन्न जातियों की स्त्रियाँ फूलों से माला बनाने का कार्य करती हैं। भगवानपुर और छित्तूपुर में इनकी संख्या बहुत अधिक है। काशी में फूलों के हारों की खपत बहुत अधिक होने से इस व्यवसाय में आमदनी की निश्चितता दिखायी देती है। कुर्मी और कोयरी जाति की स्त्रियों में विभिन्न फसलों की अच्छी जानकारी है।

मुसहर, हरिजन और गोंड जाति की स्त्रियाँ टोकरी, झाड़ू आदि बनाने का कौशल जानती हैं। शहर में इन वस्तुओं को अच्छा बाजार भी मिल जाता है।

ऊँची जाति की स्त्रियों में सूत कातने का काम अभी हाल तक प्रचलित था। खादी कार्यक्रम के अंतर्गत बडत्री संख्या में स्त्रियों ने घर पर सूत कातना पुनः प्रारम्भ किया। गांधीजी के स्वदेशी आंदोलन ने सूत कातने को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ दिया था। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में विभिन्न सरकारों द्वारा खादी कार्यक्रम को दिया गया सहयोग निरंतर घटता ही गया और आज स्थिति यह है कि स्त्रियों के चरखे फिर से बंद हो गये हैं। स्त्रियाँ सूत कातना चाहती हैं और हमारी भेंट वार्ताओं में उन्होंने बार-बार इस कार्यक्रम को चलाने का आग्रह किया। कुछ स्त्रियाँ खादी ग्रामोद्योग के द्वारा

रुई लेकर सूत कातती हैं लेकिन इस योजना में उनके हाथ में नकद पैसे नहीं मिलते अतः वे सन्तुष्ट नहीं हैं।

ग्रामीण स्त्रियों के पास प्राकृतिक रंगों से वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई का कौशल है। वस्त्रों पर कढ़ाई का काम मध्यम और सम्पन्न घरों की अधिकांश स्त्रियाँ जानती हैं। बसंत पंचमी में अभी भी कई घरों में स्त्रियाँ धोतियों को रंग लेती हैं।

वस्त्र, घास एवं रूई की सहायता से बच्चों के खिलौने बनाना भी स्त्रियों के परम्परागत कौशल का एक प्रकार है। ये खिलौने अत्यन्त आकर्षक होते हैं इन खिलौनों में पशु, पक्षी और मनुष्य आकृतियाँ बनायी जाती हैं। कुछ महिलाएँ धार्मिक कथाओं को जैसे रामलीला, कृष्णलीला के प्रसंग भी बना चुकी हैं लेकिन अब यह कौशल बहुत कम स्त्रियों में मिलता है। बूढ़ी महिलाएँ अब भी बना लेंगी किन्तु उन्हें साधन जुटाना होगा। अभी भी घरों में ताखे पर रखे खिलौने देखने को मिल जाते हैं।

काँसे और बरूआ से मौनी और दौरी बनाने की सुन्दर कला यहाँ की लगभग सभी जातियों की स्त्रियों में है। काँसा और बरूआ एक प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, जिन्हें विभिन्न रंगों में रंगकर बुना जाता है। इस प्रकार बुन कर, डिब्बे, टोकरियाँ और सन्दूक तक बनायी जाती हैं। अन्न और वस्त्रों के भण्डारण के लिए आदमकद डिब्बे भी बनाये जाते हैं। बरूआ से खिलौने भी बनाने की कला यहाँ की स्त्रियों के पास है। बरूआ को अलग-अलग मोटाई का चीरकर उसे विभिन्न चटक रंगों में रंग लिया जाता है। इनकी बुनाई काँसे पर टेंकुरी (एक प्रकार का औजार) की सहायता से इस प्रकार की जाती है कि नक्काशी उभरती जाती है और पात्र भी आकार लेता जाता है। गंगा किनारे के इन गाँवों में काँसे के आसन बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता है, जिनकी बनारस में बहुत खपत है। इन आसनों को स्त्रियाँ ही बुनती हैं।

सरकारी योजनाओं के तहत भगवानपुर, छित्तूपुर, नैपुराकलाँ, नुआँव, टिकरी, नरोत्तमपुर आदि गाँवों में सिलाई, मोमबत्ती निर्माण, सूत कताई, पाँवदान बुनाई और दरी बुनाई आदि का प्रशिक्षण स्त्रियों को दिया गया है। इनमें से केवल सिलाई का प्रशिक्षण ही स्त्रियों को तीज-त्यौहार में अपने आसपास की स्त्रियों और बच्चों के वस्त्रों की सिलाई कर चार पैसे कमाने की क्षमता दे पा रहा है। छित्तूपुर और भगवानपुर में कुछ स्त्रियाँ रेडिमेड वस्त्रों की सिलाई का काम करती हैं।

खाद्य पदार्थ निर्माण का ज्ञान ग्रामीण स्त्रियों के पास है लेकिन ग्रामीण घरों में इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए कठिनाइयाँ आती है, जिनमें घरों का कच्चा होना खाद्य पदार्थों के भण्डारण और संरक्षण में प्रमुख बाधा बनता है।

छित्तूपुर गाँव में एक समय काशी के धातु शिल्पियों की बड़ी बस्ती थी। किन्तु आज अधिकांश परिवार इस उद्योग को छोड़ चुके हैं। तथापि यहाँ आधुनिक उद्योग जैसे पम्प, पंखा आदि के पुर्जों की जुड़ाई आदि का काम होता है, जिसमें स्त्रियाँ सहायता करती हैं।

(च) रचनात्मक पहल के आधार

उपरोक्त गुणात्मक सर्वेक्षण के आधार पर रचनात्मक पहल के लिए प्रारम्भिक चरण निश्चित किये गये। सर्वेक्षण में स्त्री-कौशल के जितने भी प्रकार मिले उनमें से उन प्रकारों का चुनाव किया गया जो स्त्रियों को समाज में दस्तकार के रूप में स्थापित करें न कि एक श्रमिक के रूप में। रेडीमेड वस्त्र बनाना, पैकिंग का काम करना, मोती-माला बनाना आदि जैसे काम स्त्रियों के कौशल को कला के स्तर पर नहीं ले जाते हैं। उन्हें मात्र श्रमिक बनाते हैं। कौशल के उन्हीं प्रकारों को चुना गया जिनमें अधिक प्राशिक्षण की जरूरत न हो, जो घर बैठकर किये जा सकते हों तथा जिनके द्वारा किये गये उत्पादन की बाजार में माँग हो। अतः निम्नलिखित क्षेत्र रचनात्मक पहल लेने के लिए चुने गये।

(1) वस्त्र उद्योग में कढ़ाई, बुनाई, सिलाई आदि।

(2) खिलौने एवं सजावट की सामग्री में वस्त्र और घास से बने खिलौने।

(3) खाद्य सामग्री में सूखे मसाले।

वृहत् समाज के सन्दर्भ में आज भी ये तीनों क्षेत्र विस्तार पा रहे हैं। ये वही क्षेत्र हैं जो कभी स्त्रियों के अपने कार्यक्षेत्र थे। अतः आज भी बहुसंख्य स्त्रियों की सक्रियता को बढ़ाने की क्षमता इन क्षेत्रों में है क्योंकि बहुसंख्य स्त्रियों के पास विद्यमान विज्ञान और कौशल का उपयोग इन क्षेत्रों में आज भी सर्वाधिक हो सकता है।

6.2 रचनात्मक कार्य

उपरोक्त कार्य क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा हस्तशिल्प का आवश्यक प्रशिक्षण, उत्पादन तथा बिक्री को संगठित किया गया और 'नारी हस्तकला उद्योग समिति' का गठन कर रचनातमक कार्य के लिए एक आधार बनाया। नारी हस्तकला उद्योग समिति का विस्तृत परिचय परिशिष्ट-6 में देखें।

(क) प्रशिक्षण

स्त्रियों के पास विद्यमान कौशल को ही अधिक निखारने के उद्देश्य से ये प्रशिक्षण संगठित किये गये। चूँकि इन सभी कौशल के प्रकारों का सम्बन्ध स्त्रियों से टूट चुका है और विस्मृत हो चुके कौशल की स्मृति को वापस लाने के कार्य को ही हमने यहाँ प्रशिक्षण कहा है। इन प्रशिक्षण का उद्देश्य स्त्रियों को व्यावसायिक दृष्टि से लैस करना नहीं है बल्कि उनके बहुआयामी कौशल को फिर से उनके जीवन के साथ जोड़ना है। इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए समिति के दो केन्द्रों को स्थापित किया गया, जिनमें से एक ग्रामीण क्षेत्र में और एक नगरीय क्षेत्र में है। ये प्रशिक्षण कई तरह से चलाये गये जैसे—

1. बस्तियों में बैठक करके महिलाओं को कौशल के प्रकार के अनुसार छोटे समूहों में छाँटकर वहीं प्रशिक्षण दिये गये। ये प्रशिक्षण अधिक से अधिक आधा घण्टा या एक घण्टे का होता है और प्रशिक्षण के अन्त में उत्पादन के लिए भी, वहीं काम दे दिया जाता है। जैसे प्रशिक्षण

के दौरान कढ़ाई के कुछ टाँके बताये जाते हैं और स्त्रियाँ वहीं बैठकर कढ़ाई करती हैं। अन्त में कपड़े के टुकड़े और रंगीन धागे देकर उन्हें छोटा फूल, पक्षी आदि उन्हीं टाँकों से काढ़कर लाने के लिए कहा जाता है।

2. जो महिलाएँ समूह में आने में असमर्थ होती हैं उन्हें घर पर जाकर प्रशिक्षित किया जाता है।

3. 'नारी हस्तकला उद्योग समिति' के केन्द्रों पर आकर महिलाएँ प्रशिक्षण लेती हैं।

4. समिति द्वारा केन्द्रों पर निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार नियमित सिलाई कक्षाएँ चलायी जाती हैं, जिसमें शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने पर परीक्षा लेकर प्रमाण पत्र दिया जाता है।

इन प्रशिक्षणों की दूसरी विशेषता यह थी कि स्त्रियों को क्या करना चाहिए, इसका सुझाव कभी भी हमारी ओर से नहीं रखा जाता है। स्त्रियों को क्या आता है और वे क्या करना चाहती हैं, इस बात को जानने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। स्त्रियाँ अपनी रूचि के अनुसार ही कार्य चुनें इसकी अनिवार्यता पर बराबर बल दिया गया। इस कारण इन प्रशिक्षणों के दौरान लम्बी चर्चाएँ भी होती रही हैं। ग्रामीण स्त्री के पास वैसे भी समय की कमी रहती है। अतः किसी नये काम को लेने से पहले वह कई कोणों से इसकी सम्भावनाओं पर विचार करती है। किसी नये कार्य की जायजता को अपने कर्तव्यों के सन्दर्भ में परखकर तभी उसे करने या न करने का निर्णय लेती है।

इस प्रकार स्त्रियों को वस्त्र उद्योग के कुछ कौशल जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई तथा सजावट सामग्री में तोरण, खिलौने, वाल हैंगिंग आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। सूखे मसालों में हल्दी, मिर्ची, अचार एवं सब्जी के मसाले, पापड़, बड़ी आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया गया।

उपरोक्त सभी सामग्रियों को हाथ से अर्थात केवल शारीरिक श्रम द्वारा बनाने की अनिवार्यता रखी। सिलाई मशीन के अतिरिक्त किसी भी क्लिष्ट (महँगी या बिजली चलित) मशीन के द्वारा वस्तुओं को न बनाये जाने की अनिवार्यता रखी गयी।

प्रशिक्षण की ये प्रक्रिया एक ही बार में समाप्त नहीं होती बल्कि कई हिस्सों में, क्रम से स्त्रियाँ अपने कोशल में उच्च स्तर को प्राप्त करती जाती हैं। प्रशिक्षण के दौरान बनायी गयी वस्तुओं की कारीगरी का भुगतान उन्हें किया जाता है अतः महिलाओं की कुछ नया और सीखने की रूचि बनी रहती है।

(ख) उत्पादन

कौशल को हासिल करने के बाद उत्पादन किये बगैर स्त्रियों की सक्रियता का आधार आकार नहीं लेता। अतः इन्हीं क्षेत्रों में हस्तशिल्प वस्तुओं के उत्पादन को संगठित किया गया।

स्त्रियों से हस्तशिल्प उत्पादन की गतिविधियों में कुछ सीमाओं का निर्धारण किया जैसे—

1. केवल उन्हीं वस्तुओं का निर्माण करवाया गया जिसमें लागत पूँजी अपेक्षतया कम से कम लगानी पड़े।

2. इन हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्माण स्त्रियाँ अपने-अपने घरों में बैठकर करें।

3. समय का कोई बंधन स्त्रियों पर नहीं रखा गया अर्थात वस्तुओं को चाहे वे एक दिन में बनायें या दस दिन में, उन्हें इसकी पूर्ण स्वतंत्रता दी गयी। किन्तु वस्तुओं को बनाने में उनकी रुचि होना एवं इस प्रक्रिया में उन्हें आनन्द मिलना आवश्यक समझा गया।

4. केवल प्राकृतिक सामग्री से ही हस्तशिल्प वस्तुओं का उत्पादन हो इसका आग्रह रखा गया। प्लास्टिक एवं कृत्रिम वस्तुओं का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए इस बात पर विभिन्न कोणों से चर्चा कर स्त्रियों को अपने अगल-बगल उपलब्ध प्राकृतिक वस्तुओं का ही उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

5. हस्तशिल्प वस्तुओं की बनावट, आकृति, चित्र, रंग संयोजन आदि हमारी परम्परा की निरन्तरता में रहे इसका भी आग्रह रखा गया।

इस प्रकार से उतपादन गतिविधियों से जुड़ी स्त्री दस्तकारों के सामने दो विकल्प प्रस्तुत किये गये—

(अ) जो स्त्रियाँ हस्तशिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल का खर्च वहन नहीं कर सकतीं उन्हें कच्चा माल समिति द्वारा उपलबध कराया गया।

(ब) जो स्त्रियाँ कच्चे माल का खर्च वहन कर सकती थीं उन्हें आवश्यकता होने पर ही सुझाव एवं अन्य मदद प्रदान कर हस्तशिलप सामग्री का निर्माण कराया गया।

इस प्रकार से संगठित उत्पादन गतिविधियों से ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की लगभग 200 स्त्रियाँ जुड़ीं। उत्पादन में वस्त्र, रूई, वनस्पति से बने खिलौने, झूमर, कढ़ाई के वस्त्र, तोरण, बैग्स, पर्स, झोले, कूशन कवर्स, आसन, दरियाँ, वाल हैंगिंग, चश्मा कवर्स, की रिंग्स आदि बनाये गये। लगभग प्रातिमाह औसतन 5 से 6 हजार रुपये मूल्य का सामान बनवाया गया। नगरीय क्षेत्र में रामापुरा, नगवाँ, नरियाँ, खोजवाँ, देवनाथपुरा, सिगरा, अस्सी आदि क्षेत्र की स्त्रियाँ उत्पादन गतिविधियों से जुड़ीं। ग्रामीण क्षेत्र में भगवानपुर, छित्तूपुर, नैपुराकलाँ, नरोत्तमपुर, टिकरी, तारापुर, डाफी आदि गाँवों की स्त्रियाँ शामिल हुईं।

उत्पादन की गुणवत्ता का स्तर बनाये रखने के लिए स्त्रियों को एक साथ बहुत सामग्री बनाने को नहीं दी जा सकती थी। परिणामतः प्रत्येक स्त्री से कई बार कच्चे माल और तैयार सामग्री का

लेन-देन करना पड़ता था तथा हर बार उससे उसकी कलाकृति की कमजोरियों और विशेषताओं पर चर्चा करनी पड़ती थी जिससे वह और बेहतर सामग्री का निर्माण कर सकें। इसके लिए उन्हें काफी समय देना आवश्यक होता था। प्रारम्भिक चरणों के बाद स्त्रियों को स्वयं ही डिजाइन्स बनाने एवं रंग संयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस तरह हस्तशिल्पों में उनकी कला को पूर्ण अभिव्यक्ति मिल पाने का प्रयास किये गये।

(ग) बाजार की व्यवस्था

उत्पादित सामग्री की बिक्री सबसे कठिन समस्या थी। वर्तमान बाजार व्यवस्था में स्त्रियों का प्रवेश करना अत्यन्त मुश्किल है। वस्तुओं को बाजार में लाने से पहले कई प्रारम्भिक कार्य करने पड़े जिनमें सबसे मुश्किल कार्य वस्तुओं का बिक्री मूल्य तय करने का था। वस्तुओं की गुणवत्ता में अत्यधिक विविधता होने के कारण यह कार्य अधिक मुश्किल बन गया। हस्तशिल्प वस्तुओं का बिक्री मूल्य निश्चित करने में दस्तकार स्त्री की कला और श्रम का हिस्सा सबसे अधिक हो इस बात को प्राथमिकता दी गयी। ऐसा करने से वस्तुओं के मूल्य अधिक जान पड़ते थे किन्तु फिर भी ऐसा ही करना निश्चित किया गया।

बाजार खोजने के प्रयास में एक व्यापक मंच बनाना निश्चित किया गया, जिसमें हमारी समिति द्वारा संगठित उत्पादन गतिविधियों से जुड़ी स्त्रियों के अलावा नगर और ग्रामीण क्षेत्र की वे सभी स्त्रियाँ भी जुड़ सकें जो स्वतंत्र रूप से हस्तशिल्प उत्पादन में लगी हुई हैं तथा जिनके सामने भी बिक्री की समस्या निरंतर बनी हुई है। इस प्रयास में हमें कुछ हद तक सफलता भी मिली। नगर के कुछ महिला संगठन एवं कुछ स्त्रियाँ व्यक्तिगत स्तर पर इस मंच से जुड़ीं। स्त्रियों द्वारा हाथ से बनाये गये इन हस्तशिल्पों की बिक्री के लिए हमने निम्नलिखित कदम उठाये।

1. नारी हस्तशिल्पों के प्रति लोगों की रूचि बढ़ाने के लिए नगर के विद्यालय एवं महाविद्यालयों में जाकर तथा प्रतिष्ठित महिलाओं से सम्पर्क कर उन्हें शिल्प की गुणवतता से परिचित किया।
2. स्त्रियों के बने हस्तशिल्पों को खरीदना एक सामाजिक एवं नैतिक कर्तव्य है, इस विषय पर नगर के महिला संगठनों, अध्यापिकाओं तथा पढ़े-लिखे वर्ग की महिलाओं के बीच परिचर्चा चलाकर प्रचार किया।
3. नगर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 15-20 प्रदर्शनियाँ लगाकर हस्तशिल्प की बिक्री की।
4. समिति के नगरीय केन्द्र को हस्तशिल्प की बिक्री का स्थायी केन्द्र बनाया।
5. जिलाधिकारी के पास महिला शिल्पकारों की ओर से अपील भेजने का प्रायास किया गया, जिसके अन्तर्गत नगर के प्रमुख बाजारों में नारी हस्तशिल्प की बिक्री के लिए स्थायी रूप से स्थान की माँग की गयी।

6.3 महत्त्वपूर्ण नतीजे

इस प्रयोग के दौरान दस्तकार स्त्रियों के बीच हस्तशिल्प के उत्पादन एवं बाजार से जुड़ी समस्त समस्याओं की विस्तारपूर्वक चर्चा होती रही। इन्हीं चर्चाओं के दौरान हमारे रचनात्मक कार्य्रो के अगले कदम भी निर्धारित होते गये और उत्पादन तथा बाजार से जुड़ी समस्याओं को हल करने के असंख्य सुझाव भी आते रहे। इस प्रयोग से निकले कुछ महत्त्वपूर्ण नतीजे या मुद्दे इस प्रकार हैं—

1. नारी हस्तशिल्प उद्योगों में समाज के हर वर्ग और जाति की स्त्री के सक्रिय होने की सम्भावनाएँ उभरकर आयीं। प्रत्येक जाति की स्त्री के पास किसी न किसी प्रकार का कौशल है।

2. नारी हस्तशिल्प उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की सहज उपलब्धता होने के लिए स्त्रियों को समाज के अन्य उत्पादक तबकों से सक्रिय सम्बन्ध में रहने की आवश्यकता है।

3. नारी हस्तशिल्पों के प्रति रूझान बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में किये गये प्रयास प्रभावी हो सकते हैं। ऐसे प्रयासों के तहत ही समाज के पुनर्संगठन की दिशा का बोध हो सकेगा, जिससे सभी हस्तशिल्प उद्योग पुनः समाज से सक्रिय रिश्ते में आयेंगे।

4. बाजार में हस्तशिलप की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहली अनिवार्यता यह होनी होगी कि स्थानीय बाजारों में बाहर की सामग्री के प्रवेश पर प्रतिबन्ध हो तथा स्थानीय दस्तकारों द्वारा बनी हुई वस्तुओं को प्राथमिकता मिले।

5. इस प्रयोग में विभिन्न जाति की स्त्रियों के बीच सम्बन्धों का आधार कौशल रहा है। अतः वे हर दूसरी स्त्री को उसकी विशेषज्ञता के आधार पर ही देखती हैं, जिसके अभाव में वर्तमान में जाति और धर्म के घेरे संकुचित जान पड़ते हैं। इस प्रयोग में विभिनन जाति और धर्म की महिलाएँ समिति के कार्य से जुड़ीं।

6. नगरीय एवं ग्रामीण स्त्रियों के लिए चलायी गयी सरकारी रोजगार योजनाओं के तहत व्यवसाय शुरू करने के लिए कर्ज दिया जाता रहा है। कर्ज के साथ ही और उन्नत तकनीकी के उपयोग पर विशेष जोर दिया जाता है एवं आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस प्रकार लघु उद्योगों के जिनमें अधिकांश हस्तशिल्प उद्योगों की श्रेणी में आ जाते हैं, प्रत्येक महत्त्वपूर्ण पहलू पर (जैसे प्राशिक्षण, लागत पूँजी और उन्नत तकनीकी) सरकार सहायता प्रदान करती है। इसके बावजूद इन रोजगार योजनाओं से लाभान्वित स्त्रियों से वार्ता करने पर यह स्पष्ट हुआ कि ये योजनाएँ अपने हर पहलू में असफल रही हैं। इस असफलता का मुख्य कारण इन उद्योगों के समस्त पहलुओं को समग्रता में न देख पाने में ही रहा है। इन उद्योगों के एक या दो पहलुओं पर कारीगर को सहायता प्रदान करने से न तो कारीगर की स्थिति ही सुधरती है और न इन उद्योगों को खड़े रहने का बल ही मिलता है। अतः अधिकांश स्त्रियाँ

प्रशिक्षण और कर्ज लेकर बैठ जाती हैं और उद्योग नहीं कर पाती हैं। इन उद्योगों के लिए कच्चे माल की सहज उपलब्धता और बाजार की सुविधा इन दो महत्त्वपूर्ण मुद्दों के प्रति सरकारी योजनाएँ प्रायः उदासीन है।

7. हस्तशिल्प उद्योगों में बहती स्वदेशी विज्ञान की धारा के विभिन्न पक्षों को समझने में स्त्रियों के पास विद्यमान ज्ञान एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हो सकता है।

8. घर बैठकर उत्पादन करने का तरीका स्त्रियों को विशेष रूप से अनुकूल है। इससे उनकी सामाजिक भूमिका सुदृढ़ होती है तथा कला को पनपने के अवसर मिलते हैं।

9. हस्तशिल्प उद्योगों के पुनर्जीवन के साथ समाज में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ने की सभी सम्भावनाएँ जुड़ी हुई हैं। आधुनिक उद्योगों में लगने वाले कोशल की महँगी प्रशिक्षण सुविधाएँ तथा घर के बाहर कार्य करने की अनिवार्यता समाज में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ने देने में प्रमुख बाधा बनी हुई है। अतः सार्वजनिक जीवन में वही विचार प्रगतिशील हैं जो हस्तशिल्प उद्योगों के पुनर्जीवन को स्त्रियों के उत्थान के साथ देखें।

अध्याय - 7

रचनात्मक पहल के सम्भावी मार्ग

हस्तशिल्प उद्योगों से सम्बन्धित इस कार्य में हमने इसी स्थापना को सिद्ध पाया कि समाज की सक्रियता उसमें प्रचलित आचार-व्यवहार, रहन-सहन, विचार, मूल्य-मान्यताएँ और ज्ञान-विज्ञान आदि पर आधारित होती है तथा इस सबके पारस्परिक एवं संतुलित सम्बन्धों से निर्देशित होती है। काल सापेक्ष संतुलन को नकार कर किसी एक पक्ष, चाहे वह विज्ञान का हो अथवा कला या राजनीति का, को उसके अनुपात से अधिक महत्त्व देना इस सिद्धि के विपरीत बात है तथा ऐसा करने से समाज में आसुरी प्रवृत्तियों को बल मिलता है।

आधुनिकीकरण ने सौन्दर्यभाव और उपयोग की अवधारणा को एक दूसरे से सर्वथा अलग करके समाज के उपरोक्त संतुलन पर गहरा आघात किया है। इसके साथ ही हस्तशिल्प उद्योगों के पुनरुज्जीवन को तकनीकी एवं बाजार का प्रश्न बनाकर एक पक्षीय अवधारणाओं को बल प्रदान किया है। ऐसे प्रयासों में हस्तशिल्प के विनाश का ही संदेश है। आवश्यकता इस बात की है कि हस्तशिल्प के जीवन और पुनरूज्जीवन को समाज की संरचना व उसमें अपेक्षित परिवर्तन तथा समाज के मूल्य व उनमें आवश्यक बदलाव के ड्डोस संदर्भों में देखा जाय। विज्ञान, तकनीकी, बाजार आदि से सम्बन्धित प्राश्नों को इन्हीं ठोस संदर्भों में परिभाषित किया जाय। आशा है कि ऐसा संदर्भ स्थापित करने की दिशा में काशी के हस्तशिल्प से सम्बन्धित यह कार्य एक निश्चित कदम उठा सका है तिाि अब हम उन सम्भव प्रयासों, पहल एवं परिणामों की चर्चा करेंगे, जो हमारे विचार में हस्तशिल्प उद्योगों के पुनरूज्जीवन के लिए ठोस कदम साबित हो सकते हैं।

7.1 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विभिन्न शिल्प क्षेत्रों की अभी तक की चर्चा से विज्ञान व तकनीक से सम्बन्धित कुछ विशेष बातों उभरकर आती हैं। पहली बात यह है कि सभी हस्तशिल्पों की तकनीक प्रकृति के साथ सामंजस्य में होती है। आधुनिक उद्योगों के चलते हो रहे पर्यावरण विनाश तथा स्थितिकीय हनन के संदर्भ में हस्तशिल्प उद्योगों का यह गुण इन उद्योगों को राष्ट्र की उद्योग नीति में आधारभूत महत्त्व का स्थान देता है। अतः देश की उद्योग नीति में हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा तो मिलना ही चाहिए तथापि इस संदर्भ में नीति को इन्हीं उद्योगों पर कैसे आधारित किया जाय, इसके लिए एक व्यापक राष्ट्रीय चर्चा शुरू की जानी चाहिए। हस्तशिल्प उद्योगों में भारत की विशेष सिीति उसे अक्षय विकास के क्षत्र में विश्व नेतृत्व का स्थान दे सकती है।

दूसरी ध्यान देने की बात यह है कि इन उद्योगों में काम करने वाले लोगों के पास पदार्थ विज्ञान की तकनीक और उसके लिए आवश्यक बौद्धिक रूझान की एक लम्बी परम्परा है। ये लोग न केवल पुरुखों से सीखे कामों को ही बहुत सटीक ढंग से करते हैं बल्कि मौका मिलते ही तकनीक में सुधार और नये पदार्थों के इस्तेमाल के प्रयोग भी करते रहते हैं। इन प्रयोगों में वे अप्रतिम वैज्ञानिकता का परिचय देते हैं। उनके तन-मन की इन विशेष क्षमताओं का उपयोग करने की व्यवस्थित सोच राष्ट्र की उद्योग नीति का हिस्सा होनी चाहिए। इससे तमाम आधुनिक उद्योगों को भी उस प्राकृतिक धारा में डाला जा सकेगा जिसमें उनका एक स्वाभाविक स्देशीकरण होता है तथा गुणवत्ता और कार्यक्षमता में भी सुधार होता है।

तीसरी बात स्वदेशी विज्ञान के विकास के सम्बन्ध रखती है। उच्चस्तरीय कौशल से जुड़ी बौद्धिक क्षमताएँ तथा इन शिल्प उद्योगों का स्थितिकीय की दृष्टि से पक्का स्वभाव दोनों ही एक आज से अलग वैज्ञानिक आधार की ओर संकेत करते हैं। इनका सम्बन्ध केवल हाथों के सतत प्रयोग अथवा उद्योग के पैमाने के साथ देखना उचित एवं तर्कसंगत नहीं है। पदार्थों के गुण एवं क्रियाओं के सार एवं आयाम की एक सर्वथा भिन्न समझ दिखायी देती है जो शायद लम्बे समय तक एक प्रौद्योगिकीय व्यवस्था का आधार रही है। इस वैज्ञानिक समझ एवं प्रौद्योगिकीय व्यवस्था में अनुसंधान राष्ट्र के औद्योगिक पुनर्निर्माण की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व रखता है। ऐसे अनुसंधान को हर कीमत पर बढ़ावा मिलना चाहिए।

7.2 बाजार

वर्तमान बाजार की वयवस्थाएँ हस्तशिल्प उद्योगों के फलने-फूलने में एक बड़ी और वास्तविक बाधा है। बाजार की व्यवस्थाओं द्वारा खड़ी की गयी ये बाधाएँ सर्वप्रथम इन उद्योगों की कला के ह्रास के रूप में परिलक्षित होती हैं। कला में आया ह्रास, हस्तशिल्प के विज्ञान और समाज के ह्रास को गति देना है। स्थानीय बाजार में हस्तशिल्प सामग्री को प्राथमिकता देने से इन बाधाओं के शिखरों को छोटा किया जा सकता है। अतः पहले कदम के रूप में स्थानीय कच्चे माल की उपेक्षा कर दूर के स्थानों से कच्चे माल के आयात किये जाने पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। इस प्राकार स्थानीय वस्तुओं की जानकारी बढ़ने के अवसर बनते हैं और ढवदेशी विज्ञान एक वास्तविक एवं प्रभावी ज्ञान की विद्या के रूप में दिखायी दे सकता है।

हस्तशिल्प उद्योगों द्वारा बनायी जा रही वस्तुएँ बड़े उद्योगों द्वारा भी बनायी जाती हैं। वर्तमान बाजार की नीति हस्तशिल्प उद्योगों की सामग्री को बाजार में प्रवेश ही नहीं करने देती। इस नीति के चलते हस्तशिल्प उद्योग सिमटते ही जायेंगे। हस्तशिल्प उद्योगों द्वारा बनायी जा रही सामग्री को बड़े उद्योगों द्वारा बनाये जाने पर प्रतिबन्ध होना हस्तशिल्प उद्योगों को खड़ा करने की एक आवश्यक शर्त प्रतीत होती है।

हस्तशिल्प उद्योगों को निर्यातोन्मुख होने की सरकारी नीति को समर्थन मिलता रहा है। कारीगरों से भी इसे समर्थन मिलता है। प्राचीन काल से ही भारतीय हस्तशिल्प दूर-दूर के देशों में निर्यात होते थे तथा कारीगर और समाज की समृद्धि में वृद्धि करते थे। अतः आज भी इन सामग्रियों का निर्यात होना गलत नहीं हो सकता। किन्तु स्वदेशी बाजार को सुदृढ़ किये बगैर निर्यातोनमुख होने में हस्तशिल्प उद्योगों के रहे-सहे चिह्न भी मिट जायेंगे। स्वदेशी बाजार में इन वस्तुओं के प्रति अरुचि की स्थिति में परकीय समाज की रुचि का दबाव इन शिल्प कलाओं को भावहीन और रसहीन बना देता है। इनकी आत्मा ही नष्ट हो जायेगी। हस्तशिल्पों की स्वेदशी बाजार में सुदृढ़ स्थिति बनोन के बाद ही निर्यातोन्मुख नीति इन उद्योगों को और इस समाज को समृद्ध कर सकती है।

हस्तशिल्प उद्योगों की दृष्टि से औद्योगिक उत्पादन के बाजार की संरचना एक विशेष अनुसंधान का क्षेत्र है। अंग्रेजी काल में परम्परागत हस्तशिल्प उद्योग नष्ट होने का कारण राज्य की राजस्व एवं उद्योग नीति में था न कि खुले बाजार में होने वाली किसी प्रतिस्पर्धा में। वास्तव में हस्तशिल्प उद्योगों का उत्पादन बड़े पाश्चात्य उद्योगों के उत्पादन से सस्ता ही रहा। अतः आज जब यह प्रतीत होता है कि बड़े उद्योगों के उत्पादन के सामने बाजार में हस्तशिल्प उद्योगों का उत्पादन टिक नहीं पाता या यह कि वह माँग पूरी नहीं कर पाता तो क्या आज भी इसका कारण सरकार की राजस्व, उद्योग एवं वित्त नीति में है?

7.3 समाज

हस्तशिल्प उद्योगों को पुनर्जीवित करने का प्रयास समाज में स्वायत्त सत्ता के रूपों को मूर्त या साकार करने में है। स्थानीय सत्ताओं की स्वायत्तता हस्तशिल्प उद्योगों का प्राण है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, बाजार की व्यवस्थाओं तथा सामाजिक सम्बन्धों का नियमन स्थानीय सत्ता के हाथ में हो तभी हस्तशिल्प उद्योग फल-फूल सकेंगे।

आज भी इन उद्योगों में लगे लोगों की सामाजिक सत्ता मुख्य रूप से उनकी अपनी पंचायत के माध्यम से ही अभिव्यक्ति पाती है। उनकी यह पंचायत कितनी भी छिन्न-भिन्न अवस्था में क्यों न हो तथापि वह आज की परिस्थितियों में भी उनकी सामाजिक सत्ता के पुनर्वास का प्रारम्भिक बिन्दु देती है। यह पंचायत न अनिवार्यतः जातीय पंचायत है और न उद्योगकर्ताओं अथवा श्रमिकों का संगठन मात्र है। आज का प्रभावी समाज सामाजिक संगठन के इस रूप को सार्वजनिक सत्ता का रूप मानने से इनकार करता है। अतः किसी भी लोकप्रिय सरकार से यह आशा की जानी चाहिए कि वह इन पंचायतों को बढ़ावा दे। इसी में इस क्षेत्र में सक्रिय स्वयंसेवी संगठनों का कर्म भी निश्चित होता है।

हस्तशिल्पों के प्रति स्थानीय समाज की दृष्टि भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। अपने ही आसपास के लोगों द्वारा बनायी गयी शिल्प सामग्रियों के प्रति अरुचि में किसी अनैतिकता को न देख पाना इन उद्योगों के पुनर्जीवन की प्रक्रिया को धीमा करती है।

स्त्रोत एवं संदर्भ

1. *उत्तर प्रदेश,* काशी अंक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, 1984
2. नीहार रंजन राय, *भारतीय कला का अध्ययन,* दी मैकमिलन कं. ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1978
3. मोती चन्द, *काशी का इतिहास,* विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1985
4. मोती चन्द, *प्राचीन भारतीय वेशभूषा,* भारती भण्डार, लीडर प्रेस, प्रयाग, सं. वि. 2007
5. *सन्मार्ग,* वाराणसी विशेषांक, तुलसी मन्दिर, तुलसी घाट, 1986
6. डॉ. विभा त्रिपाठी एवं डॉ. अरुण कुमार मिश्रा, स्मारिका, स्वदेशी विज्ञान कार्यशाला, 1-3 अक्टूबर, 1993, गांधी विद्या संस्थान, वाराणसी
7. *हंस,* काशी विशेषांक, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, 1930
8. Anand K. Coomar Swamy, *Art and Swadeshi*, Ganesh and Co. Publishers, Madras, 1910.
9. Ajit Mookarjee, *Banaras Brocades,* Govt. of India, New Delhi, 1960.
10. Birdwood C. G., *Industrial Arts of India,* Idarahi-1 Adabiyali-i-Delhi, First edition 1880 Reprint 1974, pp.156-159.
11. Enakshi Bhawanani, *Decorative Desions of Craftsmanship of India,* D. D. Taraporwala sons and Co., Pvt.Ltd., Bombay-1974
12. Hameeda Khatoon Naqui, *Urban Centres and Industries in Upper India,* (1556-1803), Asia Publishing House, Delhi, 1968.
13. Havel, *E. B. A Hand Book of Indian Art*, India Academy Varanasi.
14. Nita Kumar, *Pupular Culture in Urban India, The Artisons of Banaraes,* 1984, (Thesis).
15. *Art Indistries Through the ages :* Monographs series (1895-1897), Navrang, New Delhi (Reprint 1982).
16. *Varanasi,* Gazetters of Uttar Pradesh, 1965.
17. Indian Agriculture at the Turn of Century, *P.P.S.T. Bulletin,* Vol. 2, No. 2, 1982.
18. M. A. Abdul Zahir, *Handloom Imdustry of Varanasi,* 1966 (Thesis).
19. Dr. Baidyanath Saraswati, *Pottery Making Cultures and Indian Civilization,* Abhinav Publications, New Delhi, 1970

परिशिष्ट - 1

काष्ठ-कला उद्योग

(श्री श्यामबाबू गुप्ता, वाराणसी काष्ठ खर्राद खिलौना दस्तकारी समिति, काश्मीरीगंज, खोजवाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं। आप स्वयं इस कला उद्योग से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। इस उद्योग के सामने वर्तमान संकट के बारे में उन्हीं के द्वारा लिखे गये पत्र को यहाँ प्रस्तुत किया गया।)

वाराणसी के काष्ठ कलाकारों द्वारा निर्मित लकड़ी के विभिन्न प्रकार के खिलौने काशी के काष्ठ उद्योग की परम्परा का एक उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करते हैं। इसको संगठित करने का श्रेय वाराणसी काष्ठ खर्राद खिलौना दस्तकारी समिति काश्मीरीगंज वाराणसी का है।

इस कला का इतिहास बहुत पुराना है। पहले लकड़ी की ही मशीन बनाकर उसको हाथ से रस्सी द्वारा खींचकर खिलौना बनाया जाता था। जिसको अपनी भाषा में दुवाली कहते थे। अब मशीनी युग में लोहे के बने हुए मशीन, जो बिजली की मोटर से चलाये जाते हैं, अधिक सुलभ तरीके से खिलौना बनाया जाता है।

वाराणसी में काष्ठ कला के तीन मुख्य प्रकार मिलते हैं—

1. खराद मशीन पर बनी कला वस्तुएँ
2. हाथों द्वारा तराश कर व गढ़ी हुई वस्तुएँ
3. खराद मशीन पर बनी वस्तुओं पर बारीक नक्काशीदार सजाकर।

पहले दो प्रकार के बने खिलौने अधिक प्रचलित थे। और यही काशी के खिलौनों के नाम से जानते थे। जैसे बनारस का बना लकड़ी का सिन्धौरा जो भारतवर्ष में पूज्यनीय है। इसके अलावा सारस, बगुला, रेल, जहाज, सुखी परिवार, दुःखी परिवार, पेटारी आदि खिलौने बनाये जाते हैं। बारीक नक्काशी करने वाले कारीगर ने अब अन्य वस्तुओं पर नक्काशी का कार्य छोड़ कर लकड़ी की बनी वस्तुओं को अपना माध्यम बनाया। जिससे इस पर और कलात्मकता की छाप पडत्री। इस बनारस के लकड़ी के खिलौने के लिए कोरैया लकड़ी का ही अधिक इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन सरकार द्वारा 1978 में लकड़ी के जंगल का कटान बन्द हो जाने के कारण इस लकड़ी का अभाव हो गया है। जिससे बहुत से कारीगर तो बेरोजगार हो गये हैं। बाद में सरकार को इस आशय की जानकारी पत्रों के माध्यम से दी गयी और बतलाया गया कि यह लकड़ी जंगल में अपने आप उत्पन्न होती है और इसका एक दो साल के अन्दर कटान नहीं किया गया तो खराब हो जाती है और इसका कोई उपयोग अन्य कामों में नहीं लिया जाता है। भारत सरकार द्वारा कोरैया लकड़ी 1980 ई. में मीनी डिपो खोलकर उपलब्ध कराया जाय ऐसा आज्ञा पत्र प्राप्त हुआ। इसके लिए कमेटी को बहुत

कड़ी मेहनत करनी पड़ी तब कहीं जाकर खोजवाँ बाजार में मीनी डीपो खोला गया व 4 ट्रक लकड़ी उपलब्ध कराया गया और कारीगरों में 80 रुपये प्रति कुन्तल में बिक्री किया गया। जबकि यहाँ पर 400 ट्रक प्रति वर्ष की आवश्यकता है। लेकिन इसके बाद कुछ बिचौलिये अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु जंगल में ही अग्रिम बोली बोलकर 130 रुपये प्रति कुन्तल की दर से जंगल में ही अधिकारियों की मिलीभगत से बिचौलियों को उपलब्ध कराया गया। जिसके चलते यह डीपो बन्द हो गया। वह अभी तक बन्द है। इसके बाद कारीगर भूखमरी के कगार पर पहुँच गये। प्रशासन से भी कोई मदद नहीं मिल सकी। मजबूर होकर कुछ कारीगर जलावनी लकड़ी जैसे यूकोलिप्टस, कैमा, भुड़कुर, सेमर, सलाई तथा तेन्दु आदि लकड़ी में खिलौना बनाने लगे। जिसमें कुछ माने में यूकेलिप्टस लकड़ी कारगर सिद्ध हुआ। फिर भी उतना उपयुक्त नहीं है, जितना कोरैया लकड़ी था। इसमें बहुत खराबी है जैसे माल जलकर खराब हो जाता है। जिसमें चिकनाई व पालिश नहीं आती। यह माल टिकाऊ नहीं होता।

लकड़ी के खिलौने दो विधियों से बनायी जाती है।

1. खराद मशीन द्वारा

2. हाथ द्वारा गढ़कर उसको कलात्मक रूप देकर।

खराद मशीन पर बनाये जाने वाले खिलौने गोल आकार के होते हैं। इसके सुगठित आकार का अपना एक विशेष आकर्षण होता है। जिसमें सिन्धौरा, पालना, डिबिया, लैम्प स्टैण्ड व बच्चों के लिए खेलने के लिए है। हाथ से तरास कर या गढ़कर बनाये जाने वाले खिलौनों में सुडौल आकार के पशु-पक्षी, मनुष्य आकृति एवं मूर्तियाँ बनायी जाती है। बने हुए खिलौने पहले विभिन्न रंग द्वारा मशीन पर ही रंग दिया जाता है। उसके बाद रंग साज विभिन्न रंग व बुरसों द्वारा उनको कलात्मक रूप देते हैं जो बहुत ही मनमोहक होता है। यह रंग जो खिलौना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है वह लाह या चपड़ा रंजन रंग को आग पर तपाकर उसमें रंग को मिलाकर ठण्डा कर लिया जाता है। वह बत्तीनुमा बना लिया जाता है। उसी से रंग का कार्य होता है।

इस काष्ठ कला उद्योग में लगभग 500 कारीगर कार्य करते हैं। जिसमें 5000 परिवार इस कार्य में जुड़े हुए हैं। जिसकी आर्थिक, सामाजिक व माल का उत्पादन व बिक्री जैसी समस्या का समाधान यहाँ की कमेटी करती है। काष्ठ कला के कारीगर इस उद्योग में कला तकनीक पक्ष के प्रति अत्यन्त सचेत हैं किन्तु सरकारी नीति एवं आधुनिक रुचियों का दबाव उनकी तकनीक एवं कला को भावहीन और सौन्दर्यहीन बना रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से कारीगर की वैज्ञानिक दृष्टि का सम्मान सरकारी नीति नहीं कर पायी है। कोरैया लकड़ी के बदले में यूकेलिप्टस जैसे विनाशकारी पेड़ों का उपयोग करने में बाध्य कारीगर का व्यावसायिक दृष्टि से यह व्यवसाय प्रायः समाप्त होता चला जा रहा है। पहले कौरैया लकड़ी 80 रुपये प्राति कुन्तल में आसानी से प्राप्त होता था। वहीं अब

यूकोलिप्टस 200 रुपये प्रति कुन्तल के रूप में प्राप्त होता है। वो भी जलावन के रूप में। गरीब व निरीह कारीगर बाध्य होकर कार्य करने के लिए मजबूर हैं, वही बात रंगों के बारे में भी है। जहाँ पहले 40 रुपये प्रति किलो में आसानी से मिल जाता था, अब 150 रुपये प्रति किलो से प्रााप्त होता है जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत महंगा है।यह व्यापार हर साल लाखों रुपयों का विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। सरकारी नीतियों के कारण व्यापारिक दृष्टि से यह उद्योग पतन के गर्त में समाता चला जा रहा है। लेकिन सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि सरकार लघु उद्योग को बढ़ावा देने व उसको अपने संरक्षण में लेने की घोषणा बार-बार करती है। तिसपर भी इस उद्योग के लिए सरकार की तरफ से न कोई सहायता मिला न संरक्षण। मैं इस पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान इस लघु हस्तकला की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस उद्योग के जो देश में व विदेशों में भी अपनी विशिष्ट छाप बनाये हुए है उसको अपनी संरक्षता प्रदान करे व इसकी जो प्रायः समाप्त सा हो गया यह लघु उद्योग को जीवन दान दिलावे।

इस कला उद्योग को बढ़ाने के लिए निर्यातोन्मुख नीति को प्राथमिकता दिया जा रहा है जो कारीगरों को तत्काल राहत देने का दिलासा तो देती है किन्तु अन्ततः उन्हें मात्र श्रमिक बना कर छोड़ देती है।

धन्यवाद,

महामंत्री
ठाकुर रमाशंकर सिंह
बी. 22/261, डी-2 क
खेजवाँ बाजार,
वाराणसी

परिशिष्ट - 2

मृत्तिका शिल्प उद्योग

(श्री रामअधार प्रजापति, वाराणसी के ग्रामीण अंचल के कुम्हार हैं। नगर से लगीाग 5 किलोमीटर दूर अमरा ग्राम के निवासी हैं और मृण्मय शिल्प उद्योग इनका पुश्तैनी उद्योग है। अमरा ग्राम के आसपास कुम्हारों की बड़ी बस्तियाँ हैं और ये बस्तियाँ अत्यन्त प्राचीन हैं। श्री रामअधार बंगाल के मृण्मय शिल्प से भी परिचित हैं और इनकी कला पर इसका स्पष्ट प्रभाव भी है। अपने शिल्प के बारे में उनके द्वारा लिखी गयी जानकारी यहाँ प्रस्तुत की गयी है।)

1. मिट्टी के बारे में जानकारी

मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी में लसम होनी चाहिए, कंकड़ की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अच्छी मिट्टी उसे समझा जाता है जिसमें ना ही अधिक लसम हो और ना ही अधिक बालूपन। इन दोनों मिट्टी के मिलाने से पकाने में बर्तन टूटते नहीं हैं। लसमदार मिट्टी को डाढ़मारी कहते हैं जिस मिट्टी में बालू और लसा दोनों मिली होती है उसे दोहास माटी कहते हैं।

2. मिट्टी की खोज

अपने काम के मुताबिक मिट्टी खोजनी पड़ती है। यह मिट्टी गाँव के पोखरे या खेतों में पायी जाती है। अगर गाँव में नहीं मिल पाती है तो दूसरे गाँव से लानी पड़ती है। आजकल तो दूसरे गाँव के लोग भी मिट्टी नहीं लाने देते हैं। ऐसी हालत में मिट्टी खरीद कर लानी पड़ती है।

3. मिट्टी तैयार करने की विधि

मिट्टी को काम के मुताबिक महीन तार से चलाते हैं या किसी धारदार वस्तु से कई बार काटते हैं जिससे मिट्टी एक जैसी हो जाती है, फिर मिट्टी को किसी साफ जगह या बोरे के ऊपर फैलाकर पैर द्वारा दबा-दबकर उसे मैदे से भी बेहतर बना लेते हैं। उसके बाद थोड़ी-थोड़ी मिट्टी लेकर उसके अन्दर छिपे कंकड़ या बर्तन को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थ को निकाल देते हैं और छोटा-छोटा लोवा बना लेते हैं ताकि काम करने में सुविधा हो।

4. मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि

छोटा या बड़ा चाक लेते हैं यह चाह बर्तन बनाने पर निर्भर है। अगर बड़ा बर्तन है तो बड़े चाक का प्रयोग करते हैं। बड़े बर्तन बनाने के लिए चाक में ज्यादा गति नहीं होनी चाहिए और न तो चाक को किसी तरफ झुका होना चाहिए। अगर चाक किसी तरफ झुका होता है या उसकी गति जल्दी कम हो जाती है तो बर्तन बनाने में ज्यादा परेशानी होती है और बर्तन टूट जाते हैं। बड़े चाक

का वजन 50 किग्रा से 60 किग्रा तक होता है। छोटे बर्तन बनाने के लिए छोटा चाक इस्तेमाल करते हैं। इससे बर्तन जल्दी बनते हैं। छोटे चाक का वजन 35 किग्रा के लगभग होता है। आजकल चाक बैरिंग और बिजली की मोटर की सहायता से भी चलाया जाता है। साधारण चाक के नीचे जो लकड़ी लगायी जाती है वह लकड़ी इमली के जड़ के बीच की होती है।

5. मिट्टी के बर्तन को सुखाना

मिट्टी के बर्तन को खुली हवा और धूप में सुखाते हैं। सुखाते समय उसे घुमा-घुमाकर सुखाना पड़ता है, जिससे बर्तन टेढ़ा नहीं होने पाता। कुछ बर्तन ऐसे भी होते हैं जिसे खराद पर पालिश लगाना पड़ता है। ऐसे बर्तन को पूरी तरह से सूखने नहीं दिया जाता है क्योंकि बर्तन के सूख जाने पर खरदने में परेशानी बढ़ जाती है और बर्तन में ठीक तरह से चिकनापन नहीं आ पाता। खरादने के काम के लिए मजबूत टीन या पतला लोहे के चद्दर का प्रयोग करते हैं।

6. मिट्टी के बर्तन को रंगने और पकाने की विधि

(क) रंग तैयार करने की विधि

मिट्टी के बर्तन को रंगने के लिए लाल रंग की मिट्टी का प्रयोग करते हैं। लाल रंग की मिट्टी खेतों में पायी जाती है जिसे तलाशने में काफी परेशानी होती है। यह मिट्टी जमीन में दो-तीन फूट नीचे पायी जाती है। ऊपर की मिट्टी को खोद फेंक देना पड़ता है तब लालरंग की मिट्टी को खोदकर निकालते हैं। उसे घर लाकर काम के मुताबिक उसमें आम की छाल और कपड़ा का सोडा डालकर अच्छी तरह पानी के साथ कूटा जाता है फिर इसे धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद जरूरत के मुताबिक पानी में उसे अच्छी तरह कुटाई करके घोल देते हैं। मिट्टी की मात्रा नीचे बैठ जाती है और मिट्टी से निकले रंग ऊपर रह जाते हैं। जरूरत से एक दिन पहले रंग तैयार करते हैं। रंग को दो भागों में निकाला जाता है, ऊपर का रंग एक नम्बर का होता है और नीचे का शेष रंग दो नम्बर का होता है। जिस बर्तन को दो बार रंग करना होता है उसे पहले दो नम्बर के रंग से रंगते हैं। थोड़ा रंग सूख जाने के बाद एक नम्बर के रंग से दुबारा रंगते हैं, इससे माल में अच्छा रंग पकड़ता है।

(ख) बर्तन पकाना

रंग किया गया बर्तन जब अच्छी तरह सूख जाता है तब पतले साफ कपड़े को हलके हाथ से बर्तन के ऊपर घुमाते हैं उसके बाद उसे आँवा में पकाया जाता है। आँवा दो तरह से जलाया जाता है एक कच्चा कोयला से दूसरा गोबर से बनी गोहरी से। किसी भी आँा में माल को सजाते समय बीच-बीच में बर्तन को पकने के अनुमान से कोयला या गोहरी दे-देकर सजाते हैं। पूरा माल सजा देने के बाद उसे पुआल से चारों तरफ से ढाँक देते हैं ताकि आग कहीं से बाहर न निकल पाये। आग जलाने के लिए बीच से जगह बनाकर माल को सजाते हैं कोयले के आँा में नीचे से आग जलाते

हैं। लगभग आठ घण्टा से लेकर बारह घण्टा के अन्दर बर्तन पक जाता है, पकने का समय बर्तन और छोटे-बड़े आँवा पर निर्भर करता है।

7. मिट्टी के काम के लिए आदमियों की आवश्यकता

मिट्टी के काम में जितने भी आदी हों सभी को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। ऐसे तीन से चार आदमी का होना आवश्यक है। एक मिट्टी की व्यवस्था करता है, दूसरा बर्तन को एक जगह सेदूसरी जगह रखता है, तीसरा बनाने का काम करता है। इस प्रकार तीन-चार आदमी की आवश्यकता पड़ती है।

रामअधार प्रजापति
ग्राम-अमरा,
पोस्ट-कन्दवा बाजार,
जिला-वाराणसी।

परिशिष्ट - 3

काशी की वर्तमान मूर्तिकला

(डॉ. रेवा रानी डे नारी हस्तकला उद्योग समिति की कार्यकर्ता हैं। उनके द्वारा काशी के पत्थर शिल्प के कारीगरों से किये गये साक्षात्कार का अंश प्रस्तुत है।)

काशी के मूर्ति कलाकारों के साथ साक्षात्कार करने के दौरान वर्तमान समय में मूर्तिकला की स्थिति की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है।

काशी में स्थित सभी शिल्पकार राजस्थान मरकाना से लाये गये सफेद संगमरमर पर एवं चित्तौड़ से लाये गये मैंसलाना पत्थर पर मूर्तियों का निर्माण करते हैं। वैसे तो काशी हमेशा से ही धार्मिक स्थान रहा है। इसलिए यहाँ पर धार्मिक मूर्तियाँ काफी मात्रा में बनती हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक एम. जी. प्रसाद एण्ड सन्स, गोदौलिया ऐसे व्यवसायी हैं, जो सिर्फ सामान्य आकृति (मॉडल) अर्थात फोटोग्राफ के आधार पर प्रतिमा बनाते हैं। ऐसी प्रतिमाएँ नेता, धार्मिक व्यक्ति आदि पर आधारित होती हैं। जैसे लालबहादुर शास्त्री, आजाद भगत सिंह, राजीव गांधी, संजय गांधी, माँ आनन्दमयी, भक्त सूरदास, कबीर, तुलसीदास, जार्ज पंचम एवं मृत व्यक्ति की प्रतिमा आदि बनाते हैं जो संस्था, विद्यालय, चौमुहानी आदि में खड़ी की जाती हैं। इन्हीं का बनाया हुआ लहुराबीर में स्थित आजाद की प्रतिमा है एवं आनन्दमयी भवन में स्थित गंगा माँ की एवं स्वयं आनन्दमयी जी की प्रतिमा है। प्रतिमा का आर्डर लेते समय ये लोग फोटो लेते हैं एवं सर्वप्रथम गंगा या तालाब की मिट्टी के द्वारा प्रतिमा निर्मित करते हैं फिर ग्राहक को दिये गये समय पर बुलाकर मिट्टी की प्रतिमा दिखाकर संशेधन की जानकारी ले लेते हैं। तत्पश्चात पत्थर पर ढलाई का काम शुरू कर देते हैं। मूर्ति निर्माण के समय लिये गये साधनों में मात्र हथौड़ और छेनी का सहारा लेते हैं एवं कम्पास के द्वारा आँख, नाक, कान को सही स्थान देते हैं। इसके बाद पत्थर के रूखापन को कम करने के लिए क्रम पत्थर हाथ में लेकर घिसते रहते हैं। यह क्रम पत्थर कई तरह के होते हैं। प्रतिमा को पत्थर के सहारे घिसते-घिसते चमकदार बनाते हैं, लेकिन पालिश के लिए किसी भी प्रकार की पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि इनके अनुसार पाउडर से पालिश करने पर प्रतिमा की सुन्दरता खत्म हो जाती है। बल्कि इनका तो कहना था कि पत्थर की अपेक्षा मिट्टी में प्रतिमा सुन्दर दिखती है। पत्थर की मूर्ति में एक रूखापन रहता है। ज्यादा पालिश करने पर कुछ स्थान अच्छे नहीं दिखते हैं। वैसे तो इनके पूर्वज सन् 1920-22 से इसी व्यवसाय में जुड़े हैं और इनकी नजर में इसका भविष्य उज्ज्वल है और किसी भी तरह का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। पहल जैसे मूर्तियों का निर्माण होता था बल्कि उससे आगे ही

बढ़ा है। मूर्तियों के निर्माण में काफी समय लग जाता है। करीबन एक फुट ऊँचाई की प्रतिमा में दो तीन महीना लग जाता है और इनको वह प्रतिमा छः हजार की पड़ जाती है। बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ बनाने में छह महीना लग जाता है, जो 50 हजार तक बिकती है। इस प्रकार इनका कहना था कि कारीगरी का मूल्य बहुत ज्यादा लग जाता है। कुछ ग्राहक कुछ रुपया एडवान्स देकर आर्डर देकर चले जाते हैं। 10-15 साल बाद आकर लेते हैं या फिर नहीं भी लेते हैं। लेकिन इनको तो शिल्पकार को पैसा देना पड़ता है। इनके यहाँ कम से कम आठ व्यक्ति हमेशा काम में लगे रहते हैं और सबका काम अलग-अलग है। जैसे कोई घिसता है, कोई निर्माण करता है तो कोई संशोधन में लगा रहता है। इनके यहाँ सभी शिल्पकार इनसे सन्तुष्ट रहते हैं। कुछ तो बिल्कुल नये आते हैं। 2-3 साल में सीखकर दूसरी जगह भी चले जाते हैं। लेकिन प्रशिक्षण की दृष्टि से इनके पूर्वज कहीं भी कोई प्रशिक्षण नहीं लिये हैं, बल्कि खुद-ब-खुद देखकर सीखे हैं। इनके आग की पीढ़ी के बारे में पूछने पर बताते हैं कि आजकल के बच्चों की मानसिक स्थिति का पता लगाना बहुत ही कठिन है। उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। क्योंकि वह सभी बहुत छोटे हैं और आगे वह किधर का रुख अपनायेंगे कहना मुश्किल है। इनकी बनायी गयी मूर्तियाँ बाहर भी गयी हैं। जैसे नेपाल, जापान आदि वैसे भी इनका सप्लाई होता रहता है। वैसे इनके मूर्ति निर्माण में घर की महिला या अन्य महिला भाग नहीं लेती हैं या किसी भी प्रकार की महिला सहायता नहीं है। काशी में स्थित विश्वनाथ गली में मूर्तियों के निर्माण में साक्षात्कार लेने पर पता चला कि यहाँ पर सभी दुकानों में धार्मिक मूर्तियाँ अधिक नजर आयीं। क्योंकि यह एक ऐसा स्थान है जहाँ यह कहा जा सकता है कि बनारस आकर कोई विश्वनाथ गली न जाये तो शायद उनका बनारस आना निरर्थक हो जाता है। वैसे भी बाबा विश्वनाथ जी का पुराना मन्दिर यहीं स्थित है। इसलिए सभी यात्री यहाँ जरूर आते हैं और धार्मिक मूर्तियाँ अवश्य खरीदकर ले जाते हैं। वैसे धार्मिक मूर्तियों में संगमरमर, मैंसलाना, गौड़हारी, पत्थर के अलावा मिर्जापुर से लाये गये देशी पत्थर पर भी मूर्तियाँ निर्मित होती हैं। शिव-पार्वती, राधा-कृष्ण, नटराज, काली, भैरव, शिवलिंग, गरुड़ आदि मूर्तियाँ बनती हैं। ज्ञानवापी में स्थित श्री धाजु मार्वल मूर्ति भण्डार में बातचीत के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि गौड़हारी पत्थर तो मारवल पत्थर से सस्ता होता है लेकिन इतना मुलायम और नरम होता है कि इस पर बड़ी मूर्तियाँ नहीं बनायी जा सकती हैं। बल्कि नक्काशी के साथ छोटी मूर्तियाँ काफी मेहनत से बनती हैं, जिसके कारण इसकी बनी मूर्तियाँ महँगी बिकती हैं। इसे साफ्ट स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। इनके अनुसार पत्थर की धार्मिक मूर्तियों पर जवाखांश पाउडर से पालिश करते हैं लेकिन मार्बल और देशी पत्थर पर कूम से पालिश की जाती है।

ये भी करीब-करीब 60-70 साल से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और आजकल इनकी तीसरी पीढ़ी मूर्तियों का निर्माण करने में लगी है। इन्होंने भी उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करते हुए कहा कि पहले से यह विकसित हुआ है और आगे भी और अच्छे निर्माण होंगे, इनके यहाँ पर करीब-करीब सभी पत्थर जैसे मारबल, देशी, गौड़हारी, काला पत्थर जो कि गया से लाया जाता है आदि

मूर्तियाँ सभी कलाकारों के द्वारा निर्मित होती हैं और कुछ धार्मिक मूर्तियाँ रंगी भी जाती हैं। कुछ निर्भर करता है ग्राहक के ऊपर भी। जैसे मारबल पर निर्मित हनुमान, श्रीकृष्ण जी की प्रतिमा, रंगीन पसन्द करते हैं। इसके लिए यह रंग वारनिश के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं। इसके लिए कुछ निपुण शिल्पकार हैं जो सिर्फ रंगते हैं। इस तरह उन्हें एक मूर्ति निर्माण में दो-तीन कलाकारों को लगाना पड़ता है और फिर उन्हें उनके द्वारा किये गये कार्य का भुगतान किया जाता है। शेष 10, 15 प्रतिशत अन्त में बचता है लेकिन सारे कलाकार परिवार के ही होते हैं, इसलिए इन्हें कभी नुकसान का मुँह नहीं देखना पड़ता है।

गौड़हारी पत्थर पर बने नक्काशीदार ताजमहल, हाथी, दवात, मन्दिर आदि बिना रंग के ही अच्छे और सुन्दर दिख रहे थे। नक्काशी और पत्थर दोनों की जानकारी के पश्चात् कोई भी व्यक्ति शिल्पकार के हाथ की तारीफ किये बिना नहीं रह सकता हैं। इसीसे कला की खासियत का अन्दाजा लगाया जा सकता है। काले मारबल पत्थर पर बने काली जी एवं भैरव जी की प्रतिमा कम सुन्दर नहीं दिखती हैं और इनकी तो विशेषता ही कुछ और होती है। वैसे काले (रफ) सामान्य पत्थर पर बने शिवलिंग भी भक्तगण काशी से काफी मात्रा में खरीद कर ले जाते हैं।

काशी में ही कुछ ऐसे शिल्पकार मिले जो सिर्फ घर पर ही बैठकर पत्थर पर मूर्ति का निर्माण और रंग करते हैं। इनकी कोई अपनी दुकान नहीं है बल्कि बनारस की दुकानों में जाकर अपनी मूर्तियाँ बेचते हैं। इनकी सारी स्थितियाँ अन्य शिल्पकार की ही तरह है लेकिन आर्थिक स्थितियों के बारे में पूछने पर काफी निराश महसूस हो रहे थे और अपनी इस निराशावादी प्रवृत्ति को वह काफी चालाकी और बुद्धिमानी से दबा भी रहे थे।

डॉ. रेवा रानी डे
नारी हस्तकला उद्योग समिति
वाराणसी।

परिशिष्ट - 4

काशी की मीनाकारी

(श्री गिरीश चन्द्र काशी में सोने-चाँदी के आभूषण एवं शिल्प से जुड़े कारीगर एवं व्यवसायी हैं। ननिहाल के पुश्तैनी उद्योग से जुड़े हैं। नगर के कालभैरव क्षेत्र में इनका व्यवसाय है। काशी की मीनाकारी के बारी में उन्हीं के शब्दों में जानकारी प्रस्तुत है।)

बनारस में मीनाकारी की कला एक अलग किस्म की कला है, जो पूरी दुनियाँ में मशहूर है। सोने व चाँदी से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं आभूषणों पर निराले ढंग से विभिन्न प्रकार के रंगीन मीना चढ़ाने की क्रिया ही मीनाकारी कहलाती है। सोने से बनी हुई वस्तुओं जैसे गले का हार, हाथ का कड़ा व कंगन आदि एवं चांदी से बने सजावट से सम्बन्धित सामान, दैनिक उपयोग में लायी जाने वाली वस्तुयें, जैसे पान की डिबिया, हुक्का, पचमेल डिब्बे, कलम एवं विभिन्न प्रकार के खिलौने इत्यादि पर मीनाकारी की जाती है। मीनाकारी के इस काम में कड़ी मेहनत और लगन के साथ-साथ बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। मीनाकारी कृत वस्तुएँ अत्यन्त आकर्षक होती हैं। अपेक्षाकृत महँगी होते हुए भी यह कला देश-विदेश में बहुत चर्चित है।

मीनाकारी चाँदी से बनी जिस वस्तु पर करनी होती है सबसे पहले उसका ढाँचा तैयार कर लेते हैं। ढाँचे के अन्दर लाख भकर उस पर खुदाई या कलाई (वांछित गड्ढे एवं उभारदार डिजाइन) का काम करते हैं। इस प्रकार तैयार ढाँचे को रीठे के पानी से अच्छी तरह माँज लेते हैं फिर उसके बाद मीनाकारी की जाती है। इस तरह की प्रक्रिया (ढाँचे को तैयार कर खुदाई द्वारा रूप देना) पुराने समय में होती रही। अब भी कुछ-कुछ कारीगर इस तरह करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे इसमें बदलाव आया और इन वस्तुओं की डाई (साँचे) बनने लगी। और साँचे के द्वारा यह रूप तैयार होने लगा। इस प्रक्रिया से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। मीनाकारी जिस ढाँचे पर करनी होती है उसे भट्टी पर तेज आँच में तपाते हैं जिससे गंदगी व तेजाब आदि जलकर नष्ट हो जाय। इसके बाद अच्छी तरह माँजकर उसकी सफाई कर लेते हैं। अब साफ-सुथरे ढाँचे (वस्तु) पर मीनाकारी काम प्रारम्भ करते हैं। सर्वप्रथम पानी की सहायता से मीने को जल में पीस लेते हैं इस प्रकार तैयार मीना (रंग प्रलेप) को ढाँचे पर ब्रश की सहायता से सावधानीपूर्वक भरते (चढ़ाते) जाते हैं। मीना भर जाने के बाद उसे भट्ठी में पकाते हैं। पकाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आँच कहीं इतनी तेज न हो जाये कि ढाँचे पर चढ़ाया गया मीना फैलन लगे व खराब हो जाय। इसके बाद वस्तु पर जहाँ-जहाँ डिजाइन बनानी होती है वहाँ-वहाँ ब्रश की सहायता से पीसा हुआ सफेद मीना पुनः भरते हैं। भट्ठा

में इसे भी पका लेते हैं। इसके बाद सफेद पृष्ठभूमि पर विभिन्न प्रकार के हीटप्रुफमेंट (तापसंयत रंग प्रलेप) से उस पर डिजाइन बनाते हैं। हीटप्रूफ रंग पाउडर की तरह होता है। इसे चन्दन के तेल में अच्छी तरह फेंटकर प्रलेप तैयार करते हैं। चन्दन के तेल में फेंटने का मुख्य कारण यह है कि इससे डिजाइन बनाते समय रंग फैलता नहीं है और शेड (रंग) अच्छा भी पकड़ता है। इस प्रकार फेंटकर तैयार किये गये रंग प्रलेप को किसी चीज पर उठाकर रख लेते हैं। फिर एकदम बारीक बाल के ब्रश की सहायता से विभिन्न प्रकार के डिजाइन बना लेते हैं। उसके बाद उसे फिर आँच में पका लेते हैं इससे हीटप्रूफमेंट पक्का हो जाता है। इस प्रकार मीनाकारी की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बाद तैयार वस्तु के अन्दर लाख भरने के बाद वस्तु पर जड़ाई (नगीनों से सजाने) का काम किया जाता है। अब अन्तिम रूप से तैयार वस्तु को रीठे के पानी से अच्छी तरह धोते हैं, जिससे उस पर लगी गंदगी छूट जाय। इसके बाद किनर (द्रव्य विशेष) और रूइ की सहायता से वस्तु को साफ कर लेते हैं, जिससे उसमें चमक आ जाती है। इस प्राकार वस्तु बाजार में बिकने योग्य तैयार हो जाती है। बनारस गुलाबी मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है।

अति प्राचीन पुरानी मीनाकारी की यह कारीगरी जग-प्रसिद्ध होने के बावजूद भी तीव्र गति से विकास नहीं कर सकी है। यद्यपि मीनाकारी की गयी वस्तुओं के ज्यादातर निर्यात किये जाने के कारण सरकार को अच्छी खासी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, फिर भी इस कार्य को आगे बढ़ाने के प्रयास के लिए सरकार न कोई उचित कदम उठाती है और न ही इसमें लगे हुए कारीगरों को आर्थिक मदद देकर उनको प्रोत्साहित करती है। वाराणसी में लगभग 100 कारीगर इस कार्य में लगे हुए हैं इनका खूब शोषण होता है। सरकार कारीगरों और बाजार के बीच सम्बन्ध स्थापित करने की कोई कोशिश नहीं करती। इसका पूरा लाभ पूँजीपति वर्ग के हिस्से में जाता है जबकि सारी मेहनत कारीगर ही करते हैं कारीगरों का सम्बन्ध उन व्यापारियों या व्यक्तियों से नहीं हो पाता जिनकी उन्हें जरूरत होती है। अगर इन बिचौलियों को समाप्त करने की दिशा में पहल की जाये एवं इन कारीगरों को स्वरोजगार के अवसर एवं साधन उपलबध कराये जाय तो यह लघु उद्योग रोजगारपरक होने के अतिरिक्त अच्छी आय का स्रोत हो सकता है तथा दुनिया में कला के क्षेत्र में एक अलग मिशाल कायम कर सकता है।

गिरीशचन्द्र
सर्व सेवा संघ परिसर
राजघाट, वाराणसी-21001

परिशिष्ट - 5

काशी के हस्तशिल्प उद्योगों के कारीगर

(निम्नलिखित शिल्पियों से मिलकर प्रस्तुत अध्ययन के लिए उनके शिल्प की जानकारी एकत्र की गयी। बहुधा कहीं-कहीं समूह में चर्चा भी की गयी है और कई कारीगरों ने चर्चा में हिस्सा लिया है किन्तु उन सभी के नाम नहीं लिये जा सके हैं।)

काष्ठ-शिल्प उद्योग

क्रम	नाम		क्षेत्र
1.	श्री श्याम बाबू गुप्ता	:	काश्मीरीगंज, खोजवाँ
2.	श्री चन्द्र कुमार साऊ	:	काश्मीरीगंज
3.	श्री मनोज कुमार वर्मा	:	काश्मीरीगंज
4.	श्री ब्रह्मानन्द वर्मा	:	काश्मीरीगंज
5.	श्री राजनाथ वर्मा	:	काश्मीरीगंज
6.	श्री ध्रुव कुमार	:	लक्खी चौतरा
7.	श्री कल्लू	:	रामापुरा
8.	श्री दशरथ	:	शिवाजी नगर
9.	श्री मुकुन्द लाल	:	लक्सा
10.	श्री लल्लन	:	लक्सा
11.	श्री छेदी मिस्त्री	:	चनवां सट्टी
12.	श्री शिवशंकर विश्वकर्मा	:	रामापुरा
13.	श्रीमती रामकली	:	काश्मीरीगंज, खोजवाँ
14.	श्रीमती कमला देवी	:	रामापुरा
15.	श्री झाऊलाल प्रजापति	:	गौरीगंज
16.	श्री रामजी	:	हरिश्चन्द्र घाट
17.	श्रीमती मीरा देवी	:	गौरीगंज
18.	श्री शौकत अली	:	पितरकुण्डा

19.	श्री खेलावन सिंह	:	काश्मीरीगंज, खोजवाँ
20.	श्री गोदावरी सिंह	:	काश्मीरीगंज, खोजवाँ
21.	श्री काशी	:	रामापुरा

मृत्तिका शिल्प उद्योग

1.	श्री अखिल जोशी	:	चुनार
2.	श्री ओमप्रकाश	:	चुनार
3.	श्री बचाऊ लाल प्रजापति	:	चुनार
4.	श्री राजाराम प्रजापति	:	सोनारपुरा
5.	श्री राममूरत	:	भगवतीपुरा
6.	श्री गुलाब प्रसाद प्रजापति	:	सोनारपुरा
7.	श्री कन्हैयालाल	:	सोनारपुरा
8.	श्री लालमणि प्रजापति	:	लक्सा
9.	श्री चीनू विश्वास	:	सोनारपुरा
10.	श्री चीथरू राम प्रजापति	:	तिलभण्डेश्वर
11.	श्री रामअधार प्रजापति	:	ग्राम-अमरा
12.	श्री शंकर प्रजापति	:	ग्राम-अमरा
13.	श्री भोला	:	ग्राम-कन्दवा
14.	श्री लालता	:	ग्राम-चमराहा
15.	श्री राजाराम	:	बजरडीहा

परिशिष्ट - 6

नारी हस्तकला उद्योग समिति

संक्षिप्त परिचय

1. विचार

समाज के प्रभावी विचारों में नारी की ज्ञान दृष्टि (मूल्य, विचार, कौशल आदि) का समावेश न होना और समाज में नारी का सम्मानपूर्ण स्थान न होना परस्पर निर्भर है। आज आधुनिक शिक्षा से लैस कुछ गिनी-चुनी महिलाओं को छोड़ अन्य सभी के हाथ से काम छिने जा रहे हैं। स्त्रियों की इस अन्यायपूर्ण शोषित स्थिति से मुक्ति तभी सम्भव है जब बहुसंख्य स्त्रियों के पास विद्यमान परम्परागत कौशल एवं ज्ञान के आधार पर ही वर्तमान समाज में सम्माननीय रोजगार मिले।

2. उद्देश्य

(क) नगरीय एवं ग्रामीण महिलाओं के पास विद्यमान कौशल (कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, चित्रकारी, घरेलू उपचार पद्धतियाँ, खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं संरक्षण की जानकारी आदि) को संगठित एवं संवर्धित कर समाज में पुनर्स्थापित करना तथा समाज में स्त्रियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ बनाने का प्रयास करना।

(ख) स्त्रियों द्वारा घरेलू उद्योगों में निर्मित उत्पादन को स्थानीय बाजार में उचित स्थान मिलने के लिए सार्वजनिक गतिविधियों द्वारा प्रशासन एवं स्थानीय जनता पर नैतिक दबाव लाने का प्रयास करना।

3. कार्य

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं—

(क) प्रशिक्षण

समिति के नगरीय क्षेत्र में लंका में तथा ग्रामीण क्षेत्र में नरोत्तमपुर ग्राम, खण्ड काशी विद्यापीठ में कुल दो केन्द्र हैं। इन दोनों केन्द्रों पर नियमित कक्षाओं द्वारा महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हस्तशिल्प आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन कक्षाओं के अलावा महिलाओं को अल्पावधि के प्रशिक्षण (एक या दो घण्टे के) भी प्रदान किये जाते हैं जो बस्तियों में जाकर या केन्द्रों पर भी दिये जाते हैं।

(ख) उत्पादन

प्रशिक्षित महिलाओं को कच्चा माल देकर विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करवाया जाता है। महिलाएँ अपने-अपने घरों में जाकर उत्पादन करती हैं।

(ग) बिक्री

महिलाओं द्वारा बनी हुई सामग्री को नगर के विभिन्न स्थानों में प्रदर्शनियाँ लगाकर समिति द्वारा बिक्री की जाती है। इन प्रदर्शनियों में वे भी महिलाएँ अपना उत्पादन बिक्री के लिए रख सकती हैं जो समिति से कोई सहायता न लेकर उत्पादन कर रही हैं। समिति अभी तक 25 प्रदर्शनियाँ लगा चुकी है।

शहनाज परवीन
मंत्री

सम्पर्क पता : *श्री कृष्ण भवन, 25, माधव मार्केट, लंका, वाराणसी-221005।*